खण्ड-452, अंक-5
गुरुवार, 28 माघ, शक संवत् 1926
(17 फरवरी, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
शिक्षा मित्रों की समस्या से सम्बन्धित नियम-56 में दी गई सूचना को सुने जाने की माँग ...	1
प्रश्नोत्तर	1-61
अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के त्रुटिपूर्ण उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न ...	62
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	62-63
मेरठ के मवाना तहसील के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि किसी एजेन्सी को आवंटित कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्रान्तर्गत नन्दगंज शादियाबाद जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद सहारनपुर के ग्राम हरौड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को धन आंवटित कर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय से न मिलने पर औचित्य का प्रश्न ...	64-66
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 .....(पुरः स्थापित) ...	67
विधान सभा सदस्यों के लखनऊ स्थित आवासों पर सरकारी फोन पर 95 नम्बर की डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	67-68
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	68-76
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	76-121
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों व विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्रधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	121-122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	122-123
नत्थी	124-128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-332

1—अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
2—अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
3—अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
4—अजय कुमार, डा0	बागपत
5—अजय राय, श्री	वाराणसी
6—अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
7—अताउल रहमान, श्री	बरेली
8—अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
9—अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
10—अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
11—अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
12—अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
13—अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
14—अनिल कुमार पासवान,श्री	हरदोई
15—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
16—अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
17—अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
18—अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
19—अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
20—अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
21—अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
22—अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
23—अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
24—अमरमणि, श्री	महराजगंज
25—अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
26—अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
27—अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
28—अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
29—अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
30—अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
31—अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
32—अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
33—अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
34—अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
35—अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
36—अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
37—अशोक सिंह चौहान,	मैनपुरी
38—आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
39—आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
40—आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
41—आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
42—आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
43—आलम बदी, श्री	आजमगढ़
44—आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
45—आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
46—आशीष यादव, श्री	बदायूं
47—आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
48—इकबाल महमूद,श्री	मुरादाबाद
49—इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
50—इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर

51—इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
52—उज्ज्वल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
53—उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
54—उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
55—उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
56—उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
57—ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
58—ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
59—ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
60—ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
61—ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानुपर
62—ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
63—ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
64—कपिल देव यादव, श्री — मऊ
65—कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
66—कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
67—कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
68—कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
69—काशीराम, श्री — रामपुर
70—किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
71—किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
72—कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री — बिजनौर
73—कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
74—कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
75—कृष्णानन्द राय, श्री — गाजीपुर
76—कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
77—कौशल किशोर, श्री — खीरी
78—कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
79—गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
80—गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
81—गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
82—गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
83—घूरा राम, श्री — बलिया
84—चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
85—चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
86—चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
87—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
88—चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
89—छेदी राम, श्री — गाजीपुर
90—छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
91—छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
92—जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
93—जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
94—जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
95—जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
96—जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
97—जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
98—जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
99—जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
100—जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
101—जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
102—जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
103—जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
104—जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
105—जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
106—जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
107—जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
108—डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री — चित्रकूट
109—तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
110—दयाराम, श्री — कौशाम्बी
111—दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
112—दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
113—दलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच

114--दीनानाथ कुशवाहा, श्री [illegible]
115--दीनानाथ भास्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
116--दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
117--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118--देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
119--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
120--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री गाजियाबाद
121--द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
122--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
123--धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
124--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
126--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
128--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
129--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
130--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
132--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
134--नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
135--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
136--नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
137--परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
138--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
139--पीटर फेन्थम, श्री नाम-निर्देशित
140--पीतम राम, श्री पीलीभीत
141--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
142--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
143--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
144--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
145--प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
146--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
147--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
148--प्यारे लाल अहिरवार, श्री झांसी
149--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
150--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
151--प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
152--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
153--फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
154--फर्साहा बर्शार, चौधरी (गजाला) देवरिया
155--फागू, श्री मऊ
156--बंशीधर राज, श्री खीरी
157--बाबूराम एम0 काम, श्री जालौन
158--बाबू लाल, चौधरी आगरा
159--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
160--बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
161--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
162--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
163--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
164--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
165--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
166--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
167--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
168--भगेलू राम, श्री [illegible]
169--भरत सिंह, श्री [illegible]
170--भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
171--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
172--मनेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
173--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
174--मदन मोहन, श्री [illegible]

175—मदन भैया, श्री — बागपत
176—मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
177—मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
178—मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
179—मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
180—मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
181—महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
182—महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
183—महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झोन बाबू, श्री — सीतापुर
184—महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
185—महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
186—महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
187—माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
188—माया प्रसाद श्रीमती — खीरी
189—मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
190—मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
191—मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
192—मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
193—मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
194—मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
195—मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
196—मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
197—मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
198—मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री — इलाहाबाद
199—मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
200—मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
201—यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
202—यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
203—योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
204—योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
205—रणवीर राणा, श्री — मेरठ
206—रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
207—रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
208—रमेश चन्द्र बिन्द, श्री — मिर्जापुर
209—रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
210—राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकरनगर
211—राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
212—राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
213—राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
214—राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
215—राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
216—राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
217—राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
218—राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
219—राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
220—राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
221—राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
222—राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
223—राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
224—राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
225—राजेश कुमार, श्री — खीरी
226—राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
227—राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
228—राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
229—राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
230—राम करन आर्य, श्री — बस्ती
231—राम किशुन, श्री — वाराणसी

232—राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
233—राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
234—राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
235—रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
236—रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
237—राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
238—राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
239—रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
240—राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
241—राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
242—राम मगन, श्री — बाराबंकी
243—राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
244—रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
245—रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
246—राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
247—राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
248—राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
249—रामहेत, श्री — सीतापुर
250—रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
251—रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
252—रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
253—लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
254—लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
255—लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
256—वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
257—वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
258—बिजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
259—बिजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
260—बिजय सिंह, श्री — सोनभद्र
261—बिद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
262—बिद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
263—बिनय शाक्य, श्री — औरैया
264—बिनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
265—बिनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
266—बिनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
267—बिनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
268—बिमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
269—बिमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
270—बिबेक बंसल, श्री — अलीगढ़
271—बिशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
272—बिश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
273—बीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" — शाहजहांपुर
274—बीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
275—बीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
276—बिरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
277—बीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
278—शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर
279—शब्बीर, श्री — बहराइच
280—शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
281—शरदबीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
282—शहाजिल इस्लाम, श्री — बरेली
283—शाकिर अली, श्री — देवरिया
284—शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
285—शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
286—शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
287—शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
288—शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
289—शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
290—शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
291—शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
292—शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा

293--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जालौन
294--श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
295--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
296--श्याम नारायन, श्री महराजगंज
297--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
298--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
299--श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
301--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
302--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
303--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
304--सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
305--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
306--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
307--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
308--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
309--सियाराम सागर, डा0 बरेली
310--सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
311--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
312--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
313--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
314--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
315--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
316--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
317--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
318--सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
319--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
320--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
321--सुल्तान बेग, श्री बरेली
322--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
323--सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
324--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
325--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
326--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
327--हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
328--हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
229--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी", श्री वाराणसी
330--हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
331--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
332--होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

नोट :--1--परिवार कल्याण मंत्री, (श्री अहमद हसन)
2--सिंचाई मन्त्री, (श्री मुन्ना सिंह चौहान) तथा
3--बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

शिक्षा मित्रों की समस्या से संबंधित नियम-56 में दी गई सूचना को सुने जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, हमने एक सूचना नियम-311 और नियम-56 के अन्तर्गत दी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विधान भवन के सामने कई हजार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य शिक्षा मित्र भी अन्य जिलों से यहां आकर धरने में शामिल होना चाहते हैं उनकी बसों को रोककर आने नहीं दिया जा रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है वह लोग धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। यह उचित नहीं हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, कोई तात्कालिक घटना है जिसका माननीय सदस्य यहां उल्लेख करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, जो शिक्षामित्रों का मामला है उनका अपना धरना-प्रदर्शन है उस संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो शून्य प्रहर उसके लिए है उसमें अपनी बात आप कह सकते हैं। इसमें प्रश्न प्रहर में अगर परम्परा पड़ेगी तो इसी में सारा समय चला जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, आप माननीय सदस्यों को आश्वासन दे दें कि उनकी बात बाद में सुन ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महानगरों में टैम्पो/बसों से फैलते वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय

**1--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में टैम्पों एवं बसों द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ जाने से जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु टैम्पों एवं बसों में "कन्वर्टर" लगाये जाने हेतु आदेश देगी ? यद नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

जी हां, किन्तु वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चेकिंग कर मानक से अधिक धुआं उत्सर्जित करने वाली वाहनों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

पुराने टैम्पो में "कैटेलिटिक कन्वर्टर" लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है। नये वाहन कनवर्टर लगे हुए होते हैं तथा पुराने तिपहिया टैम्पो में फिटनेस के समय स्क्रेबर लगाया जाता है तथा स्क्रेबर युक्त टैम्पो को ही फिटनेस प्रदान किया जाता है। बसों में कन्वर्टर लगाये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

मान्यवर, आप देखें जो जवाब आया है, वह एक रूटीन जवाब हो गया है इसके बावजूद भी मानक से अधिक धुंआ उत्सर्जित करने वाले वाहनों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो मेरा मान्यवर, यह प्रश्न है कि क्या कोई कठोर कार्यवाही किये जाने की योजना है ? दूसरे, आपने कहा है कि पुराने टैम्पो में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है तो क्या इसके स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था पर विचार करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण रोका जा सके। आपने जवाब में कहा है कि पुराने तिपहिया वाहनों में फिटनेस के समय स्क्रेबर लगाया जाता है, हम इसे मंत्री जी मान लेते हैं। लेकिन टैम्पो में इसके बावजूद भी प्रदूषण नहीं रुक पा रहा है ऐसी स्थिति में आप क्या कठोर कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश के महानगरों से जुड़ा प्रश्न है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह बात सही है और सरकार इस पर गंभीर है कि प्रदूषण एक बहुत बड़े रोग के रूप में उभर कर आया है। मान्यवर, यह अकेले उत्तर प्रदेश के शहरों की समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या है क्योंकि बहुत से वाहन अभी भी उस मानक के अनुरूप नहीं है।

मान्यवर, शासन ने निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में भी टैम्पों, मैक्सी, आटो रिक्शा जो चलेंगे पहले उनकी लाईफ 9 साल रखी गई थी जिसे लखनऊ के संदर्भ में 5 वर्ष किया गया है और अन्य महानगरों में 7 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है हम लोग माननीय न्यायालय में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करके उस स्टे को समाप्त कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। तो मान्यवर, इस व्यवस्था को हम लागू करने जा रहे हैं । महानगरों में जो भी टैम्पो या आटो रिक्शा चलेंगे यह एल0पी0जी0 या सी0एन0जी0 आधारित रहेंगे। जिनके परमिट खत्म हो रहे हैं हम उन्हीं को इसमें परमिट देंगे। मान्यवर, यह सही है कि अभी एल0पी0जी0 और सी0एन0जी0 उतनी उपलब्ध नहीं है। लखनऊ में जैसे एल0पी0जी0 का एक सेन्टर के0के0सी0 के सामने है, जहां एल0पी0जी0 उपलब्ध है और जगह इसके सेन्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पोल्यूशन के मानक पर चेकिंग की जा रही है एक अप्रैल से उत्तर प्रदेश में जो नई बसें आयेंगी, उसमें यूरो-2 बसों को पास किया जायेगा, यूरो-1 को नहीं पास किया जायेगा। यूरो-2 भारत सरकार से स्वीकृत है। इस समय पोल्यूशन की जो हमारे सामने स्थिति है उस स्थिति को उससे कंट्रोल किया जा सकता है। जहां तक माननीय सदस्य ने कन्वर्टर लगाने की बात कही है तो यह पेट्रोल की गाड़ी में लग रहे हैं, डीजल में नहीं लगते हैं उसमें स्क्रेबर लगता है ताकि पोल्यूशन की मात्रा घट सके और इसकी चेकिंग भी होती है। इस समय उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन चेकिंग के 307 चेकिंग

सेन्टर हैं। मैं खुद इससे सहमत नहीं हूं कि चेकिंग का मानक हो और उस मानक के अनुसार चेकिंग न हो। जो सर्टिफिकेट गाड़ियों को मिल रहे हैं वह सर्टिफिकेट पूरे मानकों के तहत मिलें इसलिए सरकार ने तय किया है कि पोल्यूशन चेकिंग को वी0ओ0टी0 सिस्टम से करेंगे और इसके अनुसार नये मानकों के अनुसार 6 माह का चेकिंग सर्टिफिकेट देंगे। इसका जल्द ही टेण्डर निकालने जा रहे हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य की चिन्ता से हम सब चिन्तित हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मानक पर कड़ाई जरूर होगी।

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज के सब अखबारों में है कि प्रदूषण जांच का काम निजी क्षेत्र में होगा और उस व्यक्ति को यह दिया जायेगा जिसका टर्नओवर 20 करोड़, सालवेन्सी 10 करोड़ और गारन्टी 20 लाख होगी। मान्यवर, अभी तक प्रत्येक जिले में यह जांच का काम 10-12 लोगों पर होता था लेकिन अब यह सारा एक व्यक्ति को दिया जायेगा इससे मोनोपली बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उनसे लेकर एक आदमी को चला जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या नई बात माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं और क्या नई योजना है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

इसमें माननीय पुण्डीर जी को पता नहीं कैसे ज्ञात हो गया कि किसको देने जा रहे हैं, कौन सा भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, तब भ्रष्टाचार नहीं नजर आया जब थोड़े दिन पहले यहां बैठे हुए थे उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया था, उस समय दिखाई देता।

मान्यवर, बी0ओ0टी0 सिस्टम पर देने के लिए माननीय मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया है और उसके मानक तय किये हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 370 सेन्टर हैं जिनमें आज पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लोगों को मिल रहा है। यह आप खुद ही जानकारी कर लें बहुत से लोगों को घर बैठे यह मिल रहा है, यह मैं खुद कह रहा हूं इसलिए हमने तय किया कि इस सिस्टम को ऐसे लोगों को दिया जाय जो पूरे मानक पर इसका सर्टिफिकेट दें और उत्तर प्रदेश में कड़ाई हो सके। अब टेण्डर होंगे तो इसको कौन लेगा तो जब पता ही नहीं है, पार्टी आई ही नहीं है तो किसको दे दिया, भ्रष्टाचार कहां से हो गया ?

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

मान्यवर, हमारी यह मंशा नहीं है, जो इसमें दिया गया है, टेण्डर में जो योग्यता है तो उसके अनुसार वह कोई बड़ा आदमी होगा, सही छोटे आदमी को इसमें लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके मंत्रालय पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, वी0जे0पी0 भी बड़े आदमी का विरोध करने लगी, चलिये परिवर्तन इनमें भी आया है। लेकिन जो सरकार की सोच है सिस्टम उन्हीं के हाथों में रहना चाहिए जो सिस्टम को सही तरीके से लागू कर सकें। अगर पोल्यूशन सिस्टम को छोटी सोच या राजनैतिक सोच, राजनैतिक रूप ले लिया तो यह उचित नहीं होगा, मैं इसको उचित नहीं समझता। श्रीमन्, जो सरकार ने निर्णय लिया है, वह उचित है और जल्दी उस पर कार्यवाही होगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं लेकिन वायु प्रदूषण का जनस्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में कितने वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गयी और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जैसा उत्तर में बताया है कि बसों में कनवर्टर लगाये जाने का प्राविधान नहीं है तो इसके स्थान पर कोई वैज्ञानिक विधि खोजकर सरकार इसके विकल्प को ढूंढने का प्रयास करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, दिसम्बर, 2004 तक पोल्यूशन चेकिंग में पूरे उत्तर प्रदेश में 41,344 वाहनों का चालान हुआ और जैसा मैंने शुरू में कहा कि यूरो-2 विकल्प आया है और अब जो एक अप्रैल से नई बसें प्रदेश में आयेगी वह यूरो-2 मानक के अनुसार ही होंगी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी बस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब हम सुधार की तरफ चल रहे हैं, धीरे-धीरे सुधार होगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, टैम्पो में स्क्रेबर लगाये जा रहे हैं, क्या इलाहाबाद महानगर में भी इस व्यवस्था को लागू करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् यह व्यवस्था हर जगह लागू है। अगर आपके यहां कमी है, तो लिखकर दे दें, हम उसको पूरा करेंगे ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि पुराने टैम्पो में कैटेलिटिक कनवर्टर लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मई , 2000 की अपनी बैठक में पुराने टैम्पो में कैटेलिटिक कनवर्टर लगाकर 15 साल तक चलाने का निर्णय ले रखा है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इस बात से अवगत है कि जनपदों में, नगरों में जो टैम्पो चल रहे हैं, उनको 5 साल का परमिट दिये जाने का प्राविधान है और जब उनको परमिट निर्गत किये जाते हैं, उस समय फिटनेस देखते समय उस टैम्पो की आयु सीमा जो आपने 9 साल निर्धारित की है, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कितनी समय सीमा कम है, उसमें जितनी समय सीमा कम है, उसके लिये परमिट दिया जाना चाहिये। लेकिन होता यह है कि उन्हें पूरी अवधि के लिये परमिट दे दिया जाता है और जो आप 41 हजार चालान बता रहे हैं, उसमें तमाम ऐसे केस हैं, जो टैम्पो 9 साल के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उनका परमिट वैध है, फिर भी 9 साल के ऊपर हो जाने के कारण उनका चालान कर दिया जाता है और 5-5, 8-8 हजार रुपये जुर्माने के रूप में लिये जा रहे हैं, यह एक तकनीकी कमी है, उसको पहले ही बता दिया जाना चाहिये कि तुम्हारा वाहन इतने दिनों के लिये वैध है, इसके बाद तुम्हें दूसरा वाहन लाना पड़ेगा। ऐसा न होने के कारण गरीब टैम्पो चालकों का उत्पीड़न हो रहा है और जो राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मई , 2000 की बैठक में निर्णय लिया है वह शासन के नियम, नीति से मेल नहीं खाता, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, एस0टी0ए0 ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत यह आदेश दिये थे। नगरीय क्षेत्र में जहां, पहले लखनऊ में 5 साल का था और बाकी नगरों में 9 साल का था, जिसे घटाकर 7 साल किया गया, इसके आगे के जो टैम्पो हैं, उनको नगरीय क्षेत्र से बाहर चलाने की इजाजत दी गयी थी कि यह महापालिका की सीमा के बाहर उन टैम्पो को चलायेंगे, जिससे गरीबों का शोषण न हो और लोगों को रोजगार मिला रहे। लेकिन यह भी जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है। दोनों ही समस्यायें हैं और हमको दोनों को देखना पड़ता है। लेकिन खाली बेरोजगारी से इसे जोड़कर इस तरह मौका दिया जाय, यह भी किसी दशा में उचित नहीं होगा। जहां तक माननीय बाजपेयी जी ने कहा, इसको हम दिखवा लेंगे क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, वह पेट्रोल की गाड़ी के लिये है। जहां तक स्क्रेबर लगाने की बात है पांच साल के लिए जो परमिट होता है, उसमें आयु नहीं देखी जाती है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे बन्द करा दिया जाएगा। अगर पांच साल के लिए दिया गया है और आयु निकल चुकी है तो परमिट उतने ही दिन के लिए दिया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब पूरा हो गया है, कृपया आप बैठ जाएं।

कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण दूर करने की कार्य योजना

**2--श्री उज्ज्वल रमण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार किसी कार्य-योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी हां, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम की गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत योजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

लागू नहीं।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब परियोजना शुरू हुई , तब प्रदूषण का स्तर क्या था और आज उसमें कितनी कमी आयी है ? यह योजना लगभग 10 वर्षों से चल रही है लेकिन ऐतिहासिक नगर इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर महत्वपूर्ण नगर है और गंगा का पानी लगातार काला होता जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि माननीय नेता विरोधी दल इसका जवाब दें। यह एक बहुत अच्छी योजना है और इसलिए अच्छी योजना है कि जिन नदियों का पानी इस्तेमाल होता है, उन्हें बड़ा ही पवित्र माना गया है और उन नदियों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। लोग गंगा नदी के तट पर जाकर गन्दगी करते हैं। पहले बच्चे तैराकी सीखने जाते थे लेकिन अगर अब जाएं तो बहुत सारे मर्ज ले करके वापस आयेंगे। योजना का कार्य तीन चरणों में पूरा होना था। मान्यवर, इसके लिए दो-तीन नगरों के लिए योजना है, फिलहाल आपने केवल इलाहाबाद के लिए ही जानना चाहा है। मैं बताना चाहूंगा कि पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, कुल मिलाकर 29 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, 04 फरवरी, 2004 के राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया था कि हमारा यह विशेष प्रयास होगा कि प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना तथा गोमती के जल को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए। मान्यवर, एक वर्ष हो गया है इस अभिभाषण को प्रस्तुत हुए लेकिन एक प्रतिशत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ मेला होता है, कुम्भ होता है, अर्द्धकुम्भ होता है और वहां पर साधु-सन्तों को धरना-प्रदर्शन हेतु बैठना पड़ता है। इस बार भी साधु-सन्तों ने धरना दिया, तब जाकर कानपुर से पानी छोड़ा गया। मान्यवर, क्या इसके लिए कोई स्थायी योजना बनायी जाएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, योजना जल्दी ही पूरी हो जाएगी, वर्ष 2005 तक इसे पूरा होना था। हम लोग इसमें लगे हुए हैं।

(माननीय सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के हाथ उठाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन आप हाथ के साथ-साथ ऊपर न उठ जाएं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसीलिए तो आप बैठे हैं और हम आपके लिए बैठे हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, गोमती का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण के लिए पैसा भी सैक्शन हो गया है लेकिन जल निगम ने अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह योजना किस स्तर पर है ? दूसरे एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पहले फेज में पांच नाले बाहर कर दिये गये, अब सीवर नहीं गिर रहा है और वहां तक पानी स्वच्छ हो गया है लेकिन वहां से धोबियों को हटाने का निर्देश नहीं हुआ, यह होना चाहिए कि जहां तक गोमती साफ हो गयी है, वहां कपड़े न धोयें, इसी प्रकार जब यह साफ हो जाये तब और आगे चले जाएं। मान्यवर, मैंने योजना शुरु की थी हर जगह धोबी घाट बनाने की और केवल दो-चार जगह ही बचे हैं, तो क्या मंत्री जी उसको पूरा करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के संबंध में है, अगर नगर विकास मंत्री जी, उत्तर देना चाहें तो दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नेता, विरोधी दल का प्रश्न है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आपकी जानकारी में है जहां नाले टूटे हुये हैं उनकी मरम्मत करायी जा रही है और जहां से पानी का निकास नहीं हो रहा है, उसकी रुकावट को दूर किया जा रहा है। नालों के पानी का ट्रीटमेण्ट करके नदी में डाल रहे हैं जिससे कम से कम प्रदूषण हो। जहां तक धोबी घाटों की बात है, जो रह गये हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, बहुत ही जनहित का विषय यहां पर आया है। मैं माननीय सदस्य उज्जवल रमण सिंह को बधाई देता हूं कि नये होने के बावजूद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी अनुपूरक प्रश्न में पूंछा गया कि क्या प्रदूषण में कोई कमी आयी है ? माननीय मंत्री जी ने हर जवाब दिया लेकिन उन्होंने प्रतिशत नहीं बताया कि इतने प्रतिशत कमी आयी है या वृद्धि हुई है। हो सकता है कि बताने वाली बात न हो। मैं विनम्रतापूर्वक एक ही प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जब सभी स्वीकार करते हैं कि प्रयाग और वाराणसी धार्मिक स्थल हैं और लोगों की आस्थायें और भावनायें जुड़ी हुई हैं और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है, यह भी सबको मालूम है कि बहुत सारे कारखाने लगे हुये हैं, वह अपनी विषाक्त, गन्दगी व प्रदूषण इसमें डाल रहे हैं, उसके कारण गंगा के पानी का रंग बदल गया है और बहुत प्रदूषित हो गयी है। इसको रोकने के लिए कार्यवाही पर्यावरण विभाग को करनी चाहिए लेकिन मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग और इनके बीच मिलीभगत होने के कारण प्रदूषण हटाने का संयंत्र नहीं लगाया जाता है और वह पैसा बच जाता है। मान्यवर, मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानते हुये करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों में परिवर्तन करके जो अभी तक आर्थिक दण्ड के भागी होते हैं, जहां नहीं लगाया गया है, नियमों को परिवर्तित करके पेनल लॉ लगा दें और कारावास की सजा दी जायेगी जो निश्चित समय के अन्दर प्रदूषण मुक्त संयंत्र नहीं लगायेंगें। क्या माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन सदन को देंगें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह बात बिल्कुल सही है, 360 एम0 एल0 डी0 घरेलू और टेनरी से 11 एम0एल0डी0 का प्रदूषण होता है। इस प्रकार घरेलू से बहुत ज्यादा होता है। जो आपने सुझाव दिया है उस पर विचार किया जा सकता है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा होने के बाद प्रदूषण का वर्तमान में स्तर और

मानक क्या है और तीसरा चरण पूरा होने के बाद उसका मानक क्या प्रस्तावित है और जब एक योजना प्रस्तावित की गयी थी तब प्रदूषण का मानक और स्तर क्या था, ये तीन बातें मैं जानना चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मानक था कि काम पूरा हो और गंगा प्रदूषण रहित हो ..।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं कि मानक काम पूरा होने का था जिससे प्रदूषण कम हो जाता।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अगर सूचना नहीं है तो स्पष्ट कह दें कि नहीं है और सूचना एकत्र करके अवगत करा देंगें।

मान्यवर, गाजर में गुठली मिलायेंगें तो ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि 60 एम0एल0डी0 का शोधन संयंत्र नैनी में लगाया गया है जिससे 30 एम0एल0डी0 पानी की सिंचाई आदि के कामों के लिए उपयोगी बनाया गया है। जो बड़े नाले हैं जिनका प्रदूषित पानी नदियों में जा रहा है उस पानी को इस्तेमाल करने योग्य बनाने के संबंध में कार्य किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने पूछा है कि मानक क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जो मानक है, इलाहाबाद का 29 प्रतिशत है, फर्रुखाबाद का 30 प्रतिशत है और वाराणसी का 33 प्रतिशत है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंनें पूछा है कि इलाहाबाद में प्रथम चरण के पूरा होने के बाद प्रदूषण कितने प्रतिशत रह गया है ? दोनों चरण जब पूरे हो जायेंगे तो प्रदूषण का लक्ष्य कितने प्रतिशत तक पूरा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंनें बताया है कि 29 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का कार्य चल रहा है तीसरे चरण में शत-प्रतिशत हो जायेगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। मानक बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

इतनी कार्यवाही होने के बाद पानी के शुद्धीकरण का प्रतिशत क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 29 प्रतिशत पानी साफ किया जा चुका है और इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया है। दूसरे चरण का काम चल रहा है।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, यह जो प्रदूषण नदियों में है उसकी परिभाषा में माननीय मंत्री जी नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, पानी में दो तरह की अशुद्धियां होती हैं। एक घुलनशील जो पानी में घुल जाती है और पानी को प्रदूषित कर देती है दूसरी अघुलनशील जो नष्ट नहीं होती है। इसके अलावा वैक्टीरिया होते हैं जिनका प्रतिशत दो-तीन तक मान्य है। इन अशुद्धियों को दूर करने के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नालों में सेटलिंग होती है इस तरह के टैंक्स बनाये जाते हैं जिनमें गन्दगी, रोड़े, पत्थर, मिट्टी, कीचड़ सेटिल हो जाता है, नीचे बैठे जाता है जिसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है और पानी में क्लोरीन आदि दवाएं डाल कर पानी को इस काबिल बनाया जाता है कि उससे सिंचाई हो सके उसमें जानवर नहा सकें, कपड़े आदि धोये जा सकें। इस तरह से 30 एम0एल0डी0 पानी इन टैंक से गुजार करके सिंचाई के योग्य बना दिया गया है।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी--

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा प्रश्न है सदन के माध्यम से जनता को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उत्तर नहीं आ रहा इस संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दीजिये। अब आगे चलते हैं।

तारांकित प्रश्न

मण्डी परिषद् द्वारा विकास हेतु चयनित लोहिया ग्राम के चयन का मानक

*।--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद् अधिनियम में क्या ग्रामों के विकास का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या लोहिया ग्राम योजना तथा उसके विद्युतीकरण की योजना का कार्यान्वयन मण्डी परिषद् द्वारा किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि लोहिया ग्राम के चयन का मानक तथा इसके विकास की प्रक्रिया क्या है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लोहिया ग्राम का चयन सम्मानित जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर संबंधित मण्डी समिति के प्रस्ताव के आधार पर मण्डी परिषद् द्वारा किया जाता है। चयनित ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत आवागमन को सुगम बनाने हेतु सी0सी0 रोड/नाली का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की स्थापना करायी जाती है। विद्युतीकरण का कार्य भी मण्डी परिषद् एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के मध्य हुए समझौते एवं निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जायेगा तथा अन्य सामुदायिक अवस्थापना के कार्य भी धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जा सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि मण्डी परिषद् अधिनियम में क्या ग्रामों के विकास का प्राविधान है इसका मंत्री जी ने उत्तर दिया जी हां। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मण्डी परिषद् अधिनियम की किस धारा में ग्राम विकास का शब्द आया है और किस धारा मे ग्रामों का विकास करने का प्राविधान है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आपका गांवों से क्या मतलब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 हजार मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि ग्राम के चयन का मानक क्या है किस आधार पर यह चयन करेंगे और ऐसे ग्रामों का विकास करेंगे। तीसरा जनप्रतिनिधियों की परिभाषा क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न किया कि किस धारा में ग्राम विकास शब्द आया है तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मण्डी परिषद् अधिनियम की धारा 16 (1), धारा 16 (2) उपधारा 7 (क) एवं 7 (घ) धारा 26 क के तहत मण्डी स्तर पर विकास कार्य कराए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया कि मानक क्या है यह किसानों का पैसा है इसलिए किसानों का पैसा किसानों के बीच में खर्च हो और किसानों को सुविधा मिले अत: जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक और पूरे प्रदेश में इस तरह से 200 गांवों का हमें एक साल के अन्दर विकास करना है। तीसरा सवाल जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या है तो जो जनता से सीधे चुनकर आएगा वही जनप्रतिनिधि है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मण्डी अधिनियम मेरे पास है इसकी धारा 16 भी है इसको आप देख लें आपकी टेबल पर है इसमें कहीं पर ग्राम विकास शब्द नहीं आया है। मण्डी का गठन इसलिए हुआ कि किसानों की उपज मण्डियों तक आसानी से पहुंचने में उनको सुविधा प्रदान की जाय। इसलिए इसका गठन हुआ। यह अपने उद्देश्य से हटा जा रहा है मान्यवर।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, प्रश्नों के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। पहले हमारी पूरी बात आ जाय उसके बाद। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी तहसीलें हैं जहां पर यार्ड नहीं बनाये गये। इसका उद्देश्य यार्ड बनाना, इसका उद्देश्य किसानों की उपज को मण्डी तक पहुंचाने का है। अर्थात् जो रास्ते हैं गांव का इन्टर्नल विकास इसकी परिभाषा में नहीं आता है। माननीय मंत्री जी इसको संशोधित कर लें तब ही गांव का इन्टर्नल विकास हो सकता है। प्रश्न यह है कि मानक का निर्धारण होना चाहिए। क्या आबादी है, पिछड़ापन है ? पिछड़ापन है तो किस स्तर का है ?

श्री अध्यक्ष--

आप सुझाव दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, क्षेत्र का विकास हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे भी आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें होना यह चाहिए कि अगर गांवों का विकास होना है तो उसके लिये पंचायती राज है, ग्राम्य विकास विभाग बना है। हो क्या रहा है कि जिसने चाहा प्रस्ताव दे दिया और उसको मण्डी समिति से मंगा लिया गया। कोई मानक नहीं है कि आबादी कितनी हो, पिछड़ापन कितना उसमें माना जाय। इसलिये मेरा कहना है कि इसमें मानक निर्धारित होना चाहिए और यदि उस मानक के अन्दर आता है तब ही मण्डी समिति उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव करे। क्योंकि कोई मानक नहीं है इसलिये जिसका चाहे कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इसके लिये प्राइवेट बिल ला सकते हैं, क्यों नहीं ले आते ? आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं।

(दो-तीन सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मानक क्या है, यह तो बताना ही पड़ेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह थोड़ा चिन्ताजनक विषय है क्योंकि गांव के विकास से संबंधित प्रश्न था और यह प्रश्नकाल भी जाहिर है कि बहुत एहमियत का होता है। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गांवों का विकास हो। इसलिये इधर-उधर कर दिया और कुछ इस तरह के शब्द बोले गये हैं जो किसानों के लिये अपमान और अवमानना के हैं। इसलिये मेरा कहना है कि आप इसको दिखवा लें और कार्यवाही से निकालवा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

खन्ना साहब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मानक इस मूल प्रश्न से संबंधित है। गांवों के चयन का मानक क्या है ? बतायें।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जन प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, पिछड़ा गांव, गरीबों का गांव और गांव तो गांव है, मण्डी परिषद् का प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूं कि जब हर कोई माननीय सदस्य चाहता है कि गांव का विकास हो यहां पर गांव का विकास न हो, क्यों हो रहा है ? इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्षमा करें। ये मिसलीड कर रहे हैं। अपनी आदत के मुताबिक ये इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। गांव-गांव है चाहे वह गांधी जी के नाम पर गांव हो। अम्बेदकर ग्राम हों, लोहिया जी के नाम पर हों, विकास के लिए कोई गांव चयनित होना है तो सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

चयन की प्रक्रिया के बारे में दो चयन समिति चाहता हूं एक तो चयन समिति बने जिसमें विधायकों की राय ली जाए। दूसरी मान्यवर एक चयन समिति नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री जी और उसमें नरेश अग्रवाल जी को भी शामिल कर लें जो वह माननीय खन्ना जी के लिए चयनित कर दें, कोई अच्छा सा प्रस्ताव दे दें ताकि उनके लिए चयन हो जाए। वह अब तक अपने लिए चयन नहीं कर पाए हैं गांव के लिए क्या चयन करेंगे । (हंसी)

मेरा सुझाव है ऐसी कोई समिति बना दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जब मिली जुली सरकार चली उस वक्त अरमान पूरे नहीं हो सके तो इस वक्त क्या होंगे । (हंसी)

श्री लालजी टण्डन--

स्टाफ तो इनके पास है।

श्री अध्यक्ष--

जल्दी समाप्त करें, दूसरा प्रश्न लेना है।

श्री प्रमोद कुमार--

एक समिति बना दें संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल और नरेश अग्रवाल जी की, खन्ना साहब उनके चयन करने की घोषणा यहां करेंगे ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

दूसरी समिति गठित करने की जो बात कही गई है संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल और नरेश चन्द्र जी की उसमें यह खुद शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं प्रमोद कुमार जी के बारे में कोई कमेन्ट नहीं करना चाहता हूं उनसे अलग से बात कर लूंगा इन्होंने मेरे लिए चिन्ता व्यक्त की है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यदि आबादी का मानक है तो आबादी के हिसाब से, अगर पिछड़ेपन का मानक है तो पिछड़ेपन के हिसाब से, कोई तो पैमाना होना चाहिए। जो गांव पहले से विकसित है उसको ले लिया गया जो अम्बेदकर गांव में आ गए उसको ले लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका मानक निर्धारित करके जनप्रतिनिधियों को सूचित करा दें। जनप्रतिनिधि में सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य किसके पहले लिए जायेंगे ? यह परिभाषित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

एक गांव लेना है और पांच विधायक कितने ब्लाक प्रमुख होते हैं बहुत लम्बी प्रक्रिया है। मंत्री जी ने आपकी बात सुन ली है।

प्रदेश में सूखे से प्रभावित जिलों में भू-राजस्व वसूली माफ करने की योजना

श्री राम इकबाल सिंह--

*2--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्ष सूखे से प्रभावित जिले के किसानों की भूराजस्व वसूली माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)--

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए भू-राजस्व माफी सम्भव नहीं है। किसानों को कृषि निवेश अनुदान के माध्यम से राहत सहायता पहुँचाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के इस संवेदनहीन उत्तर से प्रदेश की जनता में गलत संदेश जाएगा। श्रीमन् 100 वर्ष का सबसे बड़ा अकाल इस वर्ष पड़ा किसानों की हालत से पूरा सदन अवगत है। किसानों ने अपने धान को अपने हाथों से फूका है या काटा है। किसान की माली हालत इतनी खराब है कि इस साल जाड़े के मौसम

में उसकी बेटी की शादी रूक गई। ऐसे समय जब मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि क्या किसानों की जो राजस्व वसूली है, उसको माफ कर दिया जाएगा, मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया, 'जी, नही'। यह कहा जाता है कि यह किसानों की सरकार है, उत्तम प्रदेश बनाने की सरकार है। यह जो छोटी सी रकम किसानों के ऊपर है, उसके ऊपर भी संवेदना व्यक्त करने से सरकार भाग रही है। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा है और उस अनुदान को भी इतनी देर से मिलना।

श्री अध्यक्ष–

राम इकबाल जी, 9 प्रश्न हैं, अभी 7 बाकी हैं, 35 मिनट समय बाकी रह गया है, आप प्रश्न पूछिए। समय कम है।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, आप तो विवाह कमेटी गठित कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ।

मान्यवर, इस साल किसान ने किस प्रकार गेहूं बोया है, यह सभी जानते हैं, फिर भी आप किसान के भू-राजस्व को माफ नहीं करने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुदान दिया जा रहा है, यह अनुदान प्रति डिस्मिल क्या है, किस हिसाब से दिया जा रहा है और कब तक मिल जाएगा ?

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ इतना था कि 'क्या प्रदेश में विगत वर्ष सूखे से प्रभावित जिले के किसानों की भूराजस्व वसूली माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?' इसका उत्तर आ गया है, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में कहा है किसानों को कृषि निवेश अनुदान के माध्यम से राहत सहायता पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, किसानों के सम्बन्ध में दैवी आपदा के ऊपर जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसमें कुछ प्रदेश सरकार मिलाकर अनुदान देती है। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की सरकार का योगदान है और इसको मिलाकर जो प्रभावित किसान है उनकी सहायता कर रहे है।

श्री राम इकबाल सिंह–

75 और 25 का जो गणित मंत्री जी ने बताया है,मैं जानना चाहता हूं कि यह सहायता प्रति डिस्मिल या प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि आप प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर की दर से कितना अनुदान दे रहे हैं, क्या उसका आंकड़ा आपके पास उपलब्ध है यदि है तो बता दें।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, जिन किसानों की फसल 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो गयी है, उन्हें 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति और जिनकी फसल 50 प्रतिशत से कम नष्ट हुई है उन्हें 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जा रहा है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 75 प्रतिशत के सापेक्ष अब तक भारत सरकार से कितना रुपया मिल चुका है ?

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि जिसकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो गई है, उसे 2,500 रुपये और जिसकी 50 प्रतिशत से कम नष्ट हुई है, उसे 1,000 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है, यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है या प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है ?

श्री इकबाल महमूद–

यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है।

मान्यवर, एक हेक्टेयर के हिसाब से दिया है।

श्री अध्यक्ष–

एक हेक्टेयर कि एक एकड़ ? मतलब एक हेक्टेयर पर 2,500 रुपये दे रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 2,500 रुपये एक एकड़ पर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जितने रुपये की उपलब्धता रहती है उसी के अनुसार मिलता है। जब रुपये की उपलब्धता नहीं रहती है तो कम दिया जाता है।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों का 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए क्या मानक है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर,यह 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा प्रतिशत का ही मानक है।

चीनी निगम, सहकारी तथा निजी क्षेत्र के चीनी मिलों द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

* 3–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेराई सत्र का 31 दिसम्बर, 04 तक कितना गन्ना मूल्य चीनी मिलों द्वारा किस दर से भुगतान किया गया है ? चीनी निगम, सहकारी तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वामी ओइमवेश (गन्ना विकास राज्यमंत्री)

वर्तमान पेराई सत्र 2004-05में दिनांक 31-12-2004 तक प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल गन्ना मूल्य रु0 1,740.37 करोड़ देय था। जिसके सापेक्ष चीनी मिलों ने उक्त तिथि तक रु0 1,204.44 करोड़ का भुगतान किया। इस सत्र में प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा अगेती प्रजातियों हेतु रु0 112.00 सामान्य प्रजातियों हेतु रु0 107.00 तथा अन्य घोषित प्रजातियों हेतु रु0 104.50 प्रति कुन्टल की दर से भुगतान किया जा रहा है।

दिनांक 7-2-2005 की स्थिति के अनुसार निगम, संघ व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कुल देय गन्ना मूल्य का क्रमशः 23.35 प्रतिशत 23.70 प्रतिशत व 14.72 प्रतिशत (कुल बकाया का 16.78 प्रतिशत) बकाया है, जिसके शीघ्र भुगतान के प्रयास किये जा रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि दिनांक 7-02-05 में कितना देय बाकी है, कितना भुगतान हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल की तारीख तक चाहे चीनी निगम की चीनी मिल हो, संघ की चीनी मिल हो, या निजी क्षेत्र की चीनी मिल हो उन पर कितना रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान करना बाकी है ? और यह भुगतान वह कब तक करा देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, लेकिन इसमें 31 दिसम्बर, 2004 तक का पूछा था।

डा0 नरेंद्र कुमार सिंह गौर–

लेकिन मान्यवर, 7 फरवरी, 2005 तक का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें बता तो दिया है कि इतना-इतना प्रतिशत है। शायद आप रुपये में जवाब चाहते हैं।

डा0 नरेंद्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, एक दिन पहले तक की स्थिति सरकार के पास रहती है। मंत्री जी अगर उपलब्ध करा दें कि कल या परसों तक गन्ना किसानों का गन्ने का कुल कितना मूल्य भुगतान के लिए बाकी है और कब तक भुगतान करा दिया जाएगा ?

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, कुल देय रुपये 263.96 करोड़ था और भुगतान हुआ है 208.10 करोड़ रुपये और अब शेष है 55.86 करोड़। सहकारी देय 526.99 करोड़ रुपये, भुगतान किया है 411.43 करोड़ रुपये और अवशेष है 115.56 करोड़ रुपये। निजी क्षेत्र की चीनी मिल का देय 2,687.75 करोड़ रुपया और भुगतान हुआ है 2,326.54 करोड़ रुपया, अवशेष है 361.21 करोड़ रुपया। कुल तीनों का मिलाकर हुआ 3,478.70 देय है और भुगतान हुआ 2,946.07 रुपया और अवशेष है 532.63 करोड़ रुपये।

डा0 नरेद्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीनों का मिलाकर 532.63 करोड़ रुपया अवशेष है तो इसका कब तक भुगतान करा देंगे। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या 2003-2004 तथा 2002-2003 की पेराई सत्र का गन्ना मूल्य का भुगतान जो बाकी है इसको आप कब तक भुगतान करा देंगे और यह किस रेट से देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो इनका कोढ़ है।

डा0 नरेद्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारे जमाने में सौ प्रतिशत भुगतान हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यदि आपके पास कोई सूचना हो तो बता दीजिये। तथा यह जो अवशेष आपने बताया है 7 फरवरी, 2005 का यह कब तक दिला देंगे ?

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, बहुत शीघ्र ही इसका भुगतान करा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

रिजवी साहब आप बैठ जायें।

डा0 नरेद्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमने यह प्रश्न पूछा है कि गन्ना किसानों का 2003-2004 तथा 2002-2003 का जो गन्ना मूल्य बकाया है इसका भुगतान कब तक करा देंगे ? मान्यवर, कल वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य 112.00 रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी जब आप भाषण करेंगे तो उसमें बोल लीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हर प्रश्न पर गौर साहब का भाषण कब तक सुनते रहेंगे। अगर सुझाव देना है तो भाषण में कहियेगा।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन–

आप देख रहे हैं कि प्रश्न प्रहर को कौन नहीं चलने दे रहे हैं। मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया और कोई कार्यवाही का आश्वासन भी नहीं दिया गया है, जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पायी है। प्रश्न प्रहर में सप्लीमेंटरी करना यह हमारा अधिकार है लेकिन ये लोग यह भी नहीं करने देना चाह रहे हैं। यह जान-बूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

(श्री रामकरन आर्य द्वारा उठकर बोलने पर)

माननीय आर्य जी यह कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर आ जाने दीजिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पिछले दो पेराई सत्र में कितना गन्ना मूल तय किया गया था? मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सौ रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य तय किया गया था। उस समय चीनी का मूल्य 12-13 रुपये प्रति किलो यानी 12 सौ, 13 सौ रुपये प्रति कुन्तल था। इस समय गन्ना मूल्य 112 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित है और चीनी का मूल्य 22-23 रुपये प्रति किलो यानी 2200-2300 रुपये प्रति कुन्तल चीनी बिक रही है। इस दृष्टिकोण से क्या सरकार एक और 13 के अनुपात में अर्थात् 177 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित करेगी ?

स्वामी ओइमवेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार ने भाव घोषित किया था तो उस समय चीनी का भाव जितना आप बता रहे हैं उतना नहीं था। अगर उस समय चीनी का भाव यह होता तो निश्चितरूप से सरकार ज्यादा से ज्यादा भाव निर्धारित करती।

प्रदेश में खेल नीति बनाने तथा खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने की मांग

श्री श्याम देव राय चौधरी–

*4–क्या खेल-कूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई खेल नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या प्रतिभावान खिलाड़ियों के पलायन को रोकने हेतु प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी (खेल-कूद, युवा कल्याण मंत्री)–

प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए नयी खेल नीति बनाये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन यहां कोई सम्यक् नीति न होने के कारण खेल को बढ़ावा नहीं मिल पाता और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वह यहां से पलायन कर जाते हैं, अपने भविष्य को देखते हुए। मान्यवर, पिछली सरकार से भी मैंने यह प्रश्न किया था, उस समय उत्तर मिला था कि खेल नीति बनाई जा रही है और अब जो यह उत्तर दे रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए नयी खेल नीति बनाये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है। मैंने पूछा यदि हां तो वह नीति क्या है ? यह कह रहे हैं प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, यह विसंगति देखें तो क्या इसको मान लिया जाए कि कोई खेल नीति ही नहीं है प्रदेश में और अगर है तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए था कि खेल नीति यह है और इसमें कोई परिवर्तन लाने का विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप कोई प्रश्न तो करें, मैंने पढ़ा है कि प्रकरण शासन को विचाराधीन है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, कोई नीति होती तो वह बता देते तो यह समय बच जाता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, पिछली सरकार में भी यही उत्तर मिला कि खेल नीति बननी है और वह खेल नीति नहीं बनी, सरकार भी चली गयी और इस सरकार में वह नीति बनाने के लिए विचाराधीन है, तो क्या इस सरकार में रहते हुए यह खेल नीति बन जाएगी और सरकार इस पर गम्भीर है ? और यदि है तो क्या खेल नीति बनाने के लिए कोई विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है और अगर बनाई गई है तो कब तक उससे इसकी प्राप्ति हो जाएगी ?

श्री आर0 के0 चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चौधरी साहब पुराने सदस्य हैं, अब अगर पिछली सरकार ने यह नीति नहीं बनाई तो यह उनकी ड्यूटी थी। हम तो इसमें प्रयासरत हैं और हमारा प्रयास है इसी बजट सत्र में नई खेल नीति की घोषणा कर देंगे। इसके अलावा मान्यवर, हमारा कहना है कि जो खेल नीति बनाने का हमने प्रयास किया है उसमें जन प्रतिनिधियों से, खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से और विभाग के अधिकारियों से बराबर मीटिंग करके दिशा तय किया है। और मान्यवर, अन्तिम निर्णय की ओर हम बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम खेल नीति घोषित कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ में अनेक स्टेडियम बनाये गये है। लेकिन कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि यह स्टेडियम विवाह घर बन कर रह गये हैं और खिलाड़ियों के उपयोग में कम आते हैं। मान्यवर, हमारे राजाजीपुरम्, लखनऊ में जो स्टेडियम है वह बराबर शादी -ब्याह के लिए बुक हो रहा है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्टेडियमों को खेलने के अलावा वहां अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबन्ध लगाने का कष्ट करेगी ?

श्री आर0 के0 चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है निश्चित रूप से हम उसे देखेंगे और निश्चित रूप से यह करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो स्टेडियम हैं वह खेलने के अलावा अन्य किसी मकसद से नहीं दिये जाने हैं। अगर किसी ने दिया है तो उसमें कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा है कि नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने पर विचार कर रहे है उसमें हमने जवाब दिया है कि जी हां। उसमें आप सवाल पूछते।

श्री अध्यक्ष–

अब उन्होंने नहीं पूछा तो ठीक है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, कोई खेल नीति तो है उससे जो वर्तमान खेल नीति बनाई जा रही है जैसा कह रहे हैं मंत्री जी कि हम खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं तो जो वर्तमान में खेलनीति बना रहे हैं वह किस मायने में बेहतर है और उसकी विशेषताएं क्या है ?

श्री आर0 के0 चौधरी–

मान्यवर, अभी तक कोई ऐसी खेल नीति नहीं थी जिससे पूरे खेल जगत को बढ़ावा मिले । इसी के तहत हमने नये सिरे से तैयारी शुरू की है और एक साल में इसमें अथक प्रयास किया है।

मान्यवर, हमने खेलनीति में आजीवन पेंशन के लिए उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलम्पिक, अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया हो और स्टेट की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो और जिनकी मासिक आमदनी दस हजार रुपये से अधिक न हो उनको ओलम्पिक वाले को पांच हजार रुपये प्रतिमाह, अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह और राष्ट्रीय खिलाड़ी को दो हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का विचार हम कर रहे हैं जो आपने कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों का पलायन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें हमें चिन्ता है और उनके लिए हमने आकर्षक योजनाएं बनाई है जो विचाराधीन है इसके अन्तर्गत प्रदेश की शासकीय सेवाओं में समूह क में प्रतिभावान खिलाड़ी को दो प्रतिशत आरक्षण रखने की बात है इसी तरह से समूह ख, ग और घ में आरक्षण की व्यवस्था हम देने जा रहे हैं।

इसके साथ ही साथ लम्बे समय से जो पुरस्कारों की राशि बढ़ाने की बात लम्बित थी, उसमें हमने बढ़ोत्तरी की कार्यवाही की है जिसकी एक लम्बी सूची है। मान्यवर, मैं नमूने के तौर पर बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेल में एकल गेम में स्वर्ण पदक विजेता के लिए जो अनुमन्य पुरस्कार राशि अभी तक 20 हजार रु0 थी वह बढ़ाकर 3 लाख रु0 किये जाने का विचार हमने किया है। इसी प्रकार रजत पदक विजेता के लिए जो 12 हजार रु0 की पुरस्कार राशि थी उसे बढ़ाकर दो लाख रु0 करने का हमने विचार किया है। इसी प्रकार कांस्य पदक विजेता के लिए जो 9 हजार की राशि थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रु0 करने की बात है। इसी प्रकार मान्यवर टीम गेम्स में स्वर्ण के लिए 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख रु0 करने,. रजत के लिए 6 हजार रु0 से बढ़ाकर 50 हजार रु0 तथा कांस्य के लिए 4 हजार रु0 से बढ़कर 25 हजार रु0 किये जाने का विचार हमने किया है। इस तरह से मान्यवर हमने इस दिशा में कुछ निर्णय लेने की ओर कदम बढ़ाया है इससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका पलायन रुकेगा।

कलक्ट्रेट वाराणसी में कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण नीति

श्री बाबू लाल कुशवाहा–(अनुपस्थित)

*5–क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्ट्रेट, वाराणसी में कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर सम्बन्धी शासनादेश संख्या--13/34/90 (1) का--1--1994, दिनांक 10-10-94 का अनुपालन न होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2002-03 में गन्ने के मूल्य का भुगतान

*6–डा0 अजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के निजी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2002-03 में कुल कितना गन्ना किसानों से खरीदा गया ? क्या सभी मिलों द्वारा 95 व 100 रु0 प्रति कुन्तल की दर से सभी गन्ना कृषकों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

स्वामी ओइमवेश–

प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2002-03 में कुल 4537.33 ला0 कु0 गन्ना किसानों से खरीदा गया। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने मा0 उच्च न्यायालय से राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस0 ए0 पी0) (रु0 95.00 व 100.00 प्रति कुन्टल) पर स्थगनादेश प्राप्त कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम् गन्ना मूल्य (एस0 एम0 पी0) की दर से किसानों को भुगतान किया है।

उक्त स्थगनादेश को वैकेट कराकर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस0 ए0 पी0) निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर भी लागू कर दिया गया है, जिसका भुगतान किसानों को कराने का प्रयास किया जा रहा है।

डा0 अजय कुमार –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पेराई सत्र 2002-03 में 52 उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें हैं जिन्होंने अब तक भुगतान नहीं किया है ? दूसरा, एस0एन0 ए0 और एस0 ए0 पी0 के अन्तर का भुगतान कितना है 2002-2003 का और माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके भुगतान का प्रयास किया जा रहा है, वैसे स्टे वैकेट कराया है इसके लिए बधाई लेकिन इसको तो बहुत दिन हो गये हैं। यह एक साल की कमाई है लाखों -करोड़ों किसान इस पर निर्भर हैं वह पैसा मिला नहीं, तो मैं आपसे अपना संरक्षण ही नहीं किसानों का भी संरक्षण चाहता हूं कि उसमें अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये, इसका खुलासा होना चाहिए ?

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 2002-2003 का अन्तर भुगतान कितना है तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 517.30 करोड़ रुपया बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमारी सरकार बनी तब से अगस्त, 2003 से मार्च, 2004 तक 4080.51 करोड़ का भुगतान किया गया, अप्रैल, 2004 से 8 फरवरी, 2005 तक 4369.24 का भुगतान किया गया इसमें 2679.41 वर्तमान सत्र का हमारी सरकार ने भुगतान किया है। अगस्त, 2002 से मार्च, 2003 तक 2772.93 का भुगतान किया गया, अप्रैल, 2003 से 8 फरवरी, 2004 तक 4203.50 का भुगतान किया इसमें वर्तमान सत्र का 1094.09 भुगतान है। अन्तर का 1473.31 करोड़ रुपये का भुगतान इस सरकार ने किया है इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है।

पूर्वांचल विकास निधि से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु धनराशि का आवंटन

*7–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से क्या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 में उक्त योजना हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

जी हां।

रु0 18.75 करोड़।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, जो धन अवमुक्त करना बताया गया है उसमें से कितना धन सम्पूर्ण जनपदों में चला गया है और कब गया है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, जितना भी पैसा था, यह पहली सरकार है जिसमें दिसम्बर के महीने तक पूरा का पूरा पैसा जिलों में भेज दिया गया है।

भूमि के पट्टों के लम्बित मुकदमों के निस्तारण हेतु योजना

*8–श्री राम करन आर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के पट्टो के लम्बित मुकदमों को शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

जी हां।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पट्टे हैं दलितों के खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के उनमें कुछ पट्टे ऐसे हैं जिनके 20-20 साल से मुकदमें चल रहे हैं तो क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी गठित करेगी जो तत्काल भौतिक सत्यापन करके उसी स्थान पर उसका निस्तारण कर दे ? क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी बनायेगी ? और जो आपने कहा है कि विचाराधीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन है ? कैसे इनके निस्तारण की नीति है और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या कोई कमेटी गठित करके सरकार इनका निस्तारण करेगी ?

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं सिर्फ पट्टों का ही नहीं बल्कि समस्त राजस्व मुकदमों के बारे में बता रहा हूं। उनके निपटाने में तेजी लाने के लिये शासनादेश जारी हुये हैं। जिसमें समस्त मंडलायुक्त, अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्याय तथा जिलाधिकारी, इन सबको बताया गया है कि वह एक महीने में कितने वादों का निस्तारण करेंगे। इसके अनुसार मंडलायुक्त एक माह में 60 वाद, अपर आयुक्त प्रशासन 120 वाद, अपर आयुक्त न्याय 200वाद और जिलाधिकारी 70 वाद का निस्तारण करेंगे। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी इसी प्रकार वादों का निस्तारण करेंगे। जिससे मुकदमों के निपटान में तेजी लाई जा सके। मान्यवर, परेशानी तब होती है, जब बहुत से लोग न्यायालय में एप्लीकेशन दे देते हैं या कभी वकील हड़ताल पर चले जाते हैं। इसी कारण से हमारी सरकार ने मुकदमें के तेजी से निपटाने के लिये इन सब अधिकारियों को लगाया है, हमें उम्मीद है कि इससे मुकदमों के निपटाने की गति में तेजी आयेगी।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई एप्लीकेशन दे देता है, मुकदमा लम्बित रखने के लिये। तो मैं चाहता हूं कि तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 सबको मिलाकर एक कमेटी गठित हो जाय और वह मौके पर जाकर देख ले कि जो पट्टों के मुकदमे चल रहे हैं, वह क्यों चल रहे हैं ? पट्टा जायज है, नाजायज है, किसी का घर तो नही है, अगर है तो फिर कैसे इसका पट्टा कर दिया गया ? अगर खेती योग्य जमीन है तो मौके पर उसका निस्तारण हो जाय, हमारी यही मंशा है। बाकी आदेश तो होते रहते हैं। हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है और हम जनता को राहत देना चाहते हैं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी कमेटी गठित करेंगे ?

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से संतुष्ट हूं। हमारी सरकार इसीलिये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सोच रही है, बहुत जल्दी निर्णय लिया जायेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, माननीय राम करन आर्य जी ने कमेटी गठित करने के बारे में पूछा था, मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी गठित करने के दो लाभ होंगे। एक तो ऊसर, बंजर, कल्लर जमीन उपजाऊ बनेगी तो सरकार इनका पट्टा कर सकेगी और जो लोग एस0 डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 के आफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई सवाल नहीं है, पहले ही उत्तर में बता दिया गया है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है।

प्रदेश के किसानों को सूखा राहत देने हेतु निर्धारित मानक

*9—श्री सुखदेव राजभर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004-2005 में किसानों को सूखा से कुल कितने की क्षति हुई है ? क्या सरकार द्वारा किसानों को सूखा राहत देने हेतु कोई मानक बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मानक के आधार पर किसानों को सूखा राहत उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी—

कुल 9373497.123 हेक्टेयर की क्षति हुई है जिसका कुल अनुमानित मूल्य रु0 412259.687 लाख है।

जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में किसानों को अनुमन्य कृषि निवेश अनुदान हेतु मानक एवं दरें निर्धारित हैं।

जी नहीं।

इस मद में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0 सी0 सी0 एफ0) से प्राप्त सहायता राशि के सापेक्ष बजटीय प्राविधान द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से कराया जा रहा है। तत्पश्चात् सभी जनपदों से प्राप्त हो चुकी मांग के आधार पर एक साथ पूरी धनराशि अवमुक्त कर वितरित कराये जाने की योजना है।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर आपको मिला है, मंत्री जी उत्तर पढ़ दें तो सारा सदन जान जाय, बाकी सब लोग भी जान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, यह प्रदेश के सूखा पीड़ित किसानों से सम्बन्धित सवाल है .....।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जब पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ पाये और समय समाप्त हो गया तो क्या किया जा सकता है ? आपको प्रश्नोत्तर की कापी मिली है, यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत है तो उसे फिर से लगा दीजिएगा, वह आ जाएगा।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम-49 को लिख करके दे दीजिये।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया में क्षेत्र चिलकहर में चौभड़ा से सवना नहर तक सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

श्री राम इकबाल सिंह–

1–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया में चौभड़ा से सवना नहर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या उसका पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 1995-96 में पूर्वान्चल विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराया गया था। सांसद/विधान क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य नहीं कराये जा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद, तहसील सदर, परगना हवेली अवध, ग्राम सभा उसेरू की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही।

2–श्री कल्याण सिंह दोहरे–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा उसेरू, परगना हवेली, अवध, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद के ग्राम प्रधान श्री राम चन्दर यादव द्वारा उक्त ग्राम सभा की बेजर पशुचर/तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करने पर उप जिलाधिकारी, सदर, फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या 858, दिनांक 28-8-2004 द्वारा अपनी जांच आख्या जिला अधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां।

जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, ब्लाक खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम दुर्गन के समीप भड़भड़वा नाले पर निर्मित पुल पर रेलिंग का पुनर्निर्माण

3–श्री राम नाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम दुर्गन के समीप भड़भड़वा नाले पर निर्मित पुल की रेलिंग पूर्ण रूप से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलिंग का पुल बनवायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत पुल को रेलिंग का निर्माण कराये जाने हेतु आदर्श जनपद योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया गया है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम हलियापुर (तेरहुंत मोड़) से ग्राम दुर्गन तक सड़क के कच्चे मार्ग की लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग

4--श्री राम नाथ--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम हलियापुर (तेरहुंत मोड़) से ग्राम दुर्गन तक जाने वाली सड़क भड़भड़वा नाले के पुल तक डामरीकृत है परन्तु उक्त पुल के ग्राम दुर्गन तक फैजाबाद की सीमा में आने वाला 01 (एक) कि0 मी0 सड़क कच्ची है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का आगणन कराकर अवशेष सड़क का निर्माण पिच स्तर तक करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

सड़क के कच्चे भाग के लेपन स्तर तक निर्माण कराने का प्रस्ताव आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया गया है। निर्माण कार्य स्वीकृत होने पर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर सत्थिन घाट पर पुल का निर्माण

5--श्री राम नाथ--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पुल न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त घाट पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर सत्थिन घाट से लगभग 8 किमी0 नीचे (डाउन स्ट्रीम) में पक्का पुल उपलब्ध है जिससे यातायात सुचारु रूप से चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद व तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरावन कलां में चकबन्दी जोत आकार-पत्र में खाता धारकों के नाम अंकित होने का आधार

6--श्री कौशल किशोर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद व तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरावन कलां में खाता संख्या 660, खसरा संख्या 1397-ख एवं खाता संख्या 734, खसरा संख्या 386 व 1391 एवं खाता संख्या 1245, खसरा संख्या चकबन्दी जोत आकार-पत्र 45 व आकार पत्र 41 के

अनुसार किसके नाम दर्ज है ? वर्तमान खाता धारकों के नाम अंकित होने का क्या आधार है ? क्या सरकार जांच कराकर यथोचित् कार्यवाही पूर्ण कर सारा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम बरावन कलां, परगना तहसील व जिला लखनऊ के जोत चकबंदी आकार-पत्र 45 व 41 में गाटा संख्या 1397/5-13-0 श्रेणी-6 ऊसर खाते में गाटा संख्या 386/4-2-4 श्रेणी 5(1) नवीन परती खाते में व गाटा संख्या 1391/0-12-5 श्रेणी 5(3) बंजर खाते में दर्ज है। प्रश्न में उल्लिखित खाता संख्या 1245 जिल्द बन्दोबस्त (सी0एच0-45) में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सी0एच0-45 में क्रमांक 1 से 777 तक ही खाते अंकित हैं, यदि खाता संख्या 1245 का आशय से है तो गाटा संख्या 1245 आकार पत्र सी0एच0-45 में नन्हा पुत्र नोखई- निवासी ग्राम के नाम श्रेणी-2 सीरदार के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या 346 सी0एच0-45 के खाता 762 गाटा 1391 सी0एच0-45 के खाता 763 तथा गाटा 1397 सी0एच0-45 के खाता 777 में अंकित है।

अभिलेखों की व्यापक छानबीन एवं जांच कराई जा रही है, जाँचोपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी कार्यालय, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में आग लगने के कारण अभिलेखों को दुरुस्त कराने की मांग

7--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबंदी कार्यालय, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में अक्टूबर, 1990 में आग लगने के कारण 56 ग्रामों के अभिलेख जलकर राख हो गये थे जिसके कारण चकबंदी प्रक्रिया एवं धारा 52 का प्रकाशन का कार्य बाधित हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त अभिलेख दुरुस्त करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

चकबंदी कार्यालय फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में अक्टूबर, 1990 में आग लगने के कारण 56 ग्रामों के नहीं बल्कि 51 ग्रामों के अभिलेख जलकर राख हो गये थे, जिसके कारण चकबंदी प्रक्रिया एवं धारा-52 का प्रकाशन का कार्य बाधित हुआ।

उक्त 51 ग्रामों के सापेक्ष्य 13 ग्रामों के अभिलेख पूर्ण कर धारा-52 का प्रकाशन करा दिया गया है। शेष 38 ग्रामों (जिसमें 2 ग्राम जनपद फर्रुखाबाद एवं 3 ग्राम जनपद कन्नौज के हैं) का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील छिबरामऊ के जले हुये अभिलेख जनपद कन्नौज में ठीक कराने की मांग

8--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990 में चकबंदी कार्यालय, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद में जले हुए अभिलेख तह0 छिबरामऊ के थे ? क्या तह0 छिबरामऊ वर्तमान में जनपद कन्नौज में है ? यदि हां, तो क्या सरकार छिबरामऊ के अभिलेख कन्नौज में बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां।

जी हां, तहसील छिबरामऊ के जले हुये ग्रामों के अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था जनपद कन्नौज में की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा नाबार्ड के कार्यों में फर्जी भुगतान संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

9--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा नाबार्ड के कार्यों में एक करोड़ सात लाख रुपये के फर्जी भुगतान सम्बन्धी शिकायती-पत्र माह नवम्बर, 2004 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में श्री अब्दुल वहीद गुड्डू, प्रदेश सचिव, समाजवादी युवजन सभा, उ0प्र0 का एक शिकायती-पत्र दिनांक 14-12-2004 शासन में प्राप्त हुआ है।

शासन के पत्र दिनांक 31-1-05 द्वारा उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता (पी0 एवं नि0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत पुवायां में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

10--श्री मिथलेश कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत पुवायां में शाहजहांपुर मार्ग से खुटार मार्ग तक तथा पुवायां चौराहे से बड़ा मार्ग हाईडिल तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। इस मार्ग की समय-समय पर सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध सीमित संसाधनों से मरम्मत कराकर इसे यातायात हेतु सुलभ रखा जा रहा है।

सामान्य मरम्मत लगातार करायी जा रही है। विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों का वेतन भुगतान की मांग

11--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों का वेतन पिछले वर्ष से लम्बित है जिससे वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को वेतन कब दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर की चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों का विगत वर्ष माह दिसम्बर, 2004 तक का देय वेतन भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में केवल माह जनवरी, 2005 का वेतन भुगतान हेतु अवशेष है।

उक्त अवशेष वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित गांवों में खाद्यान्न वितरण एवं गृह अनुदान घोटाले पर शिकायती-पत्र

12--श्री राम हेत--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02-12-2004 जो जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित गांवों में खाद्यान्न वितरण एवं गृह अनुदान घोटाले की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है। इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की मलकपुर चीनी मिल द्वारा कृषकों से क्रय किया गया गन्ना तथा उसका भुगतान

13--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत की मलकपुर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2002-03 में कुल कितना गन्ना कृषकों से क्रय किया गया ? क्या उक्त पेराई सत्र का समस्त गन्ना भुगतान ब्याज सहित कृषकों को 95 व 100 रु0 प्रति कु0 की दर से किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बागपत की मलकपुर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2002-03 में कृषकों से कुल 96.27 ला0कुं0 गन्ना क्रय किया गया।

उक्त पेराई सत्र में निजी चीनी मिलों द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस0ए0पी0) पर मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर भारत सरकार के सांविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर से किसानों का भुगतान किया गया है।

उक्त स्थगनादेश को वैकेट कराकर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस0ए0पी0) निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर भी लागू कर दिया गया है, जिसका भुगतान किसानों को कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद बागपत, बड़ौत में स्टेडियम निर्माण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

14--डा0 अजय कुमार--

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/112684/2004 सचिव, खेलकूद को प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ौत जनपद बागपत में स्टेडियम बनाने के संबंध में है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी--

जी हां।

खेल विभाग द्वारा केवल जिला मुख्यालयों पर ही स्टेडियम निर्माण की योजना है। जनपद बागपत में स्टेडियम के निर्माण हेतु जिला प्रशासन से कम से कम 7.00 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बभनान चीनी मिल गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के संबंध में शिकायती-पत्र पर जांच के आदेश

15--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिव गन्ना एवं चीनी मिल के कैम्प कार्यालय एनेक्सी भवन, लखनऊ में पूर्व विधायक चौ0 ब्रिजेन्द्र सिंह का बभनान चीनी मिल गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के संबंध में शिकायती-पत्र दिनांक 8-5-04 माह मई, 2004 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में गन्ना आयुक्त को जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है।

16--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के प्रान्तीय लोक निर्माण खण्ड द्वारा विगत तीन वर्षों में यमुना नदी पर बने चिल्ला फेरी पान्टून पुल के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु आवंटित राशि का विवरण

17--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय लोक निर्माण खण्ड, जनपद--बांदा द्वारा विगत तीन वर्षो में यमुना नदी पर बने चिल्ला फेरी पान्टून पुल में मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि खर्च हुई है ? उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

विगत तीन वर्षों में रुपये 15.59 लाख की धनराशि खर्च हुई।

धनराशि का पूर्ण विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	आवंटन (लाख रु0 में)	व्यय (लाख रु0 में)
2001-02	2.94	2.89
2002-03	8.32	8.40
2003-04	4.30	4.30
योग . .	15.56	15.59

वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं ड्रेनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्र

18--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एव ड्रेनों के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग--5 को प्रेषित पत्रांक सं0 2238/संविआ/पू0वि0नि0/2003-04, दिनांक 24 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन के क्रमांक सं0--3 पर अंकित सामने घाट गंगा विहार कालोनी के मार्ग निर्माण संबंधी प्रस्ताव/आगणन व्यय अनुमान 18,06,000/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जनहित में समुचित निर्देश दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित कार्य को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ, ग्राम काकराबाद में कतिपय दबंग किस्म के लोगों द्वारा श्रीमती उषा देवी के बोई फसलों का नुकसान एवं मुआवजे की मांग

19--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या सरकार को ज्ञात है कि संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग-9 के पत्र सं0 1478/1-9-2002--104 एल0सी0/2002, दि0 30 अप्रैल, 2002 पर जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा ग्राम काकराबाद के कतिपय दबंग किस्म के लोगों द्वारा श्रीमती उषा देवी की भूमि पर बोई फसलों को नुकसान किए जाने की पुष्टि की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने फसलों को नुकसान की पुष्टि के अनुसार भुक्त-भोगी को मुआवजा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा फसल को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके संबंध में परिवादी सिविल न्यायालय में कम्पनसेसन वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

जनपद लखनऊ, तहसील सदर, ग्राम काकराबाद के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के किसानों की भूमि चकबंदी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के विवादित, आवंटित करने संबंधी शिकायती-पत्र

20--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना तथा श्री कोविद कुमार सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद व सदर तहसील, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम कांकराबाद के अनुसूचित जातियों-पिछड़ी जातियों के किसानों की भूमि चकबंदी अधिनियम, 1953 में दी गयी व्यवस्था के विपरीत उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ को आदेश सं0 69/01-02, दि0 6-8-2002 को जनहित में निरस्त कराये जाने विषयक डा0 सियाराम सागर विधायक का पत्र दिनांक 16-3-2004 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

उप जिलाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय के वाद सं0 69/01-02, अन्तर्गत धारा-33/39 भू0 राजस्व अधिनियम, ग्राम काकराबाद, परगना, तहसील व जिला लखनऊ सरकार बनाम श्याम सुन्दरी आदि में पारित आदेश दि0 6-8-2002 द्वारा ग्राम काकराबाद की खतौनी फ0 वर्ष 1407--1412 के खाता सं0 22, 448, 65, 331, 332 एवं 449 में अंकित थी, को खारिज कर इसे पूर्ववत श्रेणी ग्राम सभा बंजर में दर्ज कर दिया गया।

उपरोक्त खाता निरस्तीकरण आदेश फर्जी प्रविष्टि के आधार पर पारित किया गया। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निरस्तीकरण अपील या रिवीजन के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही संभव है। उक्त आदेश के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ में निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, तहसील सदर, ग्राम काकराबाद के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के किसानों की भूमि चकबंदी अधिनियम में दी गई व्यवस्था के विपरीत जांच कराने के आदेश पर कृत कार्यवाही

21--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना तथा श्री कोविद कुमार सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद व तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम काकराबाद के अनुसूचित जातियों व अन्य जाति के किसानों की भूमि चकबंदी अधिनियम, 1953 में दी गई व्यवस्था के विपरीत उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के आदेश दिनांक 6-8-2002 की जांच किसी सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव/विधि परामर्शी से कराये जाने विषयक श्री शाकिर अली, विधायक के पत्र दिनांक 18-9-2003 पर मुख्य मंत्री के विशेष सचिव द्वारा सचिव, राजस्व परिषद् को निष्पक्ष जांच कराकर समुचित कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किए गये थे ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

शिकायती-पत्र में उप जिलाधिकारी, लखनऊ के द्वारा वाद सं0 69/01-02 अन्तर्गत धारा-33/39 एल0आर0 एक्ट ग्राम काकरावाद, परगना व तहसील व जिला लखनऊ, सरकार बनाम श्याम सुन्दरी आदि में पारित आदेश दिनांक 6-8-2002 के संबंध में जांच करने की मांग की गई है। यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित हुआ है तथा इससे क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ में निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल निधि के राज्यांश वर्ष 2002-03 में स्वीकृत मार्ग सरसतपुर-रमईपुर नेवादा मार्ग तथा रूर से लालगंज मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि

22--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या पूर्वांचल 11/2611/35-5-2002--5/29/2000--76, दिनांक 27-12-02 अनुभाग--5 पूर्वांचल निधि के राज्यांश वर्ष 02-03 में स्वीकृत मार्ग सरसतपुर--रमइर्पुर नेवादा मार्ग 2 कि0मी0 तथा रूर से लालगंज मार्ग 5 कि0मी0 का कुल लागत मूल्य कितना निर्धारित किया गया है और उसका आधार एवं मानक क्या है ? क्या स्वीकृत लम्बाई के शेष निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

शासनादेश संख्या पू011/2611/35-5-2002--5(29)2000--76, दिनांक 27-12-02 द्वारा स्वीकृत मार्ग सरसतपुर--रमइर्पुर नेवादा मार्ग (लम्बाई 2.00 कि0मी0) की लागत रु0 16.12 लाख तथा रूर से लालगंज मार्ग (लम्बाई 5.00 कि0मी0) की लागत रु0 34.10 लाख स्वीकृत है। मार्गों की लागत लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधरित है।

शासन द्वारा उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं हेतु पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी, किन्तु लागत में वृद्धि हो जाने के कारण स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष उक्त परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। अवशेष कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग अरेला भाट पट्टी महरूरपुर व पीली नदी पर पुल तथा भीखमपुर-तेलियानी--लखनूडीह मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि मुक्त कराने की मांग

23--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या पू060/आ0 150/2002/35--5--02, दिनांक 27 जनवरी, 03 द्वारा पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग अरेला भाट पट्टी महरूरपुर 6 कि0मी0 व पीली नदी पर पुल तथा भीखमपुर--तेलियानी--लखनूडीह मार्ग 7.0 कि0मी0 का पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत धनराशि 212.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली नहर की पटरी की मरम्मत की मांग

24--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद--बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली नहर की पटरी जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है, जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पटरी की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग की सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध धनराशि से यथासंभव मरम्मत करके यातायात चालू रखा जा रहा है।

मांग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की मांग

25--श्री आर0एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निघासन में क्षतिग्रस्त मार्ग--निघासन से पलिया होते हुए खजुरिया तक व सिंगाही से तिकोनिया तक तथा ढ़खेरवा से निघासन तक मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गों को गड्ढा मुक्त कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

बाढ़ एवं वर्षा के फलस्वरूप अधिक क्षतिगस्त भागों को छोड़कर शेष लम्बाई में मार्ग को गढ्ढा मुक्त कर दिया गया है।

अधिक क्षतिग्रस्त भागों की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

*26--श्रीमती विद्या चौधरी--[2सरे सोमवार के अ0ता0रा0सं0 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के ग्राम लोहटीजई, परगना तहसील व थाना-रामनगर में अवैध रूप से बनवाये गये सम्पर्क मार्ग की जांच

27--श्री सुन्दर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने कृपा करेंगे कि श्री राम लाल अकेला, स0वि0स0 के उपरिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 04 के साथ संलग्न श्री शिव मंगल शरण त्रिवेदी, निवासी ग्राम--लोहटीजई,

परगना तहसील व थाना--रामनगर बारावकी के प्रार्थना-पत्र जोकि उपरोक्त ग्राम के गाटा सं0 202 में अवैध रूप से बनवाये गये सम्पर्क मार्ग की जांच कराने एवं पीड़ितों को न्याय दिलाये जाने के संबंध में था, मा0मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में अब तक क्या कार्यवाही की गयी / यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

अन्य स्रोत से प्राप्त पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ है कि सम्पर्क मार्ग गाटा संख्या 202 में नहीं बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में अवैध शराब की दुकान की जांच

28--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में कितनी शराब की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद सहारनपुर में कोई भी अवैध शराब की दुकान नहीं चल रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया ग्राम बुकनापुर द्वारा ग्राम पंचायत ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

29--श्री राम करन आर्य--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राम सवारे पुत्र स्व0 श्री भुलई, नि0 ग्राम बुकनापुर विकास खण्ड छपिया जनपद--गोण्डा द्वारा बभनान से सावरपुर जाने वाली सड़क के पश्चिम साइड में जो मकान बनाया गया है वह ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण को राजस्व अनुभाग--2 के शासनादेश सं0 3135/1-2-2001 रा-2, दिनांक 8 अक्टूबर, 01 के अन्तर्गत हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

श्री राम सवारे पुत्र स्व0 भुलई (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम बुकनापुर विकास खण्ड छपिया, जनपद--गोण्डा का मकान निजी भूमि पर है। इस मकान के आगे रखा गया छप्पर सड़क सीमा के अन्तर्गत आता था। इस छप्पर को दिनांक 05-02-2005 को हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी शहर में रिंग रोड योजना

30--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को नियंत्रित किये जाने हेतु रिंग रोड योजना क्रियान्वयन किस स्तर पर है ? कृपया यह भी बतायें कि उक्त प्रयोजन हेतु कितनी जमीन अवाप्त की गयी और प्रतिकर के रूप में किस दर से और कितना भुगतान किया गया ? उक्त योजना में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का किस अनुपात में क्या योगदान है एवं यह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वाराणसी शहर के चारों ओर रिंग रोड के दो भाग है। एक भाग राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 का दक्षिणी भाग एवं दूसरा उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग में वाराणसी के पश्चिम की ओर राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 पर मोहन सराय से निकल कर राम नगर के बाहर-बाहर होकर वाराणसी से पूर्व की ओर अलीनगर पर राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 में मिलता है और यह वाराणसी रामनगर मुगलसराय बाई पास के नाम से जाना जाता है। यह भाग निर्मित है और इस पर यातायात चल रहा है। प्रस्तावित उत्तरी बाईपास भाग मोहन सराय से एवं राष्ट्रीय मार्ग सं0-56 पर ग्राम हरउआ के पास एवं राष्ट्रीय मार्ग सं0-29 पर चिरई गांव ब्लाक के पास क्रास करते हुए राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 पर अलीनगर में मिलेगा। राष्ट्रीय मार्ग सं0-56 से राष्ट्रीय मार्ग सं0-29 के बीच के भाग पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 से राष्ट्रीय मार्ग सं0-56 तक एवं राष्ट्रीय मार्ग सं0-29 से राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 के बीच के भाग की फीसिबिलिटी अध्ययन हेतु आगणन सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

राष्ट्रीय मार्ग सं0-56 व राष्ट्रीय मार्ग सं0-29 के बीच 74-277 हेक्टेयर भूमि अध्याप्ति की जा रही है। धारा-4 व धारा-6 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है शेष दो भागों (सेगमेन्टों) में फीजीबिलिटी स्टडी के उपरान्त भूमि अध्याप्ति हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की गणना उपलब्ध हो सकेगी।

प्रतिकर भुगतान के लिये रु0 1288.09 लाख की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जा चुकी है, अभी तक प्रतिकर का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है।

योजना पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के अधीन है।

रिंग रोड के उत्तरी भाग का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति के उपरान्त ही तद्नुसार निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की लक्ष्य तिथियां निर्धारित करना संभव हो सकेगा।

राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद बलिया में आवंटित अवमुक्त धनराशि

31--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य मार्ग जिला मार्गों के मरम्मत हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया था तथा अवमुक्त धनराशि में से बलिया जनपद हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? क्या बलिया जनपद में नगरा, टड़वा, रतसड़ पचखोरा मार्ग हेतु धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से मरम्मत का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत प्रदेश के राज्यमार्ग, जिला मार्गों के विशेष मरम्मत हेतु कुल रु0 70.2927 करोड़ धनराशि प्रदेश के विभिन्न खण्डों को अवमुक्त किया गया था।

कुल अवमुक्त धनराशि में से बलिया जनपद हेतु रु0 1.3567 करोड़ धनराशि अवमुक्त की गयी।

इस मार्ग पर वर्ष 2003-04 में विशेष मरम्मत के मद में रु0 30.67 लाख का आवंटन किया गया था।

मार्ग पर अवमुक्त उक्त धनराशि का जनपद स्तर पर अन्य मद में किये गये व्यावर्तन की मुख्य अभियन्ता, वाराणसी से करायी गयी जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त विशेष मरम्मत का कार्य कराना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नगरा गड़वार बलिया मार्ग पर इसारी सलेमपुर से छिब्बी तक निर्माणाधीन सड़क हेतु अवमुक्त धनराशि

32--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरा गड़वार बलिया मार्ग पर इसारी-सलेमपुर से छिब्बी तक निर्माणाधीन सड़क हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? कितनी अवमुक्त कर दी गयी है तथा कितनी धनराशि शेष है ? शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

रु0 5.98 लाख की धनराशि स्वीकृत थी।

रु0 7.97 लाख अवमुक्त किया गया है।

कोई धनराशि शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया ग्राम डिंहवा चट्टी के सड़क निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

33--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया के अन्तर्गत डिंहवा चट्टी से पूरब विद्यालय होते हुये रामनाथ के पुरवा तक की सड़क निर्माण हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

रु0 4.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जी नहीं।

जिला योजना में कार्य हेतु धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थिति राम मंदिर के सामने शराब ठेके को स्थानान्तरित करने की मांग

34--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक स्थलों, विद्यालय परिसर की सीमाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध है ? क्या यह सही है कि सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित राम मंदिर के सामने शराब का ठेका चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्थान से शराब के ठेके को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। धार्मिक स्थानों, विद्यालय परिसर की सीमाओं एवं सार्वजनिक समागम के स्थान के बिल्कुल सन्निकट किसी नई दुकान की स्थापना पर ही चूंकि उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के अन्तर्गत प्रतिबंध है। अत: शराब बिक्री भी वहां से स्वत: प्रतिबंधित हो जाती है।

जी नहीं। सहारनपुर में घंटाघर पर मंदिर के सामने नहीं बल्कि सड़क के दूसरी साइड में लगभग 100 फीट की दूरी पर गत लगभग 25--30 वर्षों से शराब का ठेका स्थित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र पुवायां के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग

35--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर के 5 मार्गों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव दिनांक 17-6-2004 निदेश मण्डी परिषद्, लखनऊ उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावित मार्गों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या उक्त मार्गों का निर्माण समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु स्वीकृत बजट में नवीन सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इन मार्गों को स्वीकृत किया जाना एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण बजट में धनराशि की उपलब्धता एवं विकास खण्डों में प्राथमिकता निर्धारित होने पर कराया जाता है।

ग्राम सभा अंगौधा, विकास खण्ड मैनपुरी में अवैध पट्टों को निरस्त करने संबंधी पत्र

36--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अंगौधा, विकास खण्ड मैनपुरी, जनपद मैनपुरी में दिनांक 21-7-04 को ग्राम सभा की फर्जी बैठक कर पट्टे करने की शिकायत जिलाधिकारी मैनपुरी को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उक्त अवैध पट्टों को निरस्त करने की तथा उसमें शामिल दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

पट्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच उप जिलाधिकारी स्तर पर की जा रही है। जांचोपरान्त तथ्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा इसई गोपालपुर कुरावली के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध पट्टों को निरस्त किये जाने की मांग

37--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा इसई गोपालपुर कुरावली, जनपद मैनपुरी के प्रधान द्वारा वर्ष 1987 के पट्टों (संख्या चौदह) को 57 ख में दाखिल खारिज करवाने एवं खसरा खतौनी में इन्द्राज करवाने हेतु आवेदन किया है ? क्या उक्त 14 लाभान्वित नौकरी पेशा अथवा पूर्व से ही पैतृक भूमि के मालिक हैं ? यदि हां, तो क्या इन अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टे निरस्त किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां।

जी हां, पट्टा निरस्तीकरण का वाद कलेक्टर मैनपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के ग्राम पंचायत घिनहापुर में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण की मांग

38--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ में ग्राम पंचायत घिनहापुर में स्टेडियम की जमीन प्रस्तावित है ? क्या उक्त स्टेडियम स्वीकृत हो चुका है ? परन्तु धनाभाव के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु धन कब तक आवंटित किया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी--

जी हां।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ वि0स0 क्षेत्र मेंहनगर में आजमगढ़-वाराणसी मार्ग के श्रीरामगंज बाजार से हरेरामपुर तक लेपन कार्य कराये जाने की मांग

39--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़, वाराणसी मार्ग पर श्रीरामगंज बाजार से लखमी अवारपुर होते हुए हरेरामपुर पक्की सड़क हेतु गिट्टी की कुटाई कार्य सम्पन्न हो गया है लेकिन लेपन कार्य अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का लेपन कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति दो भागों में क्रमश: 1986-87 में जिला योजना के अन्तर्गत तथा वर्ष 1987-88 में ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत मिट्टी, पुलिया व पत्थर के खड़न्जा तक की गई थी। तद्नुसार सोलिंग स्तर पर पत्थर की गिट्टी की कुटाई का कार्य कराया गया है। लेपन कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद आजमगढ़ वि0स0 क्षेत्र मेंहनगर में आजमढ़-वाराणसी मार्ग पर गोमाडीह गोसाई की बाजार से नहर की पटरी की सड़क की मरम्मत की मांग

40--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में वाराणसी में आजमगढ़ मार्ग पर गोमाडीह गोसाई की बाजार से शारदा सहा0 खण्ड-23 नहर की पटरी की मरम्मत कार्य हेतु धन आवंटित होने के बावजूद भी अभी तक उक्त कार्य शुरू नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। जिसे मार्च, 2005 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

कार्य प्रारम्भ होकर प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, वि0स0 क्षेत्र मेंहनगर में चिरैयाकोट मेंहनापुर मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण कराने की मांग

41--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र--मेंहनगर आजमगढ़ में चिरैयाकोट मेंहनापुर मार्ग पर शिवरामपुर गांव तक गिट्टी कुटाई का कार्य सम्पन्न हो गया है लेकिन लेपन कार्य अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का लेपन कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 3.00 कि0मी0 के सापेक्ष प्रथम 1.20 कि0मी0 में लेपन कार्य पूर्ण किया जा चुका है और उससे आगे 0.800 कि0मी0 की लम्बाई में पत्थर की गिट्टी की कुटाई का कार्य पूर्ण है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

42--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र--मेंहनगर आजमगढ़ में आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर सराय-मोहन से इसहाकपुर बाजार तक 5 कि0मी0 लम्बी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों से मुरम्मत करके यातायात चलाया जा रहा है।

उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य

43--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कितनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य किया जा रहा है ? निजी क्षेत्र चीनी निगम एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को गत चार पेराई सत्रों (2001-02, 02-03, 03-04, 2004-05) में कितना गन्ना क्षेत्र आवंटित किया गया है ? क्या गन्ना क्षेत्र आवंटन को शासन द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्तमान पेराई सत्र में 104 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई कार्य किया जा रहा है।

पेराई सत्र 2001-02 में निजी क्षेत्र की कार्यरत 52 चीनी मिलों हेतु 14.21 ला0 हेक्टेयर, निगम क्षेत्र की कार्यरत 22 चीनी मिलों हेतु 2.24 ला0 हेक्टेयर तथा सहकारी क्षेत्र की कार्यरत 27 चीनी मिलों हेतु 4.54 ला0 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र का आवंटन किया गया।

पेराई सत्र 2002-03 में निजी क्षेत्र की कार्यरत 52 चीनी मिलों हेतु 16.18 ला0 हेक्टेयर, निगम क्षेत्र की कार्यरत 22 चीनी मिलों हेतु 2.67 ला0 हेक्टेयर तथा सहकारी क्षेत्र की कार्यरत 27 चीनी मिलों हेतु 4.99 ला0 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र का आवंटन किया गया।

पेराई सत्र 2003-04 में निजी क्षेत्र की कार्यरत 52 चीनी मिलों हेतु 16.08 ला0 हेक्टेयर, निगम क्षेत्र की कार्यरत 22 चीनी मिलों हेतु 2.39 ला0 हेक्टेयर तथा सहकारी क्षेत्र की कार्यरत 27 चीनी मिलों हेतु 4.41 ला0 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र का आवंटन किया गया।

पेराई सत्र 2004-05 में निजी क्षेत्र की कार्यरत 54 चीनी मिलों हेतु 14.58 ला0 हेक्टेयर, निगम क्षेत्र की कार्यरत 22 चीनी मिलों हेतु 1.95 ला0 हेक्टेयर तथा सहकारी क्षेत्र की कार्यरत 28 चीनी मिलों हेतु 3.88 ला0 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र का आवंटन किया गया।

गन्ना आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15 तथा गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली 1954, के नियम 22 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों को प्रति वर्ष गन्ना क्षेत्र आवंटित किया जाता है। गन्ना आयुक्त द्वारा निर्गत सुरक्षण आदेशों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन में अपील प्रस्तुत किये जाने की विधिक व्यवस्था है।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चौ0 चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजनान्तर्गत मार्गों की मरम्मत का कार्य

44--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत चौ0 चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत मार्गों के जीर्णोद्धार व मरम्मत सुधार एवं नवीनीकरण योजना वर्ष 2003-04 की भांति वर्ष 2004-05 में भी प्रभावी है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये कुल कितने कि0मी0 मार्ग का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य वर्ष 2004-05 में स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

ग्रामीण मार्गों के सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कुल 9.45 कि0मी0 मार्ग के सुधार एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कराने की मांग

45--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना से वर्ष 2001-02 में स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग पट्टी कोहडौर मार्ग पर अतरसण्ड से लोनी एवं ढिढूई-भाटपट्टी से परदहा-गौसपुर अरैला सोराई तथा महअहा-बरहुपुर-ढिढूई-वारीकला-शेषपुर-आधारगंज मार्ग स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग पट्टी कोहडौर मार्ग पर अतरसण्ड से लोनी तथा ढिढूई-भाट पट्टी से परदहा गौसपुर अरैला सोराई मार्ग एवं महअहा-बरहुपुर-ढिढूई-वारीकला-शेषपुर-आधारगंज मार्ग के वर्ष 2001-02 में स्वीकृत करने का प्रश्न में उल्लेख है, वस्तुतः वर्ष 2001-02 में पट्टी कोहडौर मार्ग पर अतरसण्ड से लोनी मार्ग ढिढुई-भाटपट्टी-परदहा-गौसपुर-अरैला-सोराई मार्ग तथा महदहा-बरहुपुर-ढिढुई-वारीकला से शेषपुर आधारगंज मार्ग स्वीकृत है।

वित्तीय संसाधना की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई से कतिपय गांवों को जाने वाली सड़क के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की मांग

46--श्री भगेलू राम--

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव के समय पूरी सड़क का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था तथा शासन द्वारा पूरी धनराशि निर्गत हुई थी ? यदि हां, तो अवशेष एक किलोमीटर सड़क अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सड़क को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

श्रम एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण सीतापुर साइड की 910 मीटर लम्बाई में मार्ग पूर्ण नहीं है।

जी हां।

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में स्वीकृत पुलों के निर्माण की मांग

47--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के पूर्वी छोर स्थित जमुवा मिर्जापुर मंगई नदी के पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा में चपरासी श्री जहीर हुसैन की मृत्यु

48--कैप्टन आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर की तहसील टाण्डा में चपरासी के पद पर कार्यरत श्री जहीर हुसैन की मृत्यु दिनांक 24-3-2004 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके आश्रित को नौकरी में ले लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आश्रित को कब तक नौकरी में ले लिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

मृत्यु दिनांक 24-3-2001 को हुई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में आदर्श जूनियर हाई स्कूल ताराखुर्द अकबरपुर को ग्राम सभा की भूमि दिलवाने का प्रकरण

49--कुँ0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श जूनियर हाई स्कूल, ताराखुर्द-अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को ग्राम सभा की भूमि दिये जाने के संदर्भ में ग्राम सभा ने 15-6-98 को प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय को भूमि दिलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित ग्राम नवीकोट नन्दना में अवैध कब्जे से बनी मिल को हटवाने की मांग

50--श्री बादशाह सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नवीकोट नन्दना, परगना महोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ की भूमि गाटा सं0 56 रकबा 455 है0 पर अवैध कब्जे से बनी मिल को हटवाने विषयक श्री अशोक सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या क-1 सं0 089447, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां, किन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मा0 सदस्य से पत्र की प्रति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में धर्मशाला स्थित उपरिगामी पुल का निर्माण

51--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन धर्मशाला स्थित उपरिगामी सेतु बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, इस सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माण कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

52--श्री नवाब सिंह नागर--

[दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों को आर्थिक सहायता

53--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03 में सूखा प्रभावित जिलों को राहत के तहत आर्थिक सहायता देने की कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को सूखा राहत अनुदान की धनराशि प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां, कृषि निवेश अनुदान हेतु धनराशि प्रदान की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी निगम एवं सहकारी चीनी संघ की चीनी मिलों की पेराई, लाभ-हानि आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण पर विचार

54--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी निगम एवं सहकारी चीनी मिल्स संघ की कुल कितनी चीनी मिलें हैं तथा कितनी चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र में पेराई की जा रही है ? कितनी चीनी मिलें लाभ एवं हानि में हैं ? क्या सरकार चीनी निगम एवं सहकारी क्षेत्र की कुछ मिलों को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार घाटे पर चल रही मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत 11 मिलें, उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम के अन्तर्गत 18 मिलें व 04 सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए कुल 33 चीनी मिलें तथा सहकारी चीनी मिल संघ के अन्तर्गत कुल 28 चीनी मिलें हैं जिनमें से वर्तमान पेराई सत्र में निगम की 22 चीनी मिलों तथा सहकारी संघ की सभी 28 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त निगम की एक अन्य मिल रामपुर इकाई को शीघ्र चलाया जाना सम्भावित है।

वर्तमान में निगम/संघ की सभी चीनी मिलें हानि में हैं।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 11, उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम की 8, रुग्ण व 5 बन्द इकाइयों अर्थात् कुल 24 चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है जबकि सहकारी क्षेत्र की किसी भी मिल को निजी क्षेत्र में देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त निर्णय निगम के समग्र रूप से निरन्तर बढ़ते हुए घाटे के दृष्टिगत् लिया गया है।

राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ही इन इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के हित में ही इन्हें लीज पर दिया जान प्रस्तावित है। जबकि संघ की घाटे पर चल रही मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की अनुपलब्धता तथा चीनी मिलों के पास वित्तीय संसाधनों के अभाववश उनका आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधिनियम में किसी भी ग्राम को चयनित कर विकसित करने का प्राविधान

55--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 के अधिनियम में किसी ग्राम को चयन करके विकसित करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 किस आधार पर लोहिया ग्राम का चयन करके विकसित करने की योजना बना रही है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर, विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत इड़ी पीढ़ी में दलित बस्ती से निकलने वाले मार्ग पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

50--श्री जयराम विमल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत रामपुर इड़ी पीढ़ी, विकास खण्ड रामनगर, तहसील-आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर की दलित बस्ती से निकलने वाले मार्ग पर दबंगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके उक्त मार्ग पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवाकर उक्त रास्ते को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर, ब्लाक पडरौना की ग्राम सभा रसूलपुर बेलहीं में ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने की जांच

57--ठाकुर मूलचन्द चौहान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर बेलही, ब्लाक-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा किन-किन लोगों के नामों से पट्टा किया गया है ? क्या यह सही है कि इसमें ज्यादातर अपात्र लोगों के नामों से पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी प्रधान को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

भू0प्र0स0 रसूलपुर बेलही के प्रस्ताव दिनांक 27-1-2003 के आधार पर कुल 50 व्यक्तियों को दिनांक 6-6-03 को आवासीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।

जांचोपरान्त केवल एक अपात्र व्यक्ति पाया गया है जिसके पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

58--डा0 राम बाबू हरित--[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत सीवर लाइन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

59--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 1999-2000 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद में सीवर लाइन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 28-9-2004 को मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया था, लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में अत्यन्त अल्प राशि अवशेष होने के कारण अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के कतिपय मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

60--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऊंच गांव मार्ग से लंगरपुर मार्ग पुरवा से चमयानी मार्ग, पुरवा से तिरिपुरापुर मार्ग, पुरवा से मिरौं-सहरावां मार्ग सहरवां से बनी मार्ग, मौरावां से अहेसा मार्ग, कालू खेड़ा असरेंदा-कुरी सुधौली मार्ग, भवानीगंज-खेरवा देवमई से पुरवा मार्ग, काले खेड़ा-बरौली से पुरवा मार्ग तथा असोहा से वाया पाठकपुर, सोहरामऊ मार्ग कई वर्षों से अर्द्धनिर्मित पड़े हैं तथा काफी क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं ? क्या यह सही है कि उक्त सभी मार्गों के निर्माण हेतु शासन द्वारा पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त अर्द्धनिर्मित मार्गों का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों की मार्गवार स्थिति निम्नवत् है :--

1--**ऊंच गांव से लंगरपुर मार्ग**--यह मार्ग वर्ष 2004-05 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है।

2--**सहरावां से बनी मार्ग**--इस मार्ग की बनी सड़क की 1.30 कि0मी0 लम्बाई पूर्व में केवल सोलिंग स्तर तक निर्मित है। लखनऊ-कानपुर नेशनल हाइवे पर बनी के पास निर्माणाधीन सई नदी सेतु की पहुंच मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया जा सकेगा।

3--**मौरावां से अहेसा मार्ग**--यह मार्ग धनाभाव के कारण वर्ष 2001-02 में पूर्ण नहीं हो सका था, जिसे वर्ष 2003-04 में निर्माण की शेष धनराशि प्राप्त होने पर इसी वर्ष लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है।

4--**कालूखेड़ा धरौली से पुरवा मार्ग**--किसी योजना में प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं है।

5--शेष सभी मार्ग पूर्व से ही अनुरक्षण में हैं तथा वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के विकास खण्ड तरवां के हनुमान मन्दिर के सुन्दरीकरण कराने की मांग

61--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत बसगांव वि0खं0 तरवां जो गांधी ग्राम चयनित है और वहां पर स्थित हनुमान जी का मन्दिर जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

ग्राम बांसगांव में हनुमान मन्दिर आबादी के मध्य स्थित है। मन्दिर जीर्ण-शीर्ण नहीं है। पुख्ता हालत में है। मन्दिर का निर्माण कार्य 1985 में श्री रामरज दूबे पुत्र देवीचरन दूबे नि0 बांसगांव द्वारा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना के ग्राम दीन नगर के मार्ग निर्माण कार्य के श्रमिकों का भुगतान कराये जाने की जानकारी

62--श्री रामपाल वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के वि0 खं0 कछौना के ग्राम दीन नगर को जोड़ने हेतु रानीबाग से दीन नगर के मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या श्रमिकों का पूर्ण भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

अनुबन्धों द्वारा कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के बेहता नाले की मरम्मत की मांग

63--श्री रामपाल वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला-बेनीगंज मार्ग पर बेहता नाले का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत पुल की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर वाद के निस्तारण के प्रयास की जानकारी

64--श्री संजीव दरियाबादी--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत वाद किस न्यायालय में विचाराधीन लम्बित है ? वाद निस्तारण हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत वाद उप जिलाधिकारी मनकापुर जनपद गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

65--श्री संजीव दरियाबादी--[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर निगम की सीमा में पड़ने वाले कतिपय ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि को विनियमित करने हेतु पुनर्विचार करने की मांग

66--श्री बैजनाथ दुबे तथा श्री जियाउद्दीन रिजवी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत गांवों की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को सहकारी आवास समितियों ने जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 157-क के प्राविधानों का उल्लंघन करने तथा क्रय करके उन पर आवासीय कालोनियां बसा दी हैं ? क्या नियम विरुद्ध क्रय की गयी इस भूमि को उक्त प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विनियमित करने हेतु पुनर्विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

पुनर्विचार का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बभनान शुगर मिल, गोण्डा द्वारा पुलों का मरम्मत कार्य

67--श्री संजीव दरियाबादी--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान शुगर मिल, गोण्डा द्वारा कितने पुलों का मरम्मत कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त गन्ना मिल प्रशासन से बभनान खौड़ारे मार्ग पर ग्राम सदकरपुर पर टूटे पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, लखनऊ के आदेशानुसार श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता के वेतन से वसूली के आदेश

68--श्री बादशाह सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता की एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोकने तथा रु0 46683 की शासकीय क्षति उनके वेतन से रु0 1683 प्रतिमाह वसूली के आदेश अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 3025/219(ए)-ए-10-वा0-वृत्त, दिनांक 22-11-04 द्वारा पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त वसूली की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां। श्री सिद्दीकी के माह जनवरी, 2005 के वेतन से वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्यांश योजनान्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा अहिमाने से पाण्डेतारा तक सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि

69--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में राज्यांश योजनान्तर्गत जनपद सुल्तानपुर वि0 सं0 दुबेपुर में लो0 नि0 वि0 प्रान्तीय खण्ड द्वारा रायमनपुर से पांडेतारा सम्पर्क मार्ग लगभग 3 किमी0 27-28 लाख रुपया में बनाये जाने हेतु स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

रायमनपुर से पाण्डेतारा (वास्तविक नाम अहिमाने से पाण्डेयतारा) वर्ष 1996-97 में नहीं अपितु वर्ष 1997-98 में 3 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 27 लाख के लिये स्वीकृत हुआ था।

जी नहीं।

मार्च, 2005 तक प्रस्तावित है।

जनपद सुल्तानपुर के कुडवार नौगवा तीर घाट पर गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

70--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर कुडवार नौगवा तीर घाट पर पुल बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत कर धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु आर0आई0डी0एफ0-10 योजना के अधीन ऋण का प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में बभनान कस्बे में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दायर वाद

71--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत वाद कब व किसके द्वारा तथा किन-किन लोगों के ऊपर दायर किया गया है ? क्या वाद दायर होने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? वादों को शीघ्र निस्तारित कराने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत वाद सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा दायर किया गया है। प्रश्नगत वाद कब तथा किन-किन लोगों के ऊपर दायर किया गया है, की सूची संलग्न* है।

वाद दायर करने से पूर्व विभाग द्वारा नोटिस दी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

वादों को शीघ्र निस्तारित कराने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है।

जनपद गोण्डा में दैवीय आपदा राहत कोष से कृषकों को सहायता वितरण

72--श्री राम विशुन आजाद--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद गोण्डा को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था ? यदि हां, तो दैवीय आपदा राहत कोष से कृषकों को सहायता हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया ? अवमुक्त धन किन-किन क्षेत्रों में किस-किस मद में तथा कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

रु0 50.00 लाख अवमुक्त किया गया।

---

*देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124-128 पर।

आवंटित धनराशि निम्नानुसार व्यय की गयी :--

क्र0सं0	मद	व्यय धनराशि (रु0 में)
1	वृद्धों, अशक्त, निराश्रित व बच्चों को राहत	6,87,960
2	पशुओं के लिए चारे/सान्द्र चारे की व्यवस्था	2,65,943
3	मनुष्यों में महामारी की रोकथाम	21,94,344
4	पशुओं व कुक्कुटों में महामारी की रोकथाम	5,00,000
5	अवस्थापना कार्य (यातायात, विद्युत, जन स्वास्थ्य, पेयजल व बेसिक शिक्षा आदि की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापना)	12,000

जनपद गोण्डा में आये चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों को दैवी आपदा राहत कोष से धनराशि वितरण की जानकारी।

73--श्री राम विशुन आजाद--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद-गोण्डा में आये चक्रवात से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं तथा सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दैवी आपदा राहत कोष से कितना धन अवमुक्त किया गया ? सरकार द्वारा अवमुक्त धन को किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना धन किस-किस मद में खर्च किया गया ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद गोण्डा में दिनांक 04/05 जून, 2004 को आये चक्रवात से तहसील तरबगंज व करनैलगंज क्षेत्र प्रभावित हुए। आपदा राहत निधि से रु0 175.78 लाख आवंटित किया गया।

तहसीलवार एवं मदवार व्यय धनराशि (लाख रु0 में) का विवरण निम्नानुसार है:--

क्र0 सं0	मद	तहसील तरबगंज	तहसील करनैलगंज
1.	अनुग्रह अनुदान	8.50	4.50
2.	घायलों को सहायता	0.40	1.67
3.	पशु मृत्यु पर सहायता	0.05	1.73
4.	गृह अनुदान	64.35	19.53
	योग..	73.30	27.43

प्रदेश के जनपदों में शराब/बार की दुकाने खोलने का समय

74--डा0 रामबाबू हरित--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जनपदों में शराब/बार की दुकानें खोलने का क्या समय निश्चित है ? क्या जनपद आगरा महानगर में इन नियमों का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके उल्लंघन हेतु दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 2004-05 हेतु प्रदेश के जनपदों में फुटकर बिक्री की आबकारी दुकानों की समयावधि प्रात: 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक निर्धारित है। वार अनुज्ञापनों के अन्तर्गत बिक्री का समय 12.00 बजे दोपहर से 2.00 बजे अपराह्न तक तथा शनिवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों में 6.00 बजे सायंकाल से रात्रि 11.00 बजे तक और शनिवार को 12.00 बजे अर्द्धरात्रि तक निर्धारित है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति की जानकारी।

75--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या--70/2001 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए की गयी थी, के क्रम में प्रस्तावित तीन मार्गों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त मार्गों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-आर0एन0 70/2001 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तावित 7 मार्गों में से 4 मार्गों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2001-02 में तथा एक मार्ग की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रदान की गयी। शेष 2 कार्यों को स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाहर से आने वाली फल तथा सब्जियों पर शुल्क दर

76--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाहर से आने वाली फलों और सब्जियों पर कितने प्रकार के शुल्क किस दर से लिए जाते हैं ? क्या अन्य प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में उक्त मद में अधिक शुल्क लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मण्डी अधिनियम के प्राविधानानुसार फल एवं सब्जी जो निर्दिष्ट कृषि उत्पाद घोषित हैं, के क्रय-विक्रय पर मण्डी अधिनियम की धारा-17 (3) (ख) के प्राविधानानुसार 02 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सेस लिया जाता है।

अन्य प्रदेशों की शुल्क सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

77--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

आजमगढ़-वाराणसी क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

78--श्रीमती विद्या चौधरी--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर बिन्द्रा बाजार मेहनगर होते हुए खरिहानी, कम्हरिया तक लगभग 30 कि0 मी0 मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों से मरम्मत कराकर यातायात चलाया जा रहा है।

मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में मुरादाबाद से बल्लापुर रोड की मरम्मत की मांग

79--श्री रामशंकर पाल--क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में गंज मुरादाबाद से बल्लापुर रोड वर्ष 2004 की बाढ़ में कट गयी है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कटानों में मिट्टी भरकर यातायात चालू कर दिया गया है। लंबित स्तर तक मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड बनकटा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच

80--श्री रामलाल अकेला--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड बनकटा देवरिया के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत बनकटा जनपद देवरिया तथा कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्रामवासियों का शिकायती-पत्र भूमि सुधार मंत्री के अशासकीय पत्र संख्या-1757/बी0आई0सी0 मं0भू0वि0 एवं प0भू0वि0/2004, दिनांक 20 जुलाई, 2004 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को शीघ्र स्थानान्तरण कर प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

जी हां।

पत्र में की गयी अपेक्षानुसार सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड बनकटा देवरिया का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जी हाँ। जाँच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन मण्डी स्थल, महेवा, गोरखपुर को अवमुक्त की गयी धनराशि

81--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् ने कृषि उत्पादन मण्डी स्थल, महेवा गोरखपुर को वर्ष 1998 की बाढ़ के बाद मरम्मत, निर्माण एवं जल निकासी के लिए कुल कितना धन अवमुक्त किया गया तथा अवमुक्त किये गये धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

आलोच्य अवधि में मरम्मत, निर्माण एवं जल निकासी हेतु कुल धनराशि रु0 311.81 लाख अवमुक्त किया गया।

अवमुक्त धनराशि से मत्स्य मण्डी की 78 दुकानें, पम्प हाउस, काऊ कैचर, नालियों का निर्माण, गेट एवं गेट पीलर, जनरेटर हाउस तथा पूर्व निर्मित भवनों/आन्तरिक मार्गो, नीलामी चबूतरों की मरम्मत का कार्य एवं स्थल की जल निकासी हेतु भूमिगत नालियों का निर्माण कार्य कराये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम कुण्डीडीह में अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

82--श्री रामकरन आर्य--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम-कुण्डीडीह के अन्तर्गत चकरोड संख्या-377, रकबा-45 डि0 पर श्री साईबचन्द वर्मा, बीर बहादुर वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी वर्मा तथा सफूला अहमद द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14-11-2003 राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम कुण्डीडीह के अन्तर्गत चकरोड संख्या-377 रकबा 0-162 हे0 की पैमाइस करके अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बौद्ध परिपथ पर स्थित घाघरा नदी पर टाण्डा पुल के निर्माण की मांग

83--श्री रामकरन आर्य--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध परिपथ पर स्थित घाघरा नदी पर टाण्डा पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां,

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट थाना मानिकपुर के ग्राम गढ़चपा कर्वी की श्रीमती मैकी को आवंटित पट्टे की भूमि पर कब्जा

84--डा0 सुशील चौधरी--क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मैकी पत्नी श्री राजाराम (दलित) निवासी ग्राम-गढ़चपा, कर्वी, जिला चित्रकूट, थाना-मानिकपुर को वर्ष 1997 में साढ़े 3 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लाभार्थी पट्टे की जमीन पर काबिज है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कब्जा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां पट्टेदार पट्टे की जमीन पर काबिज है

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर तहसील जलालाबाद में कोला घाट में पुल निर्माण की मांग

85--श्री सुरेश कुमार खन्ना--क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में उनके द्वारा शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद तहसील में कोला घाट के पुल तथा मार्ग का शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो इस पुल पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ? उक्त पुल के निर्माण पर कितना धन प्रस्तावित है तथा कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कोला घाट पर प्रस्तावित पुल के स्थान पर रामगंगा तथा बैगुल नदियों का संगम है तथा पुल बनाने के लिये कठिन परिस्थितियां होने के कारण आई0आई0टी0 कानपुर के विशेषज्ञों से माडल स्टडी करायी गयी थी। माडल स्टडी की रिपोर्ट पर विभागीय अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार करके कतिपय सुझाव दिये गये है जिन पर निर्णय लेने से पूर्व कार्य की अनुमानित लागत का आगणन तैयार कराया जा रहा है।

आगणन तैयार हो जाने तथा परियोजना के फीजिबिल पाये जाने पर इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के कतिपय मार्गो की मरम्मत कराने की मांग

86--श्री बाबू लाल कुशवाहा--क्या लोक निर्माण मंत्री को जाकारी है कि बांदा जनपद की बांदा विसण्डा आरेन सिंहपुर सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण जनता को आने-जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। बांदा-विसण्डा मार्ग व विसण्डा-आरेन-आरेन-सिंहपुर मार्ग के कुछ भाग को छोड़कर मार्ग क्षतिग्रत है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग एवं मिट्टी लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

87--श्री बाबू लाल कुशवाहा--क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2003-2004 में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश में नियोजन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या बु03/एम0 790/2002/35-5-2003, दिनांक 6-2-2003 द्वारा नौ परियोजनाओं की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करके सम्पर्क मार्गों के मिट्टी से लेपन तक कार्य लोक निर्माण विभाग, बांदा को वर्ष 2003 में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों को पूर्ण करा दिया गया था ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

शासनादेश दिनांक 06-02-2003 द्वारा स्वीकृत नौ परियोजनाओं में से एक परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष आठ परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि सम्प्रति स्वीकृत नहीं हो सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की राजकीय अलंकृत पौधशाला अलीगंज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मालियों को बोनस भुगतान का प्रकरण

88--डा0 बिनोद तिवारी--क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत 14 दैनिक वेतनभोगी मालियों को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5141/58-1-97, दिनांक 22 अप्रैल, 1998 के अनुसार वर्ष 2001 में बोनस दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मियों को वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 के बोनस का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 के बोनस का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)--

जी हां।

दैनिक श्रमिक/खेतिहर मजदूर/दिहाड़ी मजदूर के लिए बोनस देने का कोई प्राविधान नहीं है, अतः इन्हें बोनस अनुमन्य नहीं है। अनुमन्यता न होने के कारण वर्ष 2001 में दैनिक श्रमिकों को बोनस का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में सदर कैण्ट रेलवे क्रासिंग से उदयगंज व बलरामपुर अस्पताल तक की जीर्ण -शीर्ण सड़क के निर्माण की मांग

89--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में सदर कैन्ट रेलवे क्रासिंग से उदयगंज होकर ओडियन होते हुए बलरामपुर अस्पताल तक सड़क की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। यह मार्ग नगर निगम के अन्तर्गत आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के कतिपय ग्रामों में चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मांग

90--श्री जगदीश नारायण राय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर में ग्राम मेरा दखान, गैरा पिलखिनी में चारागाह हेतु कुल कितनी जमीन सुरक्षित है ? क्या उक्त जमीन पर दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब्जा हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

तहसील सदर जौनपुर में इस नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के प्रसाद इंस्टीट्यूट द्वारा कतिपय ग्रामों में ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हटाने की मांग

91--श्री जगदीश नारायण राय--क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर, सदर तहसील के प्रसाद इंस्टीट्यूट द्वारा ग्राम केशवपुर, अलीवानपुर, धर्मापुर में ग्राम सभा की खाली जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कब्जा हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

तहसील सदर, जनपद जौनपुर, में अलीवानपुर नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि राजस्व ग्राम अलीखानपुर है। ग्राम अलीखानपुर, धर्मापुर, केशवपुर में ग्राम समाज की भूमि पर प्रसाद इंस्टीट्यूट का अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92--कोविद कुमार सिंह --

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब में राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर जाँच

93--श्री कोविद कुमार सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब में कार्यरत कानूनगो द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके अपने सम्बंधियों के नाम अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की भूमि हड़पने विषयक श्री धर्मराज निषाद, विधायक का पत्र दिनांक 28-9-2004 पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का आदेश संख्या-430/एम0एस0/एम0एल0ए0/04, दिनांक 28-9-2004 प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त के माध्यम से करायी जा रही है।

94--श्री कोविद कुमार सिंह--

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

95--श्री कोविद कुमार सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

96--श्री कोविद कुमार सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में सड़कों का नवीनीकरण

97--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में सड़कों का नवीनीकरण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मार्गवार कराये गये नवीनीकरण कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है--

वर्ष 2002-2003

1--लखनऊ--वाराणसी मार्ग--किमी0 164, 165, 166, 169, 173, 174, 175

2--प्रतापगढ़--कटरा गुलाब सिंह मार्ग--कि मी0 6

3--प्रतापगढ़--सुखपाल नगर मार्ग--किमी0 6

वर्ष 2003-2004

1--लखनऊ--वाराणसी मार्ग--किमी0 172

2--प्रतापगढ़--कटरा गुलाब सिंह मार्ग--किमी0 1

3--चिलविला--साईं बाबा कुटी मार्ग--किमी0 1,2 (0.12)

4--पृथ्वीगंज हवाई पट्टी मार्ग--किमी0 2, 3

5--संसारपुर लिंक मार्ग--किमी0--1,2 (500 मी0)

वर्ष 2004-2005

1--लखनऊ--वाराणसी मार्ग--163, 169 (500 मी0), 170, 171

2--प्रतापगढ़--कटरा गुलाब सिंह--किमी0--5

3--प्रतापगढ़--सुखपाल नगर मार्ग--किमी0--1, 2, 3, 4

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेकों जनपदों में किसानों को खाद न मिलने से फसलों की क्षति

98--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद--आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया में किसानों को खाद न मिलने से उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद--फूलपुर--जौनपुर--आजमगढ़ मार्ग को चौड़ा करने, मरम्मत करने पर व्यय

99--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत तीन वर्ष के दौरान इलाहाबाद से फूलपुर, जौनपुर, आजमगढ़ मार्ग को चौड़ा करने/मरम्मत करने में सरकार द्वारा कुल कितना धन अब तक खर्च किया गया ? जनपद--इलाहाबाद से आजमगढ़ व जौनपुर से आजमगढ़ तक के मार्ग को चौड़ा करने, मरम्मत करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा जौनपुर से आजमगढ़ तक के मार्ग की मरम्मत व चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

इलाहाबाद--फूलपुर--जौनपुर--आजमगढ़ मार्ग को चौड़ा करने/मरम्मत करने पर गत तीन वर्षों में निम्नानुसार धनराशि व्यय की गयी है--

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)		
	चौड़ीकरण पर व्यय	मरम्मत पर व्यय	कुल व्यय
2001-02	--	50.91	50.91
2002-03	12.89	8.97	21.86
2003-04	465.75	49.08	514.83

इलाहाबाद से आजमगढ़ व जौनपुर से आजमगढ़ तक के मार्ग को चौड़ा करने, मरम्मत करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्नानुसार धनराशियों का प्राविधान है--

मार्ग का नाम	2004-05 में प्राविधान (लाख रुपये में)		
	चौड़ीकरण हेतु	मरम्मत हेतु	कुल
इलाहाबाद से आजमगढ़ मार्ग	1200.00	38.68	1238.68
जौनपुर से आजमगढ़ मार्ग	1200.00	--	1200.00

राष्ट्रीय मार्ग पर जौनपुर में बाजिदपुर स्थित तिराहे से केराकत मोड़ तक के मार्ग की कुल लम्बाई 5.686 कि0मी0 है और यह मार्ग वर्तमान में ही 7 मीटर चौड़ा है। इसको इससे अधिक चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केराकत मोड़ से मोहम्मदपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 39.693 कि0मी0 है तथा यह भाग राज्य सं0--66ए है। इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.5 मीटर से 7 मीटर तक है और इस मार्ग की पूरी लम्बाई में विश्व बैंक पोषित उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 7 मीटर तक चौड़ा कर सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य जनवरी 2007 तक पूरा किया जाना लक्षित है।

मोहम्मदपुर से आजमगढ़ तक का मार्ग राज्य मार्ग सं0-73 एवं राज्य मार्ग सं0-34 का भाग है और इसकी कुल लम्बाई क्रमशः 6.00 कि0मी0 एवं 10.30 कि0मी0 अर्थात् कुल 16.30 कि0मी0 है। यह मार्ग पूर्व से ही 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग के सुधार का कार्य विश्व बैंक पोषित उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रगति पर है।

मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि निरन्तर चलती रहती है और प्रयास किया जाता है कि मार्ग को गड्ढामुक्त रखने का प्रयास किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे से जाने वाली जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण की मांग

100--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे से लेकर गोरखनाथ क्रासिंग, अँधियारीबाग, सूर्यकुण्ड होते हुये डोमिनगर जाने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण है ? जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से पाटहोल्स/पैच मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के त्रुटि पूर्ण उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, आज की कार्य सूची में अतारांकित प्रश्न सं0-90 में मैंने प्रश्न किया था कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद--जौनपुर की तहसील सदर में ग्राम मेरा दखान, गैरा पिलखिनी में चारागाह हेतु कुल कितनी जमीन सुरक्षित है ? क्या उक्त जमीन पर दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब्जा हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके उत्तर में कहा गया है कि तहसील सदर जौनपुर में इस नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष--

इसे आप नियम-63 में दे दीजिये। अगर गलत होगा तो कार्रवाई हो जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, सदन अपने काम का खुद मास्टर है और आप उसके संरक्षक हैं। आप उस पीठ पर बैठे हैं जिस पर पुरुषोत्तम दास टण्डन जी बैठ चुके हैं। इस सदन में विधायकों का अधिकार है कि वह अपने प्रश्न पूछें और सरकार के द्वारा जो उत्तर आते हैं, उसमें इस प्रकार का जवाब आ जाये कि राजस्व ग्राम है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में मान्यवर, आपका संरक्षण माननीय सदस्य को मिलना चाहिये और कम से कम पीठ के द्वारा यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि यदि ब्यूरोक्रेसी द्वारा सदन की अवमानना होती है तो सदन में बैठकर ही उसका निस्तारण किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

वाजपेयी जी अगर सदन में कोई उत्तर आया और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो अलग से कुछ नहीं, नियमावली के नियम-63 हैं, आप उसमें दीजिये। हम तो नियमावली के आधार पर करना चाहते हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 17 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री डा0 रविन्द्र पुण्डीर की (उपस्थित नहीं हैं), दूसरी सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की (उपस्थित नहीं हैं), तीसरी सूचना श्री प्रभुदयाल बाल्मीकी की मेरठ की मवाना तहसील के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि किसी एजेन्सी को आवंटित कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में है। (पढ़ी हुयी मानी गयी।), चौथी सूचना श्री राम करन आर्य की (उपस्थित नहीं हैं), पांचवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की गाजीपुर के सादात क्षेत्रान्तर्गत नन्दगंज--शादियाबाद जर्जर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। (पढ़ी हुयी मानी गयी।), छठी सूचना श्रीमती विमला राकेश की सहारनपुर के ग्राम हरौड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को धन आवंटित कर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। (स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

माननीय सदस्य श्री नवाब सिंह नागर और श्री कौशल किशोर की सूचनायें अस्वीकार की गईं, क्योंकि यह पहले आ चुकी हैं।

मेरठ के मवाना तहसील के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि किसी एजेन्सी को आवंटित कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुदयाल वाल्मीकी-

[मान्यवर, मैं अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद मेरठ की मवाना तहसील की भवन की हालत जर्जर है, कई बार नियमों में यह प्रकरण उठाया गया था परन्तु कार्यवाही नहीं हो रही है, जब कि उस निर्माण के लिये एक करोड़ 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत है परन्तु किसी ऐजेन्सी को धन आवंटित कर कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण विषय है और लोकमहत्व का है।

अत: इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्रान्तर्गत नन्दगंज-शादियाबाद जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक--

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादत में नन्दगंज-शादियाबाद सड़क, जिसकी कुल लम्बाई 16 कि0मी0 है, जो कि अत्यन्त ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है। 1 कि0मी0 से 6 कि0मी0 तक अत्यन्त खराब है। इस पर पड़ी गिट्टी उखड़ गयी है तथा जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं। इस सड़क पर चलना अत्यन्त कठिन हो रहा है तथा ग्रामीणों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: उक्त सड़क के निर्माण एवं उसकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है। इस कार्य को तुरन्त कराने एवं माननीय सदन में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन के ध्यानाकर्षण की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ग्राम हरौड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को धन आवंटित कर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम हरौड़ा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम हरौड़ा में 32 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जिसकी बिल्डिंग पर लिन्टर पड़ गया है। चहारदिवारी बन गयी है। पानी की टंकी अपूर्ण है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पूर्ण न होने से जनता में आक्रोश तथा निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है।

जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक है।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करती हूं कि धन आवंटित कराकर रुके हुये निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय से न मिलने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 17-2-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री राजेश कुमार, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री कालीचरण राजभर की तथा दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर समय में न मिलने के सम्बन्ध में है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, यह सदन नियमों, परम्पराओं और नियमावली से चलता है। आपके संरक्षण में हम लोग विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सूचनायें देते हैं उस पर आपके आदेश निर्देश होते हैं। उन सूचनाओं के उत्तर के लिये हमारी नियमावली में एक समय-सीमा निर्धारित है कि इतने समय के अन्दर आपको जवाब मिल जायेगा। लेकिन मान्यवर, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्यगण जो नियम-301 की सूचनायें देते हैं उसका समय से उत्तर नहीं मिल रहा है। नियम-301 की सूचनाओं की ग्रेविटी गिरती जा रही है। मान्यवर, चार से छ: महीने तक उत्तर ही नहीं मिलता है। पिछले सत्र के नियम-301 की सूचनाओं का जवाब नहीं आया और उसका कारण एक ही बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है। 8-11-2004 को सत्र हुआ था, 4 महीने हो गये हैं उसका जवाब कल पिजन होल में मिला है। कुल 97 सूचनाओं की सूची मिली है, सबमें लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है। मान्यवर, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जवाब नहीं आ रहा है। इसी कारण यह एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न बन गया है। पहले एक प्रश्न होता था तो पूरा जिला हिल जाता था लेकिन अब मजाक बन कर रह गया है। अब इन सूचनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अधिकारी कहते हैं कि विधायकों की आदत हो गयी है और जा करके 301 में सूचना डाल देते हैं। मान्यवर, मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न की सूचना के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप पीठ से ऐसी व्यवस्था दें ताकि समय पर नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर आये और माननीय सदस्यों को बार-बार न कहना पड़े।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ क्षण पूर्व आपने नियम-301 की सूचनायें सदन में पढ़ी हैं। आपने कृपापूर्वक नियमावली में संशोधन करके 301 की सूचनायें 7 के स्थान पर 15 लेने का निर्णय किया है और उसका पालन करा रहे हैं। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि नियम-301 की सूचनायें जो सदन की संज्ञान में आयेंगी, वह जनहित से जुड़ी होंगी और उन पर कार्यवाही हो करके माननीय सदस्यों को जानकारी मिलेगी जिससे जनहित के मुद्दों का निस्तारण होगा। आपने कृपा पूर्वक यह सुविधा माननीय सदस्यों को प्रदान की है और माननीय सदस्यों के माध्यम से जनसमस्याओं के निस्तारण का एक मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी नियमावली में व्यवस्था है कि एक माह के भीतर नियम-301 की सूचना पर कार्यवाही करके सरकार माननीय सदस्यों और साथ ही साथ आपके सचिवालय को भी अवगत करायेगी।

मान्यवर, कल जो सूची मिली है उसमें 97 माननीय सदस्यों की दी हुयी सूचना है और इसको अगर आप देखेंगे तो केवल एक परम्परा का निर्वाह अधिकारी कर रहे हैं, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर कह रहा हूं कि अधिकारी विगत सत्र की सूचना पर जब तक अगले सत्र की तिथि का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक नहीं चेतते हैं और नये सत्र की तिथि के निर्धारण के बाद हड़बड़ी में आकर उन सूचनाओं का उत्तर गलत-सही दे करके माननीय सदस्य के यहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कारण केवल एक ही रहता है जैसा कि सुखदेव राजभर जी ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है। मान्यवर, मा0 अध्यक्ष की यह व्यवस्था है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विधान सभा की समितियों द्वारा भेजे गये प्रकरणों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी शासन के विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर नहीं आयेगी तो टिप्पणी के साथ कारण भी बताना पड़ेगा और कारण ही नहीं बताना पड़ेगा, जिसके कारण विलम्ब हुआ है उसके विरुद्ध जिम्मेदारी सुनिश्चित करके कार्रवाई करनी पड़ेगी।

मान्यवर, विधान सभा की समितियां विधान सभा का लघु रूप होती हैं। समितियों में यदि व्याख्यात्मक टिप्पणी देर से आती है तो उसके विलम्ब के कारण के बारे में बताया जाता है और किसी की उदासीनता होने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, आप देखें कि 97 सूचनाओं के बारे में ब्रेकअप दिया गया है। इसमें से कुछ सूचनायें ऐसी हैं जिन पर काफी समय हो गया है, 11 सूचनायें ऐसी हैं जिन पर 3 माह से अधिक हो गया है। 63 सूचनायें ऐसी हैं जिन पर दो माह का समय हो गया है। धीरे-धीरे विधायिका का अंकुश कार्यपालिका पर घट रहा है और खत्म होता जा रहा है। मैं इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं करता हूं। यह हम सबके देखने की बात है। मैं आपसे मांग करता हूं कि चाहे आज आप इस पर व्यवस्था न दें, इस पर पूरी तरह से विचार-विमर्श करके कोई ऐसी व्यवस्था आनी चाहिये ताकि इस विधायिका का अंकुश कार्यपालिका पर बना रहे। यह जो सूचनाओं का उत्तर देने में विलम्ब किया गया है इसके लिये कौन जिम्मेदार है इस संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। जिस तरह से समितियों के बारे में आदेश हैं उसी तरह नियम-301 की सूचनाओं के बारे में यदि कहीं पर विलम्ब किया जाता है तो विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। आप इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार-विमर्श कर लें ताकि अगले सत्र में नियम-301 के बारे में ऐसे प्रश्न यहां पर उठाने का अवसर न आये।

*संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आज भी आपसे इस संबंध में बात हुयी है और आपने जिज्ञासा भी जाहिर की है। सरकार की पहले दिन से यही मंशा है कि विधायिका के सम्मान का स्तर जो गिरता जा रहा है वह कम से कम लेवल पर होना चाहिये, बराबर पर होना चाहिये और स्तर ऊपर उठना चाहिये। मैं किसी को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा सुझाव था कि जिन अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं इससे विपक्ष से ज्यादा पक्ष का नाम होगा, हमारी ज्यादा छवि अच्छी होगी, हमें ज्यादा सहूलियत होगी। मैंने आपसे चाहा भी था कि जिनकी ज्यादा शिकायतें हों आप उन्हें बुला लें, मुझे तलब कर लीजिये और बैठकर इस बात का हल होना चाहिये। इस पर सख्ती होनी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह व्यूरोक्रेसी के विधायिका पर हावी होने का परिणाम है। मंत्री इनके रहमोकरम पर रहेंगे जो उन्होंने उत्तर दे दिया वही यहां पढ़कर सुना देते हैं। अगर वह गलत है [x x x]। वह आपका कर्तव्य भी है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा आप क्यों कहते हैं ? मेरे ऊपर क्यों आक्षेप कर रहे हैं। मैं किसी मंत्री को संरक्षण नहीं देता। मैं तो आप सबको संरक्षण देने के लिये हूं।

श्री लालजी टण्डन--

मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय नेता विरोधी दल आप भी बहुत पुराने सदस्य हैं और मैं भी काफी दिनों से यहां पर सदस्य रहा हूं। यही सदन में एक बार यह बात आयी थी जिस पर श्री चौधरी चरण सिंह ने सदन में खेद व्यक्त किया था और कहा था कि इस प्रश्न का जवाब न माना जाय। यह अधिकारी बुरा है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैंने इस पर अर्ज किया था कि पहले प्रश्न मंत्री को पढ़ना चाहिये और जब जवाब से मुतमुईन हो तब दस्तखत करना चाहिये वरना उसे उसी स्टेज पर खारिज कर देना चाहिये। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिये मेरे पास विभाग की पत्रावली आई थी उसको पढ़कर मुझे लगा कि उत्तर गलत है मैंने उसे उत्तर में माना है जिन्होंने ऐसा कहा कि गम्भीर आरोप है उसके बावजूद अधिकारी वहां बना हुआ है अभी-अभी मैंने उसका जवाब रोका है और अधिकारी निलम्बित किया है और जो पैसे का खुर्द-बुर्द हुआ है उसकी वसूलयाबी के आदेश दिये हैं। मैं तो पूरी पारदर्शिता का कायल हूं। मैं जो चाहता हूं कि हमारे अच्छे काम सबके सामने आयें जिससे हमारी अच्छी छवि बने समाज के सामने यह बात आनी चाहिये कि मैंने यह अच्छा किया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय सदस्यों को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था अगर नियमों के अन्तर्गत उत्तर नहीं आते हैं, तो यह सदन का विशेषाधिकार माना जायेगा आज भी मैं इस पर अडिग हूं मैंने यह सोचा है कि संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, जिनकी आवश्यकता इस पर है, उनकी बैठक संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ करके, जिसमें नेता विरोधी दल भी रहेंगे उसके बाद इस पर कोई निर्णय देंगे।

तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की विधायकों के लखनऊ आवास पर लगे सरकारी फोन पर 95 की डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में है। यह विधान सभा से संबंधित मामला है, यह हो जायेगा। यह सूचना अग्राह्य की जाती है। इसी तरह से श्री मुंशीलाल गौतम और श्री कपिल देव यादव की सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इनको अग्राह्य किया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[x x x]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करने हतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करता हूँ।

विधान सभा सदस्यों के लखनऊ स्थित आवासों पर सरकारी फोन पर 95 नम्बर की डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय विधायकों के आवास पर जो टेलीफोन लगे हुए हैं उन पर 95 नम्बर डायल करने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है। संसदीय कार्य अनुभाग से 14 जनवरी, 2005 के आदेश से यह सुविधा अनुमन्य कर दी गयी थी। उसके बाद प्रमुख सचिव विधान सभा ने 17 जनवरी, 2005 को हम लोगों को अवगत कराया ....

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में माननीय नेताओं के साथ व संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी जिसमें यह किया गया था कि 95 नम्बर डायल करने की सुविधा दी जायेगी लेकिन यह सुविधा 4000/- रुपये तक अनुमन्य होगी उससे ज्यादा जो बिल आएगा वह सदस्य के वेतन से कटेगा या वह स्वयं वहन करेगा। सबका जोड़ा जा रहा है। अगर आपका नहीं जुड़ा है तो मैं इसको दिखवा लूँगा यह बहुत पहले आर्डर हो गया था कि जोड़ दिया जाय।

*संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

इसमें समस्या थोड़ी दूसरी भी है। मेरे पास उत्तर है। कुछ जगह आपकी शिकायत सही है कि 95 से नहीं डायल हो रहा है। इसमें कोई कमी है, इसको टेलीफोन विभाग से पूछना पड़ेगा, वहां से जानकारी लेनी पड़ेगी, जहां पर यह मैच्योर नहीं हो पाया है, क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, ऐसा है कुछ जगह पर डब्ल्यू0एल0एल0 लगाकर ऊँचे वाले तार जहां पर नहीं गये हैं, वहाँ यह सुविधा है। लेकिन हमने 4 हजार रुपये देने की बात कही है। टेलीफोन के बिल का भुगतान अभी तो नहीं हो पायेगा। हम जल्दी ही टेलीफोन विभाग के साथ बैठक कर लेंगे और जिनको समस्या है उनको भी बुलवा लेंगे।

---

†दिनांक 30-3-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

मान्यवर, यह जो 4 हजार रुपये देने की बात है इसमें क्षेत्र वाला और यहाँ वाला दोनों मिलाकर है।

श्री अध्यक्ष--

हाँ यह दोनों का मिलाकर है।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

यह तो बहुत कम है, इसको बढ़वा दीजिये नहीं तो काम कैसे चलेगा। तमाम अधिकारियों को फोन करना होता है, जनता की सेवा करनी होती है।

श्री बीजू पटनायक--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा जो लखनऊ में सरकारी आवास है, उस पर टेलीफोन लगा है और हम लखनऊ नहीं भी आते हैं, तब भी उसका बिल आ जाता है इसलिये हमने तो अपना कनेक्शन ही कटवा दिया है। दूसरे-दूसरे लोगों की बात उस फोन से डिपार्टमेंट वाले कराते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, जैसा बीजू पटनायक जी कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। विधायक निवास के बाहर जो दुकानें हैं उसमें एस0टी0डी0 है। विभाग के लोग जब कोई विधायक नहीं होता है तो उसके तार से जुड़वा कर बात कराते हैं और विधायकों के खाते में बिल आता है।

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाइये।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 17 फरवरी, 2005 को नियम 311 की दो सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कह दूँ कि अब नियम 311 में कोई सूचना न दी जाय। आज तो मैंने ले लिया है भविष्य में 311 की परम्परा न डाली जाय। 311 की सूचना नहीं ली जायेगी और नियम-56 में भी परिवर्तित नहीं की जायेगी। आज तो मैंने 311 वाली नियम-56 में परिवर्तित कर दी है। इस प्रकार नियम -56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर एक सूचना चर्यानत की गयी, जिसको ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। दूसरी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना लाल जी टण्डन, डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, आपने यह आश्वासन दिया था कि मुंशी लाल गौतम को आप बाद में सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या चाहते हैं इसमें ?

श्री लाल जी टण्डन--

माननीय, आप इनको दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपका निवेदन है इसलिए एक मिनट सुन लेता हूँ।

श्री मुंशी लाल गौतम--

माननीय, आपका आभारी हूँ कि आपने शिक्षा मित्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय जी0ओ0 बना था। अगर उस जी0ओ0 में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन कर लिया जाना चाहिए। कुछ शिक्षा मित्र सड़कों पर हैं अपनी माँगों को लेकर। मेरे जिले बुलन्दशहर से कुछ लोग चले लेकिन उनको अलीगढ़ में रोक लिया गया। माननीय, लोकतंत्र में प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों की कुछ माँगें हैं। प्रत्येक वर्ष उनके नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाय। दूसरा है मानदेय का भुगतान व्यक्तिगत खातों में प्रत्येक माह किया जाए। शिक्षा मित्रों को आकस्मिक चिकित्सीय एवं महिला शिक्षा मित्रों को प्रसूति अवकाश दिया जाय ..

श्री अध्यक्ष--

बैठिए आप।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मंहगाई को देखते हुए मानदेय में वृद्धि की जाए।

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं सुनना है। कहना हो तो कहें। टाइम बरबाद कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, माननीय नेता विरोधी दल इसके लिए विवश न करें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

[X X X]

श्री अध्यक्ष--

बार-बार उसी बात को कह रहे हैं। लिखा नहीं जाएगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

यह बहुत गलत तरीका है माननीय सदस्य इतना बोले जा रहे हैं। आपके इतना कोशिश करने पर भी आपका कोई सम्मान नहीं रखा जा रहा है बार-बार कहने के बावजूद समझ नहीं रहे हैं। यह बहुत ही निन्दनीय और खेदजनक है। किसी की आवाज तेज है तो इस तरह से पीठ की अवमानना की जाएगी। माननीय सदस्य बोले जाएं, माननीय सदस्य कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

इस विषय को न छेड़ें अगर उत्तर दूंगा तो आक्षेप होगा यह अपनी सीमा में रहें।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल से आग्रह है क्या आप ड्राप्सी पर बोलेंगे ?

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

तेल में मिश्रण से ड्राप्सी की बीमारी फैल रही है इससे सारा प्रदेश अवगत है, यह मिश्रण क्यों हो रहा है। मिश्रण के लिए 1955 का भारत सरकार का कानून है जिसको 1976 में परिवर्तित किया है। उसकी धारायें आज की तारीख में अप्रासंगिक हो गयी हैं उनका डर समाप्त हो गया है आर्जीमोन मैन्जीकाना तेल में पाया जा रहा है वटरयलो जो वसा में घुलनशील रंग होता है यह मिलाया जा रहा है जो और भी ज्यादा खतरनाक है वटरयलो से कैंसर, लीवर की समस्या, गुर्दो का खराब होना, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो रही है। अरहर की दाल में खिसारी की दाल की मिलावट चल रही है। मूँगफली के छिलके की मिलावट चल रही है, दूध की जगह सिंथेटिक दूध चल रहा है। मिठाई में खाने के रंगों की मिलावट चल रही है। प्रयोगशालाओं में साधनहीनता होने के कारण जो लोग मिलावट कर रहे ह उन पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष--

ग्राह्यता पर बोलें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उसमें सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। पी0एफ0ए0 कानून में परिवर्तन होना चाहिए। प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण मण्डल स्तर पर होना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए इसमें चर्चा की आवश्यकता है। इस षडयंत्र की शुरुआत केंडला पोर्ट से इंडोनेशिया से हो रही है। सरसों के तेल में मिलावट हो रही है। जो सरसों के तेल में प्रयोग नहीं हो सकता है, चावल की भूसी का जो तेल है, उसको सीधे मनुष्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उसको प्रोसेस करके वनस्पति घी बनाया जा सकता है और उसके बाद उससे जो तेल बचता है, उसको नष्ट करने का प्राविधान है। सीधे-सीधे धान की भूसी के तेल में एक आयल सालुबल रंग व ऐसेन्स मिलाकर जनता के सामने आ रहा है। यह फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड दो तरह का होता है, इसी नॉन फूड ग्रेड को इन्डोनेशिया से आयात करके कन्डाला पोर्ट से उत्तर प्रदेश की धरती पर टैंकर से लाकर जनता को उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, यह कोई दलगत मामला नहीं है, यह पूरे सदन की चिन्ता का सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नियम-56 में इस मामले पर सदन की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाए तो यह जनहित में होगा। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस सदन को चिन्ता होनी चाहिए कि जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और जिन्हें 100-150 रुपये मजदूरी मिलती है और उनके बच्चे यही तेल 2-4 रुपये का परचून की दुकान से शीशी में लाते हैं तब उनकी रोटी और सब्जी की व्यवस्था होती है और मान्यवर, यही लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत जो विषय मैंने आपके सामने लाने का काम किया है, यह अविलम्बनीय है, सार्वजनिक महत्व का है और एक निश्चित विषय है। मैं इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजाजीपुरम् एक वार्ड है, जहाँ पर झुग्गी-झोपड़ी में लोग हैदर कैनाल के किनारे रहते हैं। 5 फरवरी को एकाएक वहाँ पर वातावरण अशान्त हो गया, एक बालक की मृत्यु हो गयी। जब यह मृत्यु हुयी मैं वहाँ गया, वहाँ हमारी पार्टी के सभासद ने सारे अधिकारियों को बुलाया और सारे अधिकारी पहुँचे। मैंने स्वयं देखा कि वहाँ 50 लोग ऐसे थे जिनके पैर सूजे थे, पीड़ा से कराह रहे थे, रो रहे थे। जब वहाँ पर डाक्टर पहुँचे तो लोग उनसे

इन्जेक्शन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। इन प्रभावित लोगों को बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और कई अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर ब्लड जांच के बाद मालूम हुआ कि यह ड्राप्सी के रोग से पीड़ित हैं। चिकित्सालयों में स्थिति यह है कि वहाँ पर पैथालाजिस्ट उपलब्ध नहीं है जो ब्लड की जांच करते हैं। बराबर अखबारों में आ रहा है कि मरीज के जी एम यू में जाने को तैयार नहीं है, वह प्राइवेट चिकित्सालयों में अपना इलाज कराना उचित समझते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें अच्छा उपचार मिलता है। आज वहाँ की स्थिति यह है कि लगभग 100 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूँ। अभी तक यह बात लगातार कही जा रही है कि आर्जीमोन जो सब्सटेंस है, उसके सरसों के तेल या खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण यह ड्राप्सी की बीमारी हो रही है। मेरा निश्चित मत है कि विशेषज्ञों की एक समिति बनायी जानी चाहिए। अभी बाजपेयी जी बता रहे थे। इसमें और भी चीजें मिली हो सकती हैं। यह ठीक प्रकार से पता लगना चाहिए कि ड्राप्सी की बीमारी केवल सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना के मिलाने से हो रही है या इसके और भी कारण हैं ? इसकी जांच के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। मान्यवर, वहाँ पर दो लोग मर गये हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। एक आग्रह और है कि चूंकि अस्पतालों में ड्राप्सी की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इसमें मेरा कहना है कि जैसे पहले लखनऊ में इन्फेक्शन से संबंधित अस्पताल था उसी तरह से अस्पताल खोला जाय जिसमें ड्राप्सी के मरीजों की देखभाल की जा सके, उनका इलाज हो सके। इसलिए मेरा आग्रह है कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस जनहित के मुद्दे पर चर्चा करायी जाये।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि वैसे स्वास्थ्य विभाग का मामला है लेकिन यह जांच जिस एजेंसी से होती है वह नगर विकास विभाग में आता है। नगर विकास विभाग में स्थानीय निकाय में जो खाद्य निरीक्षक होते हैं, उनके द्वारा सैम्पल लेने का काम किया जाता है। लखनऊ में 12 खाद्य निरीक्षक हैं, और पिछले 2 साल में केवल 2 नमूने भरे गये हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यह लोगों को मारने के लिए हैं, या उनका कोई काम है ? मैं यह बात केवल आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय पर लगभग सभी हमारे विपक्ष के सम्मानित नेतागणों ने एक सूचना दी है कि अगर इस तरह से इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए यह मुनाफाखोर, जमाखोर लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करके खाद्य पदार्थ उपलब्ध करायेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि यह निश्चित रूप से ग्राह्यता की सूचना है। इससे पूरे सदन को चिंता होगी कि हम एक विश्वास के साथ दुकान पर जाते हैं। जिसके लिए तमाम कानून बने हैं, पैनल ऐक्ट बने हैं अगर उसमें मिलावट होगी तो मिलावट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीच-बीच में सैम्पल उपलब्ध कराते हैं लेकिन देखा गया है कि जो टीम सैम्पल लेने के लिए जाती है तो उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाता है। मुनाफाखोरों, जमाखोरों का इतना हौसला बढ़ गया है। तो मैं यही कहूंगा कि यह आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाये। अभी माननीय मौर्या जी भी इस पर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्या जी आपने दूसरे विषय में अपनी सूचना दी है। इसमें आपका नाम नहीं है। दूसरे में आपने दिया है। आप बोल भी चुके हैं।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह बहुत ही दुख की बात है कि राजधानी लखनऊ में ड्राप्सी जैसी भयंकर बीमारी से सैकड़ों लोग ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। यह चिंता का विषय इसलिए है कि एक तरह से जनता के साथ धोखा हो रहा है। इसमें जनता की गलती नहीं है। अगर जनता किसी बीमारी का शिकार हो रही है तो जो सामान वह दुकान से लेती है उसकी अशुद्धता की वजह से हो रही है। अभी तक तकनीकी रूप से, विश्लेषण से जो चीजें सामने आयी हैं उसमें आर्जीमोन मैक्सिकाना नामक तत्व ड्राप्सी का मूल कारण है। यही वह एलीमेंट है जो यह बीमारी फैला रहा है। कुछ जगहों पर यह भी है कि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें भटकोइया के बीज जो कि खेतों में होते हैं और सरसों के बीज की तरह दिखता है उसको मिलाया जा रहा है, तो उसके कारण भी यह बीमारी हो रही है। प्रश्न यह है कि यह तो हो रही है, इसको कैसे तुरन्त रोका जाय। इसमें प्राथमिकता पर, जितने इस प्रकार के मरीज हैं, उनके लिए आरक्षित अस्पताल में कर देना चाहिए। इसमें स्पेशलिस्ट बुलाकर युद्धस्तर पर बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए। लखनऊ के लिए यह जानलेवा साबित हो रही है और कुल मिलाकर यह दुखद साबित हो रही है। मान्यवर, मैं सुरेश श्रीवास्तव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि इसके लिए एक विशेष चिकित्सालय बनाया जाय क्योंकि हर वर्ष यह बीमारी हो रही है। मान्यवर, इसमें सरकार की जवाबदेही कम है, जिसने प्रश्न उठाया है उनकी ज्यादा है। नगर निगम को इसकी जांच का अधिकार मिला हुआ है, और यह इन लोगों के कब्जे में है। मान्यवर, 1696 लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, इनको ही तेल बेचने का अधिकार है। इसमें से 59 थोक के तथा 1637 फुटकर व्यापारी हैं लेकिन दसियों हजार लोग आप देखें, हर दुकान पर चले जायें, तेल मिल जायेगा। इसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी लखनऊ नगर निगम की है या फिर जिम्मेदारी बड़े नेताओं की है, तो इस पर नियंत्रण हो जाय। मान्यवर, कुल मिलाकर 15 सप्लर हैं और जो बाकी चल रहे हैं वह जो लाइसेंस देने वाले हैं और चलाने वाले हैं उनके बीच सांठगांठ है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। 9 खाद्य निरीक्षक हैं और जो खाद्य निरीक्षक हैं वह सफाई कर्मचारी से प्रोन्नत हैं और उनको यह अधिकार नहीं है कि इसका सैम्पुल ले सकें। जैसा कि बताया गया है कि कुल दो ही सैम्पुल लिये गये हैं, तो इसमें युद्धस्तर पर सामना किया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से ग्राण्ट दीजिए। यह बीमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मौजूदा सरकार को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि चूँकि यह बीमारी चल रही है इसलिए इसमें अवलिम्बनीयता है, लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं इसलिए लोक महत्व का है, अत: यह चर्चा का विषय है और इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया जाय। अस्पताल इसके लिए खुलवाया जाय और दूसरा अनुरोध यह है कि टण्डन जी इस बीमारी को बन्द कर दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन--

मुझे प्रमोद कुमार जी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वह सीरियस नहीं रहते हैं। बिचौलियों का काम सरकार की रक्षा करना है। हम सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, हम तो यह कह रहे थे कि जो व्यवस्था है उसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाय। इनको कारपोरेशन के बारे में एबीसीडी नहीं आती है। यह स्वास्थ्य विभाग से आन डेपुटेशन खाद्य इंस्पेक्टर और नगर स्वास्थ्य अधिकारी भेजे जाते हैं अत: कारपोरेशन का इसमें कंट्रोल नहीं है जब तक कि पूरी सर्विस इनकी यहां पर ट्रांसफर न हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जैसे नगर आयुक्त है वह कुछ भी नहीं कर सकते।

श्री लालजी टण्डन--

तो मान्यवर, नियंत्रण करने का काम सरकार का है। इसमें अगर किसी की जिम्मदारी बनती है तो वह है स्वास्थ्य विभाग की। आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक की आप स्वास्थ्य विभाग को नहीं लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपके मित्र हैं।

श्री लालजी टण्डन--

हमारे मित्र हैं इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको इस बीमारी से बचाये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल जी ने जो शुभकामना इस बीमारी से बचने के लिए दी है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने नियंत्रण में आने वाली इकाइयों पर मजबूती से नियंत्रण रखें जिसमें नगर निगम भी है जिस पर भाजपा का कब्जा है।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, नगर निगम का इसमें कोई अधिकारी नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

जो भी अधिकरी इसमें जाकर के एब्जार्ब हो जाता है वह उसी विभाग का कर्मचारी कहलाता है, और वह विभाग उस कर्मचारी को किसी भी दोष के लिए दण्डित कर सकता है। मान्यवर, मैं माननीय टण्डन जी के बारे में और उनकी गम्भीरता के बारे में क्या कहूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता सदन और माननीय नेता विपक्ष, दो ही चर्चा में महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, तब उसमें माननीय टण्डन जी कहते हैं कि मैं तो आनन्द लेने के लिए चर्चा कर रहा हूँ तो इसी बात से माननीय टण्डन जी की गम्भीरता का अन्दाजा हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अभी इस तरह की बातें करने का अवसर नहीं है। जब आयेगा तब बात कह लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं इस प्रश्न को गम्भीरता से लेता हूँ। माननीय टण्डन जी ने जो बातें कही और प्रमोद तिवारी जी ने जो बातें कहीं, दोनों की ही बातें बहुत गम्भीर है। इस मामले में नगर निगम की जिम्मदारी भी खत्म नहीं हो जाती है और खाद्य विभाग की भी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है। मान्यवर, अगर आप उचित समझें तो इस सूरत-ए-हाल पर मीटिंग बुला ली जाए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरे पास सिर्फ नगर निगम से जवाब आया है, स्वास्थ्य विभाग से कोई जवाब नहीं आया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जैसी अभी बात चल रही थी, यह स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अगर मैं इस मामले के प्रति गम्भीर नहीं होता तो मैं जो इस सदन में कह रहा हूँ वह मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने तजुर्बे से इसका जवाब दे देता, लेकिन इसमें तजुर्बे से जवाब नहीं देते। मैं सिर्फ इस पर चिन्ता ही नहीं व्यक्त करूँगा बल्कि जो लोग इसमें दोषी पाये जायेंगे, अगर वह मेरे विभाग के हैं तो मैं उन पर कार्यवाही करूँगा और अगर वह स्वास्थ्य विभाग के हैं तो स्वास्थ्य विभाग को उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निर्देश दूँगा।

श्री अध्यक्ष--

सारे तथ्यों को सुनने के बाद मैं इस सम्बन्ध में डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था की मांग कर रहा हूँ। मान्यवर यह ठीक है कि इसमें सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सराहना करना चाहता हूँ कि इस सदन में उन्होंने बड़ी साफगोई से इसे स्वीकार किया, लेकिन इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग ने गैर जिम्मेदारी बरती है, यह जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस बात का संज्ञान ले करके स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को सदन में बुलाकर के सजा दी जाए, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे सरकार इस विषय पर अपना पक्ष रख सके।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, यह मुद्दा सिर्फ लखनऊ का ही नहीं है, हमारे मथुरा जिले में भी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से और मिलावट खोरों की वजह से ड्राप्सी से लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद पहले ही कह दिया है कि हमारे विभाग के जिन लोगों की गलती पायी जायेगी उन्हें दण्डित किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के दोषी लोगों को भी दण्डित करने के निर्देश देंगे। इस सम्बन्ध में जब चर्चा होगी, तो सारे तथ्य आ जायेंगे, यदि उसमें भी इस प्रकरण का निराकरण नहीं होगा, तो फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नगर विकास सचिव/नगर निगम सचिव को बुलाकर के बात-चीत करके इसका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे।

लोग अपनी-अपनी

मैंने नियम-56 की इस सूचना को अग्राह्य करते हुए नियम-52 में परिवर्तित कर दिया है तथा इस पर डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है।

*डा0 रमेश चन्द्र विन्द--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मैं दिनांक 13 फरवरी, 2005 को एक शादी समारोह में भाग ले रहा था और वहां पर पहले से ही जाकर बैठा हुआ था और मेरे साथ उसमें काफी लोग इकट्ठा थे और दस मिनट के बाद ही वहां पर तहसीलदार सिंह व राजेश सिंह अपने दर्जनों असलहेधारियों के साथ आये और सभी के साथ मैंने भी उनका खड़े होकर अभिवादन किया। लेकिन फिर तुरन्त पांच मिनट के बाद जब उनका चेहरा मेरे ऊपर पर गया तो आग बबूला हो गये और उन्होंने कहा कि रमेश तुम विधायक हो गये हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम आकर के मेरे पैर नहीं छुये। लेकिन मैंने उसे सुनकर अनदेखी कर दी। लेकिन फिर उसके दस मिनट के बाद उन्होंने वहां दारू मंगवाई और दारू पी और फिर मुझे भद्दी-भद्दी गालियां भी उन्होंने दी और इसके बाद कहा कि साले तुम केवट मल्लाह जाति के हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और इसके बाद उन्होंने करीब 4-5 राउण्ड मेरे कान के बगल से फायरिंग की। तब तक दूसरे लोग और जिनके यहां शादी थी वह वहां आ गये और बीच बचाव करने लगे। मैंने फिर भी उनकी बातों को अनसुना सा कर दिया यह सोचकर कि आज इनकी नीयत खराब है तो मैं दो बातें बर्दाश्त कर लूँ। फिर उन्होंने फायरिंग की जिससे वहां दहशत का माहौल हो गया और बराती भागने लगे। उन्होंने कहा कि 4 दिन में तुमको यहां से उठवा लिया जायेगा। तो मैंने बस इतना कहा कि रमेश कोई कपूर की पुड़िया नहीं है जो पानी डालो तो गल जाये। इस पर वह आग बबूला हो गये और कहा कि इलाहाबाद में जो राजू पाल के साथ हुआ है, वही तुम्हारे साथ होगा और इस महीने के अन्त तक तुम जिन्दा नहीं रहोगे। मान्यवर, मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते यह बात आपके संज्ञान में लाते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने उनके निर्णय के लिए रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अब मौर्या जी आप क्या कहेंगे ? माननीय सदस्य ने जो बात कह दी उसकी गंभीरता बहुत हो गयी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं इसे इसलिए अत्यन्त गंभीरता से लेने के लिए कह रहा हूँ कि जिससे सदस्य के साथ जो घटना घटी है उसमें कोई दुबारा ऐसी घटना न होने पाये जिससे यहां निधन का निदेश लाना पड़े। मान्यवर, देश को आजाद हुए 57 वर्ष हो गये हैं और भारत के संविधान के द्वारा यह देश व्यवस्थित है और चल रहा है। हम सभी लोग कानून के अन्तर्गत कार्य करने में विश्वास रखते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसको गंभीरता से लेने का आग्रह कर रहा हूँ। चूँकि तहसीलदार सिंह आरआई गोपीगंज, यह जो नया जिला बना है सन्त रविदास नगर भदोही वहाँ के जाने माने कुख्यात अपराधी और माफिया है उनको एक लड़का विधायक भी है उदय भान सिंह जो लगातार जेल में है, इस समय पैरोल पर बाहर आये हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि ऐसी गिरी हुई मानसिकता के लोग जो आजादी के 57 साल के बाद भी जातीय आक्रोश से मल्लाह, केवट का बेटा विधायक हो जाय तो उसको बरदास्त नहीं करेंगे और उसे जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे लोगों के ऊपर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, नकेल नहीं लगायी गयी तो राजू पाल जैसा हत्याकांड दुबारा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायें और साथ ही साथ इस पर कानूनी कारंवाई भी करायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको देखें एक विधायक का मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, गम्भीरता से इसका संज्ञान लिया जायेगा और इस पर कारंवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी करायें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकार हुई।

1--श्री राम इकबाल सिंह व श्री मुन्शी लाल गौतम

2--श्री नवाब सिंह नागर

3--श्री धू राम लोधी

4--श्री मुन्शी लाल गौतम

5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

6--श्री सुरेश कुमार खन्ना

7--श्री श्याम देव राय चौधरी तथा

8--श्रीमती विद्या चौधरी

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष--

यह राज्यपाल का अभिभाषण है आप जितने प्रथम पंक्ति के नेता हैं कोई दिन ऐसा नहीं है जब आप लोग 10-20 मिनट न लेते हों। ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं, जिनको समय नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि अपने अपने दल के लोगों को जो नहीं बोल पाये हैं उनको बुलवाने का प्रयास करें। इसी के साथ ही राम प्रकाश त्रिपाठी जी का भाषण शुरू हुआ था, वह जारी है।

नोट :- †दिनांक 15 फरवरी, 2005 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय कल महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में मैं बोल रहा था आपने आज पुन : अवसर दिया इसके लिये मैं आपको एक बार पुन: धन्यवाद देता हूँ। मैं इस आशा के साथ आया था कि आज भी नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे समक्ष होंगे। कल मैंने जब एक घटना का उल्लेख किया था और मैंने पूछा था कि फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज के अन्तर्गत जो कांड हुआ है उसमें जो लोग बच गये हैं और अपाहिज हो गये हैं उनका क्या होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको उपकरण लगाये जायेंगे जिनकी दोनों टांगे कट गयी हैं, दोनों बाहें कट गयी हैं और उसका खर्चा हम वहन करेंगे। मान्यवर, यह पर्याप्त नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मृतक हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपये और जो अपाहिज हो गये हैं उनको 3-3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और उस घटना की जांच विशेष दल द्वारा करायी जाय। चूंकि मेरे पास ऐसे रिकार्ड मौजूद हैं कि जो आपके ए0डी0जी0 बुआ सिंह हैं वह गये थे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि घटना में जो पुलिस बल था वह पूरा दोषी है और जिला प्रशासन दोषी है। इस घटना के तीन दिन पहले मुकेश राजपूत गये थे तो गाँव के लोगों ने बताया था कि यहाँ पर कलुआ का तम्बू लग गया है उनके दुस्साहस की वजह से हम लोग नहीं कह पा रहे हैं।

(इस समय 01 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए।)

... और आज भी आश्चर्य है, माननीय अधिष्ठाता जी, कि उस गाँव में एक भी शस्त्र लाइसेंस नहीं है। जिस गाँव के 34 लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मान्यवर, जिला अधिकारी से कहकर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करायी जाय और लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिलवाये जायें तथा इस घटना की पूरी जांच करवायी जाये। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने शान्ति व्यवस्था पर अपना संतोष व्यक्त किया है। सब जानते हैं कि शान्ति व्यवस्था की स्थिति क्या है ? आज आप अपने में से किसी सदस्य को भेज दीजिये और पता करा लीजिये कि क्या स्थिति है। महोदय, मैं राजधानी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से चलती है, में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ कई विधायक थे, मधुर-मधुर संगीत धीरे-धीरे बजता चला आ रहा था, एक स्थान आया, जहाँ यह बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से कृपया दरवाजा न खोलें। मैंने अपना मोबाइल निकाला और जानना चाहा कि आखिर यह कौन सी जगह है। पता लगा कि जसवन्तनगर है। तो मान्यवर, यह चिन्ता की बात है, यह हमारे मुखिया का स्थान है, उनका क्षेत्र है। जब राजधानी एक्सप्रेस में यह हाल है कि उसमें बताया जा रहा है कि दरवाजा न खोलें तो फिर शान्ति व्यवस्था की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या बन चुकी है ? छिबरामऊ में भी यही स्थिति बन रही है। एक हफ्ते में वहां 3 बैंकों की ब्रांचें लुट चुकी है। ऐसी शान्ति व्यवस्था पर आपको स्वयं चिन्तित होना चाहिये। आंकड़ों से काम नहीं बनेगा कि 2003 में इतना हुआ और 2004 में इतना हुआ, इससे काम नहीं बनेगा।

मान्यवर, एक बिन्दु और है, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में समग्र ग्राम विकास योजना की चर्चा की है। यह योजना अपने में लालीपाप जैसी है। पहले तो इसमें 19 बिन्दु थे, फिर विद्युतीकरण हटा दिया गया, उसके बाद आज भी 2003-2004 के जो चयनित गाँव थे, उनको आज तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़ा गया, अब 31 मार्च आ रहा है, पैसा रिलीज हुआ

होगा, यह पैसा कहाँ जायेगा, कैसे जायेगा, यह समग्र विकास तो दूर की बात है, सम्पूर्ण विकास होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाया है। इस दृष्टि से मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर विचार करे। जहाँ तक अपराधों का प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज से 3 महीने पहले ग्राम शरीफाबाद में रूपेन्द्र सिंह चौहान का परिवार रहता था, दिन में ढाई बजे बाकायदा 2-3 लोग आये, सड़क के उस तरफ किसनी गाँव पड़ता है, उन्होनें उन लोगों से कहा कि वहाँ चलो, पंचायत होगी, लेकिन वह बेचारे लोग डर गये, तब उसको, उसकी बूढ़ी माँ और गाँव के 3-4 लोगों को उधर ले गये और ले जाकर सड़क पर बैठा दिया, फिर उन लोगों ने शराब पी, उनसे भी शराब पीने को कहा लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम शराब नहीं पीते हैं तो एक गोली इधर से और एक गोली उधर से चला दी, बेचारी माँ उससे चिपट गयी और गोली उसके सीने को फाड़ती निकल गयी, उसके बाद हत्यारे चले गये और थोड़ी देर बाद फिर लौटकर आये और सिर काटकर ले गये, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर लेकर आये और डेडबाडी लेकर चले गये। मुझे जब खबर मिली तो मैं कुछ गाँव वालों को लेकर रात में डेढ़ बजे वहाँ गया, अब इस घटना को ढाई महीने हो चुके हैं और अपराधी मूछों पर ताव देकर खुलेआम घूम रहे हैं और उसकी बूढ़ी माँ को धमकियाँ दे रहे हैं, आप ऐसे मामलों को सी0आई0डी0 में न जाने दें। यह इस तरह डेलाइट मर्डर हो रहे हैं। मान्यवर, शासन को संवेदनशील होना चाहिये और डेलाइट मर्डर, दहेज हत्याओं को सी0आई0डी0 में देने से पहले एक बार यह देख लेना चाहिये कि यह घटनायें क्यों हो रही है ? मेरे क्षेत्र के कम से कम एक दर्जन केस ऐसे हैं जो सी0आई0डी0 में काफी समय से पड़े हैं और अभियुक्तगण गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं। शान्ति व्यवस्था की स्थिति के बारे में महामहिम राज्यपाल जी ने संतोष व्यक्त किया होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है। आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। मेरे यहाँ कल सवेरे स्टेट बैंक की ब्रांच भी लुट गयी, इससे पहले कोआपरेटिव बैंक की ब्रांच लूटी गयी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में यदि सरकारें संवेदनशील नहीं होती, गंभीर नहीं होती, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने तो आज सोचा था कि नेता सदन हमारे सामने होंगे और गरीबों को, दुखियों को, सहायता की घोषणा हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री राम विशुन आजाद--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, लोकतन्त्र में प्रदेश का विकास शिक्षा, सड़क और विद्युत सब पर निर्भर है। अगर सड़क बिजली और शिक्षा का विकास होता है तो क्षेत्र के विकास के साथ-साथ पूरे प्रदेश का विकास होता है। आज हमारे सामने के लोग, विपक्ष के लोग, जो बैठे हैं, जिन्होंने लोक कल्याणकारी सरकार, जिसके अगुआ हमारे मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का विकास और उत्थान हो रहा है, उनकी सरकार के विषय में जो इन लोगों ने कहा कि प्रदेश की कानून- व्यवस्था चरमरा गयी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह गयी है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकारें थी तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लुंज-पुंज हो चुकी थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जंगलराज फैला हुआ था, पूरे प्रदेश में अपहरण, डकैती का सिलसिला चल रहा था। इनकी सरकार में प्रदेश में अनुसूचित जाति के जो उत्पीड़क आंकड़े आये थे, उस समय वर्ष 2002 में 5841 घटनाएं अनुसूचित जातियों के ऊपर हत्या गम्भीर चोटें, बलात्कार, आगजनी और भारतीय दण्ड संहिता या अन्य अपराध के थे और हमारी सरकार जब आयी तो इस तरह से अपराध घटे हैं कि यह संख्या मात्र 2863 हो गयी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी और इसने कानून व्यवस्था के नाम पर जो शिकंजा कसा, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कसा है। जिस तरह से पहले होता था कि हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब इनकी सरकार थी, तो वहाँ पर इनके छोटे-मोटे दलाल हुआ करते थे। उस समय थाना भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से चलता था, दरोगा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती थी, जनता का मनमाने तरीके से उत्पीड़न किया जाता था। अब जब हमारी सरकार बनी तो जो व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी थी, हमें उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था मिली थी, उसे हमारे नेता जी ने बहुत कम समय में ही सुधार दिया और प्रदेश का विकास किया, इस तरीके से आज तक किसी ने भी नहीं किया था। समग्र ग्राम विकास योजना की बात है, समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जिस तरह से जो पिछड़े गाँव थे, उन गाँवों के विकास के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चाहे इन्दिरा आवास योजना हो, चाहे विधवा पेन्शन योजना हो, चाहे विकलांग पेंशन योजना हो, सभी योजनाओं में जो भी चयनित किये गये हैं, उनमें पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिला। इनकी सरकार में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जान-बूझ करके जो इनके कार्यकर्ता होते थे, जो अपात्र होते थे, उन्हें ही दे दिया जाता था। कभी पात्र व्यक्ति को विधवा पेंशन, विकलांग पेन्शन, नेत्रहीन पेन्शन का लाभ इनकी सरकार में नहीं दिया गया। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार है और जिन पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, यह लाभ दिया जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है कि पात्र व्यक्तियों को लाभ क्यों दिया जा रहा है। आज उन गाँवों को जिनको आपने उपेक्षित किया था, उनको सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, मैं पूर्वांचल विकास निधि की बात करना चाहता हूं, जब मैं विरोध पक्ष में था तो कई नियमों के अन्तर्गत यहाँ पर अपनी बात उठाता था, लेकिन हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि यह निर्देश दिया गया था कि जो इनकी पार्टी के सदस्य होंगे उन्हीं को उसका लाभ दिया जायेगा। हम लोगों को एक पैसे का लाभ नहीं दिया गया। चाहे राज्य योजना की बात हो, राज्य योजना में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते थे उन्हीं को लाभ दिया जाता था, विपक्ष के विधायक को कोई लाभ नहीं दिया गया। हम लोग चिल्लाते रहे। हम लोगों ने मनकापुर, मसकनवाँ -बभनान मार्ग की बात उठायी थी लेकिन उस पर एक नया पैसा नहीं दिया। आज जब हमारी कल्याणकारी सरकार है तो 6 करोड़ रुपये से, जो हमारी सड़क 1993 से पड़ी थी, उस पर काम हो रहा है और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उस समय दर्जीकुँआ-मनकापुर-बभनान मार्ग पर भी एक नया पैसा नहीं दिया गया। मैंने एक पुल की माँग की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस सरकार में केवल भेदभाव किया गया। हम लोग जब माँग करते थे तो उधर के

लोग हँसते थे। उस समय बेरोजगार तबाह थे, बेरोजगार अपनी बेरोजगारी की बात करते थे तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे नौजवान, जो पढ़ करके निकले, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और बी0ए0 करके निकले उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला तो दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। हमारी सरकार आयी तो हमने रोजगार देने की बात कही और उस पर गम्भीरता से विचार किया आज उसका नतीजा है कि चाहे शिक्षामित्र हों, विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत बेरोजगार बी0एड0 धारकों की भर्ती हो या ऑगनबाड़ी सहायिकायें हों या विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं, वह बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी देना चाहिए था कि जिस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है उसकी प्रशंसा करते। आप लोगों ने सरकार में रहकर बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं सुनी। आज हमारी सरकार, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों के साथ सभी वर्गों के विकास की बात कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बी0एस0पी0 के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश को जातियों के नाम पर कभी नहीं बाँटा जा सकता, बहुत सी पार्टियाँ हैं जो जाति के नाम पर इस समाज, प्रदेश और देश को बाँटने की कोशिश कर रही हैं। हमारी सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है तो तकलीफ हो रही है। कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता था। आज विद्युत की बात ले लीजिए जब हम लोग 8 घण्टे से ज्यादा बिजली की बात करते थे तो सुना नहीं जाता था और सत्तापक्ष के लोग हंसते थे। 8 घण्टे बिजली से कोई औद्योगीकरण होगा, 8 घण्टे बिजली से कोई उद्योग चल सकता है। हमारी कल्याणकारी सरकार ने ऊर्जा की तरफ ध्यान दिया है और अब यह स्थिति है कि 8-10 घण्टे से लेकर तहसील स्तर पर 14 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है। यही नहीं वर्ष 2003-2004 में हमने 1183 गांवों के लिए प्रस्ताव दिया था और सारे गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है। वर्ष 2002 में 5-5 गांवों के विद्युतीकरण के लिये प्रस्ताव दिया था लेकिन न वहां पर तार लगे न खम्भे लगे और न आज तक बिजली आयी। मान्यवर, पट्टों के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। पहले अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे दिये गये लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। तहसील दिवस के नाम पर अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपालों का शोषण किया जाता था। मान्यवर, इसी तरह से जो तालाब और पोखरे हैं उनका स्वरूप बदल दिया गया है। मेरी मांग है कि एक अभियान चलाया जाय और इन तालाब और पोखरों को खुदवाया जाय ताकि आने वाले दिनों में पानी मिल सके। मान्यवर, हमारी सरकार ने 10495 शिक्षामित्रों की नियुक्तियां की हैं और विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों का चयन किया गया है जिससे गरीब घरों के लड़कों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है। कक्षा 12 पास छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये 20 हजार रुपये की सहायता कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत दी जा रही है। इसी तरह से समाज के दबे, कुचले लोगों के लिये योजनायें चलायी गयी हैं जिसका लाभ उनको मिल रहा है। मान्यवर, गन्ना किसान इस प्रदेश की रीढ़ है, जब किसान टूटता है। कृषि पर प्रदेश का विकास निर्भर है। किसान को उसकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा। हमारी सरकार ने किसानों के लिये जितना काम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। पहले हम यहां पर गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिये बेल में आते थे और कहते थे कि भुगतान किया जाय लेकिन भुगतान नहीं किया जाता था।

लेकिन जबसे हमारी सरकार आयी 101 चीनी मिलों द्वारा 5804 करोड़ रुपयों का भुगतान दिसंबर तक हो चुका है। अभी तक 90 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है इससे अच्छी सरकार और कोई नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यहां पर कानून व्यवस्था के बारे में आलोचना की गयी। कानून व्यवस्था तो भगवान रामचंद्र जी के जमाने में गड़बड़ थी। राज अशोक और राजा नंद के जमाने में कानून व्यवस्था गड़बड़ थी। लेकिन हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां क्रांति भी नये ढंग से शुरू होती है। जब क्रांति होती है तो बदलाव आता है और देश और प्रदेश विकसित होता है। अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई की सुविधा आज किसानों को दी गयी है जिससे उनका उत्पादन बढ़ा है। जब आपकी सरकार थी तो 75 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े रहते थे। आप लोगों ने कभी नलकूपों को सुधारने का काम नहीं किया किसानों के प्रति कभी संवेदनशील नहीं हुए अगर किसानों के प्रति संवेदनशील होते तो जो 65 प्रतिशत राजकीय नलकूप खराब थे उनको ठीक कराते।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद--

हमारी सरकार खराब पड़े नलकूपों को सुधारने का काम कर रही है और हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही बड़ी हो।। चाहे जितनी ही कड़ी हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हमारे मुख्य मंत्री जी चट्टान की तरह हैं। इन शब्दों के साथ में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूँ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। यह समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में इस समय 27 कैबिनेट मंत्री हैं और 33 राज्यमंत्री हैं मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जी के पास जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वह सब हैं। गृह विभाग उनके पास है, ऊर्जा विभाग उनके पास है, शिक्षा विभाग उनके पास हैं अनेकों महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। उतने विभाग सब कैबिनेट मंत्रियों के पास नहीं होंगे जितने मुख्यमंत्री जी के पास हैं। सत्ता पक्ष के जो विधायक बैठे हैं उसमें कई लोग बहुत योग्य हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। चिकित्सा विभाग में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जैसे विभागों के मंत्री बना दिए गए लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। जबकि समाजवादी सरकार में सबको कार्य मिलना चाहिए कई राज्यमंत्री तो बेकार बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है। यहाँ पर जब विपक्ष से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकांश प्रश्नों का उत्तर संसदीय कार्यमंत्री ही देते हैं। विभागीय मंत्री दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा ? क्या इस सरकार की यही प्राथमिकता है ? मेरे पास पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकान्त

शास्त्री का 4 फरवरी, 2004 का अभिभाषण है और वर्तमान राज्यपाल का 11 फरवरी का अभिभाषण है दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जबकि एक वर्ष का कार्यकाल कम नहीं होता है। उस समय जो योजनाएं थी उन्हीं को रिपीट किया गया है। अभी सत्तारूढ़ दल के विधायक बड़ी जोर शोर से कानून व्यवस्था पर चिल्ला रहे थे मैं विज्ञान का छात्र और शिक्षक रहा हूँ मेरे पास आंकड़े हैं उससे पता चलेगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। ईमानदारी से सोंचे तो पता चलेगा कि किस तरह से प्रदेश से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के इशारे पर प्रशासन नहीं चल रहा है। क्या यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ वातावरण है ? मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय दण्ड विधान के तहत वर्ष 2003 में कितने अपराध हुए और उसकी तुलना में वर्ष 2004 में कितने अपराध हुए हैं। इस एक साल में अपराधों में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपकी सरकार में डकैती में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लूट की घटनाओं में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हत्या में 25 प्रतिशत की, दहेज की घटनायें 40 प्रतिशत बढ़ी, बलात्कार की घटनाएं 25 प्रतिशत बढ़ी फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 114 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। बलवा वाली घटनाओं में 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सभी विधायक बैठे हैं आप औसत निकाल लीजिये सेकेन्ड क्लास से ज्यादा अंक मिल जायेंगे। क्या इसी को कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है।

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद जो शिक्षा के लिये प्रदेश में जाना जाता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। जनवरी, 2004 से जुलाई, 2004 तक यानि 213 दिनों के आँकड़े हैं मेरे पास। हत्या के 187 मामले दर्ज हुए, लूट के 117, डकैती के 115, राहजनी के 67, चोरी के 118 मामले आदि-आदि। मान्यवर, जब एक जनपद की यह हालत है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा ? उधर के लोग कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है मान्यवर, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हों और घटनाओं में कमी होने के बजाय बढ़ोत्तरी हो रही हो तो आप इसको अच्छी कानून व्यवस्था कहेंगे। अगर अच्छी कानून व्यवस्था ऐसी है, तो खराब की क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, विधायकों की हत्या हो रही है। रमेश बिन्द को प्रशासनिक अधिकारी धमकाते हैं, क्या यही लोकतंत्र है ? इस तरह से कैसे लोकतंत्र चलेगा ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि शासन को निर्देशित करें कि विधायकों की सुरक्षा हर प्रकार से होनी चाहिए और यह सरकार का दायित्व है। इलाहाबाद के अन्दर 25 जनवरी, 2005 को विधायक की हत्या हो जाती है। 9 फरवरी को शहर में नवयुवक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। यह सरकार कितनी संवेदनशील है इसका एक उदाहरण है कि मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया था। वह प्रश्न इस तरह से था--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीते वर्ष 2004 में कितनी हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दहेज हत्या, बल्वे, वाहन चोरी की वर्ष 2003 की तुलना में कितनी घटनाएं हुई हैं। क्या यह वर्ष 2003 की तुलना में अधिक है ? यदि हाँ तो इनके बढ़ने का क्या कारण है ? जिन थाना क्षेत्रों में यह अधिक हुए हैं उनके लिये उत्तरदायी मानते हुए वहाँ के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नही तो क्यों ? मान्यवर,विस्तीर्णता के आधार पर इस प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया। मान्यवर, आज कम्प्यूटर का युग है। सारे आँकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गये और हम विधायकों का क्या यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम जो प्रश्न लगाते है उसका उत्तर हमको मिलना चाहिए। लेकिन मान्यवर, यह मंत्री नही चाहते है कि आफिशियली इसकी जानकारी

विधायकों को मिले। मान्यवर, इस तरह की उपेक्षा माननीय विधायकों की और उनके प्रश्नों की नहीं होनी चाहिए। इस तरह से प्रश्नों को विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त करना उचित नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के अन्दर कुछ जानकारी चाहते हैं, तो हमको वह जानकारी मिलनी चाहिए। इससे यह जाहिर हो रहा है कि यह सरकार कितनी संवेदनशून्य है, तथ्यों को छिपाना चाहती है इसीलिए प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूँ, विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा हूँ। शिक्षा मंत्री भी प्रदेश में रहा हूँ और इस नाते भी इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला है। शिक्षा विभाग चाहे उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास हैं। गृह मंत्रालय इनके पास है, कानून व्यवस्था कैसी है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? शिक्षा विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा में पठन-पाठन नहीं होगा चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो या चिकित्सा शिक्षा हो। अगर शिक्षकों की कमी होगी तो पठन-पाठन का कार्य कैसे होगा ? प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न लगाया था एक दिन पहले उत्तर मिला है कि प्रदेश के प्राइमरी विद्यालय में 76,405 शिक्षकों के और 15,319 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान्यवर, कैसे पठन-पाठन होगा ? यह सरकार का दायित्व है कि पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उन्हें भी भरा जाय। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं इस चीज का ज़िक्र नहीं देखा। शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए। इसी सदन में शिक्षा मंत्री ने दो विधेयक पेश किये थे, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की जो क्वालिफिकेशन है अभी हमने समाचार जो मत्रों में पढ़ा कि इलाहाबाद से माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के 6 पेपर आउट हो गये बी0एड0 के सेलेक्शन के लिये। किस तरह की शिक्षा के बारे में यह सरकार सोच रही है और क्या कर रही है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। जाति के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी तो शिक्षा का भला होने वाला नहीं है क्योंकि जो योग्य है उसको लेना चाहिए किसी जाति के आधार पर हाइएस्ट पद पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। तभी प्रदेश का विकास होगा। उच्चतर शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा बी0एड0 में टीचर्स के चयन में पत्नी अभ्यर्थी की आयोग ने पति को विशेषज्ञ इसी विषय का बना दिया तो उसमें क्या पारदर्शिता रहेगी। क्या इस तरह की शिक्षा सरकार प्रदेश में लाना चाहती है ? परीक्षायें सही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे प्रदेश के छात्र देश में नम्बर एक पर पहुँचे इसके लिए परीक्षाओं में पवित्रता बनाने की आवश्यकता है। पिछली बार मैंने कहा था कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? तब शिक्षा मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उसके पहले जो सरकारें थीं उसमें आतंकित होकर परीक्षार्थी परीक्षा देते थे। अब भय मुक्त होकर परीक्षा दे रहे हैं। इस तरह नकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कारण इण्टरमीडिएट का रिजल्ट 90 प्रतिशत रहा। पवित्रता बनाने के लिए एक शब्द भी नही कहा। इसी तरह से मान्यवर, सेल्फ फाइनेंस कोर्स की बाढ़ सी आ गई है। शिक्षा का विस्तारीकरण हो इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी नही होनी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस की शिक्षा में टीचर्स का इक्सप्लायटेशन हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में टीचर 1000 रुपये में पढ़ाते हैं। एक हजार रुपये में कैसा पढ़ायेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने एक विषय उठाया था बी0एड0 कालेजों के बारे में मुझे जानकारी है।

श्री अधिष्ठाता--

समय हो गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

प्रदेश में बी0एड0 कालेज खुलने की वाढ़ सी आ गई। बिना मानक पूरे हुए सरकार बी0एड0 कालेज खुलवा रही है। 2002-03 मे 38 विद्यालयों और 2003-04 में 96 कालेजों को मान्यता दी गई। बी0एड0 कालेजों में जो प्रवेश हो रहे हैं उसमें मैनेजमेंट कोटे में 20 हजार से एक लाख रुपये तक लेकर प्रवेश दिया जा रहा है। जो एक लाख रुपये लेकर प्रवेश पाएगा वह शिक्षा क्या देगा ? उसके संस्कार क्या होंगे ? प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं, वहां पार्ट टाइम टीचर्स से पढ़वाया जा रहा है इससे क्वालिटी कम हो रही है। इसी तरह से मान्यवर दूरस्थ शिक्षा है, जो कालेज दूरस्थ शिक्षा दे रहे हैं उसमें वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर है वहां 12 जनपद में 329 महाविद्यालय खोले हैं वहां प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्यालय हैं। इसमें दूरस्थ शिक्षा के कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मैं मान्यवर, विज्ञान का छात्र रहा हूँ, इन दूरस्थ विद्यालयों में एम0एस0सी0 की पढ़ाई कराई जा रही है लेकिन बगैर प्रैक्टिकल के कैसे यह पढ़ायेंगे ? इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जाति, वर्ग, धर्म के भेद से ऊपर उठकर राज्य के विकास की बात कही है, लेकिन उर्दू, मदरसों के लिए तो सरकार द्वारा योजनायें बनाई गई.....

श्री अधिष्ठाता--

संक्षिप्त करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

लेकिन कहीं हिन्दी, संस्कृत, संस्कृत विद्यालयों की चर्चा नहीं की गई है। इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। इसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी। श्रीमन् विश्वविद्यालय में देश से ही नहीं अन्य देशों के छात्र भी पढ़ सकते हैं। इसमें हर धर्म , प्रदेश के छात्र-छात्राओं को शिक्षा मिलती है इसलिए विश्वविद्यालय कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार ने उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है उसमें उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ायी जाएगी और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा।

(सब पढ़ाया जाएगा की आवाजें)

श्री वसीम अहमद--

यह गलत बात है, आपको पूरी जानकारी नहीं है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

इसका विधेयक मेरे पास है, मुझे पूरी जानकारी है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप बैठें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय सभी समुदायों और भाषाओं के लिए होना चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वविद्यालय की जो कल्पना की गयी है, इसी आधार पर खुलना

चाहिए। जब यह सरकार बनी थी तो कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे ? क्या एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया गया ? यह कहा गया कि इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव भेजने से पहले ही केन्द्र सरकार से पूछ लिया होता। रोजगार दिलाने की जो बात है, आजकल पीएसी और पुलिस में जो भर्तियाँ हो रही हैं, मुझे जानकारी है या तो आपके पास भारी-भरकम सोर्स हो या पैसा हो।

डॉ0 बकार अहमद शाह--

मान्यवर, यह गलत है।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, यह गलत बयान कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण हो तो दे दें।

डा0 नेरन्द्र कुमार सिंह गौर--

हाँ, दे देंगे। मान्यवर, इधर के लोग गन्ना किसानों की बहुत बात करते हैं, मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूँ। वर्ष 2002-03 और 2003-04 का गन्ना मूल्य भुगतान अभी अवशेष है, उसका भुगतान होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने 100 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ना मूल्य का भुगतान किया था और उस समय चीनी का मूल्य 12-13 रुपये प्रति किलो था या 1200-1300 रुपये प्रति कुन्तल था। गन्ना मूल्य और चीनी मूल्य में जो अनुपात था वह 1 : 13 का था। मान्यवर, इस समय चीनी का मूल्य 22-23 रुपये प्रति किलो है और गन्ने का मूल्य 112 रुपये प्रति कुन्तल है इस प्रकार यह अनुपात 1 : 20 का रहा। यदि यह सरकार किसानों की हितैषी है तो जो अनुपात हमारी सरकार के समय में था, 1 : 13 का, उस अनुपात को देखते हुए 177 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से भुगतान सरकार करे। तब हम समझेंगे कि यह किसानों की हितैषी सरकार है। महिलाओं के बारे में बात कही गयी, इण्टरमीडिएट पास बालिकाओं को 20 हजार रुपये दिए जाने की बात कही गयी, यह अच्छी बात है। यह घोषणा एक साल पहले की गई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितनी छात्राओं को यह राशि दी गयी है। मान्यवर, ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश को 6600 मेगावॉट बिजली की आवश्यकता है लेकिन सिर्फ 5000 मेगावॉट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। सरकार ने घोषणा की थी कि कम से कम कटौती होगी।

मान्यवर, हम लोगों की जब सरकार थी तब शायद एक-दो घण्टे बिजली की कटौती होती थी। हम यह मान सकते हैं कि एक-दो प्रतिशत बिजली की खपत बढ़ी होगी लेकिन आज जाड़े में महानगरों में 4-6 घण्टे और गर्मियों 6-8 घण्टे बिजली की कटौती हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 12-14 घण्टे कटौती हो रही है। वर्ष 2004 और 2005 इन दोनों भाषणों में बिजली के उत्पादन की बात तो कही गई, आप निजीकरण की बात तो कर रहे हैं, बिजली बढ़ाने की भी तो बात करें । मान्यवर, स्वास्थ्य और चिकित्सा की जब स्थिति ठीक रहेगी तो प्रदेश का और आप का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा भी ठीक रहेगा। जो मेडिकल कालेज हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कालेज हैं, उसमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं, डाक्टरों की कमी है। मान्यवर, जो डाक्टर हैं वह अस्पतालों में नहीं जाते। उसका कारण है कि आज प्रदेश में ड्राप्सी जैसी बीमारी हो रही है। मान्यवर, विकास में राजनीति नहीं होती है। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या सत्तापक्ष के

माननीय सदस्य हों। यह हो सकता है कि जो सत्तापक्ष के होते हैं उन्हें सत्ता का कुछ लाभ मिल जाता है लेकिन कई योजनाएँ विकास की ऐसी होती हे जिसमें विधायकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूर्वान्चल विकास निधि में सीवर के विकास के लिए एक योजना स्वीकृत हुयी थी। उसमें ढाई करोड़ रुपया मिलना था। उसमें केवल 50 लाख रुपया मिला और उसमें जो काम हुआ वह पूरा पैसा न मिलने के कारण खराब हो रहा है। अभी दो करोड़ रुपया नहीं मिला है। सरकारी पैसे की बरबादी हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं चाहूंगा कि सरकार भेदभाव न करे। मान्यवर, सरकार ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विकास परिषद के नाम से समिति बनायी है ताकि उत्तर प्रदेश का अच्छा विकास हो। उसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों को रखा गया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक किसी पूंजीपति ने प्रदेश में पूंजी निवेश किया है ? कोई नया उद्योग लगा है ? यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री घूरा राम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लोकतांत्रिक व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का हित करने की बात कही है। उसमें मेरी बातें छूट गयी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कई बार प्राणघातक हमले हुए हैं। मैंने इसको नियम 56 में भी रखा था और संसदीय कार्यमंत्री जी ने बलिया प्रशासन से पूछा था, उन्होंने जानकारी ली थी। सदन को भी जानकारी थी। बलिया में एक बहुत बड़ा अपराधी है पुनीत सिंह जो 68 हत्यायें कर चुका है। उसने यह कहा था कि वह घूरा राम का सफाया करने के लिए आया है। मुलाकात नहीं हुयी तो वसन्तपुर में जाकर सुकुरा थाने में नरसंहार कर दिया। अगला निशाना घूरा राम है। मुझे पता चला है कि बलिया जनपद में कुख्यात अपराधी बबलू सिंह और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी विनीत बलिया जनपद में बंद है और उस सदन का एक विधायक भी उनसे मिला है और मुझे बताया गया है कि मुझे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है।

सत्ता पक्ष के कई सदस्य--

उसका नाम बता दें।

श्री घूरा राम--

अधिष्ठाता महोदय, यह जानकारी मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता चली है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ। वास्तव में यह सत्य है। मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूँ क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सुरक्षा की ओर कहा था इसलिए इन बातों को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बलिया जनपद में 23 थाने हैं इसमें 3 कोतवाली हैं और 20 थाने हैं। उसमें एक भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति थानाध्यक्ष नहीं है और न ही कोतवाल है। इसलिए आरक्षण के हिसाब से भी 5 होना चाहिए लेकिन एक की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसको भी जोड़ दिया जाना चाहिए। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विकास की बात कही है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र जनपद मऊ में रतनपुरा ब्लाक में गढ़ाताल है। यह

वहुत वड़ा ताल है। जव पानी वरसता है तो, मान्यवर, इसमें वाढ़ आ जाती है और इसमें किसानों की हजारों एकड़ भूमि में जल प्लावन हो जाता है। मान्यवर, वहाँ पर एक राजा बाँध है। जब वरसात में कटान होता है तो लोगों में लड़ाई होती है और इसमें कत्ल तक हो जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इस हेतु चार करोड़ साठ लाख स्वीकार किये थे लेकिन वह भी नहीं मिल पा रहे है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ताकि किसानों का भला हो सके। आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में मानव विकास की बात रखी गयी है। हमारा रसड़ा विधान सभा क्षेत्र जहां से शुरू होता है और जहाँ पर समाप्त होता है, करीब-करीब पचपन किलोमीटर वहाँ की मुख्य सड़क है, उससे सारे लोग जाते हैं। वह सड़क जव वरसात हो जाती है तो वह ताल के रूप में हो जाती है और वह बिहार से भी खराब सड़क बन जाती है। लोग उस सड़क को छोड़कर खेतों से या अन्य रास्तों से जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान दे। इतना ऊँचा नीचा है कि कहीं तीन फिट, कहीं चार फिट है, जिससे आवागमन में बाधा पड़ती है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको भी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण मे जोड़ दिया जाय। एक बात और कहना चाहता हूँ, महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में न्याय की बात कही है। हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में मुन्सिफ कोर्ट बनी है, वहाँ पर मुंसिफ भी रहता था और उसका आवास भी है। उस कोर्ट को संचालित करने के लिए पूर्व सरकार ने आदेशित किया और माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेशित किया लेकिन वह कोर्ट संचालित नहीं हो पा रही है, इसको संचालित कराया जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, क्षेत्र के विकास के लिए मानव के विकास के लिए तीन चीजों का बड़ा महत्व होता है। वह है बिजली, पानी और सड़क। मान्यवर, पूर्व सरकार ने हमारे क्षेत्र में सौ परियोजनाएं स्वीकार की थी, जिसमें सड़क और पुलिया थीं। उसमें कार्य भी शुरू हो गया था लेकिन अब उन कार्यों पर धन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस कार्य को भी जोड़ दिया जाय। मान्यवर, विशिष्ट बीटीसी वालिया जनपद और मऊ जनपद में, क्योंकि इन दोनों में हमारा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है, जो चयन हुए हैं उसमें फर्जी चयन हुए हैं। फर्जी सार्टिफिकेट उसमें लगे हैं और जितने भी अभ्यर्थी उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं वह फर्जी हैं तो इन फर्जी नियुक्तियों को निरस्त किया जाय और पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको भी जोड़ लिया जाय। मान्यवर, जो गाँव का रहने वाल व्यक्ति है, आज की व्यवस्था में उसे बिल्कुल बिजली नहीं मिल पा रही है और पानी भी नहीं मिल पा रहा है फिर कैसे किसानों का सिंचाई का काम किया जाएगा, या किसी भी प्रकार के दूसरे सम्बन्धित कार्यों को किया जाएगा, मान्यवर, यह स्थिति है हमारे इलाके की। इसी के साथ मैं नलकूपों की भी बात करना चाहता हूँ, जहां नलकूप बने हुए हैं वह संचालित नहीं है, जहां उनके पानी के लिए नालियां बनी हुई हैं उन्हें काट दिया गया है, किसानों के सिंचाई का काम नहीं हुआ है, किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उसे भी अभिभाषण में जोड़ लिया जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ , जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में

एक बात अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कही गई है वह निश्चित रूप से इस सरकार की ओर से आदेश दे दिया जाए क्योंकि मुझे आभास होता है कि सरकार की तरफ से निश्चित रूप से ऐसे आदेश हैं कि इस वर्ग के लोगों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज न की जाए, इसलिए इसको भी अभिभाषण में जोड़ दिया जाए। इसी के साथ में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सदस्य छोटे लाल यादव द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब-जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी है, तब-तब प्रदेश का, गाँवों का विकास हुआ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, जो नीतियां माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में बनती हैं वह सारे समाज के लिए, गरीबों के लिए, विकास के आइने का काम करती हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में समाज के विकास के लिए जो बातें कहीं गयी हैं उसकी तस्वीर गाँवों के विकास के रूप में झलका ही है और भविष्य में भी इसी तरह के विकास के कार्य होंगे जैसा कि इस अभिभाषण में कहा गया है इसको कोई झुठला नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी विभाग हो बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, परिवहन आदि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान न गया हो और सरकार ने उन सब क्षेत्रों में काम न किया हो। वर्ष 1993 में मेरे ही क्षेत्र में जब मेरी ही सरकार थी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तब जो सड़कें बनाई गयी थी, इनमें बरौलिया से नुनखरा सड़क, नयागाँव से बमटापुर चिल्लौर, लंकन से महितापुर, मेउढ़ा से भदार, पलिया से बेडीजोर, खड़गपुर से तिथि गाँव, खड़गपुर से बड़ागाँव और खड़गपुर से राजा साहब खद्दीपुर की सड़कें हैं। मान्यवर, एक-एक किमी0 लम्बी सड़क बनने के बाद, बीच में लगातार भाजपा और बसपा की सरकारें रही हैं, एक इन्च का भी कार्य इन सड़कों पर नहीं हुआ है, जबकि यह सड़कें राज्य योजना की सड़कें थीं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई तो फिर से इन सड़कों पर कार्य शुरू हो गया है तो क्या फिर भी मैं इस अभिभाषण के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पेश करूँगा ? मान्यवर, एक करोड़ से ऊपर का पुल दिया गया था, उसके बाद नौ साल में एक पुलिया का भी निर्माण नहीं किया गया। अब इस सरकार ने एक करोड़ 17 लाख रुपये देकर के दूसरे पुल का निर्माण शुरू करा दिया है। अब अस्पताल खुलने का भी समय आ गया है हमारी बिलग्राम विधान सभा में । नियम-51 में मैंने कई बार मांग किया कि तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सी0एच0सी0 बनाने की बहुत जरूरत है, लेकिन कभी कहा गया कि जमीन नहीं मिल रही है, कभी कहा गया कि जिला योजना से प्रस्ताव नहीं आ रहा है, जिला योजना से प्रस्ताव अब कैसे हो गया ? मुलायम सिंह यादव की सरकार आने पर यह बनने जा रहा है, सी0एच0सी0 बनने जा रहा है, तो क्या मैं फिर भी धन्यवाद प्रस्ताव न पेश करूँ ? मान्यवर, हमारा क्षेत्र बिलग्राम हरदोई जनपद में आता है यहां बिजली की आपूर्ति उन्नाव जनपद से की जाती है, मैंने कई बार मांग की कि बिलग्राम को बिजली की आपूर्ति हरदोई से की जाए, लेकिन भाजपा-बसपा की सरकार में हमारी नहीं सुनी गई, हमारी सरकार आई काम प्रारम्भ हो गया। तो एक आदेश हो गया कि 58 लाख रुपये खर्च करके हरदोई से बिजली जोड़ दी जायेगी ताकि गाँवों के बिजली मिल सके और उनका विकास हो सके।

मान्यवर, पिछली सरकार में नहरों की सफाई नहीं होती थी जिससे टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता था हमारे यहाँ एक भी बम्बे की खुदाई नहीं हुई पानी नहीं पहुँचा और जिससे किसान बर्बाद होने लगे। फिर मान्यवर, हमारी सरकार आयी और अब नहरों की सफाई होने लगी है और टेल तक पानी पहुँचने लगा है। फिर भी क्या यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसको सर्वसम्मति से पारित न किया जाय ? मान्यवर, अब शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हो रही है उसमें स्थिति यह बन रही है कि हर डेढ़ किलोमीटर पर जूनियर हाईस्कूल खुल रहे हैं और तमाम कालेजों को मान्यताएं दी गयी है।

मान्यवर, शिक्षा के उत्थान के लिए हमारे बिलग्राम में सरकारी हाईस्कूल का विद्यालय है जिसमें 15-20 साल से लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था चलती रही है लेकिन उसकी सरकारी बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी इसी कारण उस स्कूल के बन्द होने की नौबत आ गयी थी उसमें केवल 22 लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन जब से हमारी सरकार आयी है उस विद्यालय भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि देकर और जमीन दे करके वहाँ विद्यालय बनवाया जा रहा है फिर भी क्या इस धन्यवाद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास नहीं किया जायेगा ? मान्यवर, हमारे यहाँ ट्यूबवेल की समस्या रही है बहुत ट्यूबवेल खराब रहते थे जिन्हें ठीक कराया जा रहा है मान्यवर, हमारे यहाँ एक समस्या है शायद वह भी हो जाये कि हमारे जिले के जो पाँच ब्लाक हैं हरपालपुर साण्डी, बिलग्राम, मधोगंज, मल्लावाँ इनके ट्यूबवेल के रख-रखाव आदि का कार्य उन्नाव में बैठने वाले अधिशासी अभियंता ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है, यदि इनके अनुरक्षण का कार्य उन्नाव से हटा कर हरदोई से सम्बद्ध कर दिया जाय क्योंकि उन्नाव की दूरी ज्यादा होने के कारण उसके कर्मचारियों को और इन ब्लाकों की जनता को काफी परेशानी होती है उन्नाव में जाने के लिए।

मान्यवर, पिछली सरकारों में विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा नहीं जाता था लेकिन इस सरकार के आते ही पैसा आ गया है, अब यह कहाँ से पैसा आ रहा है तो क्या इस उपलब्धि के लिए हम सब मुलायम सिंह जी की सरकार को धन्यवाद नहीं देंगे ? मान्यवर, आज पिछड़ी जाति के लोगों को, विकालांगों को और विधावाओं को तथा वृद्धों को पेंशन मिल रही है। मान्यवर, यही नहीं विकलांगों को ट्राई साईकिल दी जा रही है और मशीनें दी जा रही हैं और गरीबों के हित में काम हो रहा है। मान्यवर, पिछले वर्षों में आप देखें पिछड़ी जाति के बच्चों को कितनी छात्रवृत्तियाँ दे दी गयी थीं, केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को वह मिलती थी और उसमें भी बड़ी गड़बड़ सड़वड़ हो जाती थी। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही न केवल सारे अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति जारी रखी बल्कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है पिछड़ी जाति के बच्चों को वजीफा मिल रहा है और ऊँची जाति के गरीब बच्चों को भी वजीफा मिल रहा है तो क्या हम इस सरकार को धन्यवाद न दें ? मान्यवर, हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना चलाई है और दूसरी जनप्रिय योजनाएं भी चलाई हैं क्या इन योजनाओं के बारे में पहले की सरकारों में कोई विचार आया था कि जो गरीब लड़कियाँ हैं उनके आगे की शिक्षा के बारे में विचार किया जाये। मान्यवर, हमारे नेता के मन में यह बात आयी और उस कन्या विद्या धन योजना को चालू करने का काम शुरू किया गया जिसमें 20 हजार रुपये देने की बात कही गयी है। यह काम जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर शुरू हो गया है। मान्यवर, यही नहीं हमारी सरकार ने कहा है कि वह

बेरोजगारों को रोजगार देगी और उन्हें भत्ता देगी। हमारी सरकार ने अपनी घोषणा पर अमल करते हुए बेरोजगारों की भर्ती का काम शुरू कर दिया है और सारे विभागों में आज भर्तियां हो रही हैं। हमारी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर हम नौकरी नहीं दे पायेंगे तो बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना बनायेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इसकी योजना जरूर लायेगी। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में बार-बार कहा जाता है मैं भी वकील रहा हूं 25-30 साल। मान्यवर, कभी-कभी व्यक्तिगत रंजिश के कारण कत्ल की घटना हो जाती है या गाली गलौज की बात हो जाती है। लेकिन आप देखें कि सामूहिक रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ पर गलत है ? कहीं पर भी एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों से झगड़ा नहीं हुआ । अभी हमारे एक साथी को दूसरे साथी ने मार दिया तो वह व्यक्तिगत रंजिश के परिणाम स्वरूप बात हुई। इलाहाबाद की घटना का यहां बार-बार जिक्र किया जा रहा है, आप देखें कि एफ0आई0आर0 जो लिखी गई उसके अनुसार सारे लोग गिरफ्तार हो गये हैं तो अब उसमें सी0बी0आई0 जांच की क्या बात है ? हाँ, अगर मुद्दई नामजद न करता और पुलिस गलत काम करता तब तो मुद्दई कह सकता था कि सही जांच की जाय कि असली मुल्जिम कौन है ? जब मुल्जिम जेल चला गया, तो यह बात कहाँ रह गयी ? यह तो मुल्जिमों को कहना चाहिए था कि हमें झूठ लगाया जा रहा है, तब तो जांच की बात हो सकती थी। मैं बहुत दिनों से कानून व्यवस्था देखते हुआ आ रहा हूँ। राजनीति में 67 से मैं देख रहा हूँ और जितनी कानून व्यवस्था इस समय बढ़िया है उतनी कभी बढ़िया नहीं रही है। इसके साथ ही मैं माननीय छोटे लाल जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, वर्तमान सरकार सही दिशा में काम कर रही है इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है,कानून व्यवस्था हर जिले की हर जगह की अलग-अलग तरह की होती है कहीं व्यक्तिगत रंजिश होती है वहाँ मर्डर होंगे तो इस तरह की घटनाएँ हर जिले में होती रहती हैं इस बात को लेकर हम पूरी सरकार को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कसी थी उसमें ढ़ील हो रही है और जब भी इसका कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो हम राजनीतिक लोग ही भू-माफियाओं को छुड़वाते हैं। मथुरा जनपद में इस तरह के काम बहुत शुरू हो गये हैं। इससे गरीब जनता त्रस्त होती है, माँ-बेटियों को फ्लाटों से निकाल दिया जाता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपक माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर लगाम कसें कि इस तरह के भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मान्यवर, मथुरा-वृन्दावन मेरा क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तरांचल जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे बचे हैं जिसमें मथुरा, अयोध्या और काशी है। मान्यवर, पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एजेन्डे में मथुरा, काशी और अयोध्या सभी रहे लेकिन हमारे यहाँ की मुख्य सड़क पर जो गड्ढे हैं उनका एक भी गड्ढा नहीं भरा गया इनके शासन काल में। मथुरा, वाराणसी, गोकुल, बरसाना आदि की सड़क का कोई पुरसाहाल नहीं है सड़क पर दो-दो फिट गहरे गड्ढे हैं लेकिन वह भरे नहीं गये हैं। वहाँ जन्माष्टमी में 40 लोगों को फ्रेक्चर हुआ । वहाँ देशी और विदेशी

पर्यटक आते हैं और वह तमाम गाली-गलौज देकर जाते हैं, हम जनप्रतिनिधियों को कोसा जाता है। हम लोग पूर्ववर्ती सरकारों में बराबर कहते रहे हैं और अब मुख्यमंत्री से कहा है, लोक निर्माण मंत्री से कहा गया है और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री और पर्यटन मंत्री मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्दगाँव, बरसाना जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली रहे हैं, पर विशेष ध्यान दें और वहाँ के पर्यटन के लिए विशेष पैकेज दिया जाय जिससे अपने प्रदेश की पूरे देश में छवि उज्जवल हो सके। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन मंत्री जी ने प्रयास किया 4 करोड़ 34 लाख का एक पैकेज देने का । मैं कहना चाहता हूँ कि जब तमाम स्कीम आपकी प्लानिंग विभाग से निकलती है तो बगैर कुछ दिये वह क्लीयर नहीं होता है वहाँ जब तक रिश्वत न दीजिए तब तक प्रोजेक्ट क्लीयर नही होता है। एक सड़क 1 करोड़ 40 लाख रुपये की थी और उस पर 20 हजार रिश्वत दी गयी और इसके बाद 30 हजार रुपये और मांगा गया जब वह नही पहुँचा तो उसमें से 40 लाख रुपये काट दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि योजना विभाग में जो मूल्यांकन विभाग है, उस पर सख्ती करें। क्योंकि वहाँ परियोजनायें पैसे की वजह से अटका दी जाती हैं, एक-एक दो-दो दिन का डिले हो जाता है, उसकी वजह से वह अनुपूरक बजट व मेन बजट में आने से रह जाती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय कोकब हमीद साहब को कि उन्होंने मथुरा के लिये एक विशेष पैकेज बनवाया था, लेकिन इसी विभाग के चलते वह योजना फाइनेंस में नहीं जा पाई और अनुपूरक तथा मेन बजट में न आने से वह 4.34 करोड़ का पैकेज रह गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आने वाले इस बजट के बाद कंटीन्जेंसी में मथुरा-वृन्दावन के लिये वह पैसा पर्यटन विभाग के माध्यम से अवश्य दें। मान्यवर, हमारे यहाँ मथुरा परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन परिक्रमा मार्ग, गिरिराज परिक्रमा मार्ग और ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग की बड़ी दुर्दशा है, इसके निर्माण के लिये स्पेशल पैकेज दिया जाय।

अब मान्यवर, मैं पेयजल के संबंध में कहना चाहूँगा, जब हम 85 में विधायक थे तो मथुरा की पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह और उसके बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने गोकुल बैराज की योजना स्वीकृत की थी। वह योजना आज तक अपूर्ण है और पिछली सरकार में उस अधूरी परियोजना को वर्तमान माननीय नेता विरोधी दल, तत्कालीन नगर विकास मंत्री इसलिये उद्घाटन कर आये कि कहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री मायवती जी उसका नाम साहू जी बैराज न रख दें। आज उस अधूरे पड़े गोकुल बैराज को पूरा करने के लिये 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और जो 470 किमी0 पाइपलाइन बिछनी थी, पेयजल की व्यवस्था के लिये, उसमें से मात्र 120 किमी0 पाइपलाइन ही बिछ पाई है। मैं माननीय आज़म खाँ साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मथुरा जाकर गोकुल बैराज पर टोल टैक्स लगवाया, जिससे गोकुल बैराज का काम चल सके। इसके अलावा मान्यवर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, सीवरेज पंपिंग स्टेशन चालू करने के लिये पैसा चाहिये और जो सब्सिडी नगर पालिकाओं को दी जाती है उसमें भी नगर विकास विभाग द्वारा कटौती कर ली गयी है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस सब्सिडी वाले पैसे को जल निगम को दे दिया जाय, जिससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट और सीवरेज पंपिंग स्टेशन को चलाया जा सके। मान्यवर, वहाँ यमुना नही का पानी एकदम गंदा हो चुका है, गुजरात से आने वाले हजारों तीर्थयात्री जो विश्राम घाट पर आचमन किया करते थे, वह भी बंद हो

गया है, पानी इतना गंदा हो चुका है कि हजारों मछलियाँ मरी हैं, अभी कल और आज के अखबारों में आया है। बड़ी हालत खराब है। इसके अलावा वृन्दावन में राधाकृष्ण पांड़ी का निर्माण, के0सी0 घाट विश्राम घाट व बंगाली घाट का जीर्णोद्धार कराया जाना जरूरी है। मान्यवर, वहाँ सड़कों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। जो मथुरा शहर की एप्रोच रोड़ हैं, उनको बनाने की जरूरत है। खासतौर से मसानी से आने वाला नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से सौख रोड़ बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह महोली रोड़ बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वहाँ जो हाईवे के जेतव कृष्णा नगर है उनको थाना बनाना आवश्यक है, वह बनवायें जायें ताकि लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। मान्यवर, वहाँ पर नहरों की स्थिति यह है कि टेल एंड पर होने के कारण अपर आगरा केनाल में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा शेरगढ़ व सघर रजबहे की सफाई ठीक ढंग से नहीं हुयी है। लोक लेखा समिति की बैठक में मैं इस विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से भी मिला था और उनसे कहा था कि अपर आगरा कैनाल की तरफ विशेष ध्यान दें, इसके लिये समुचित धन का आवंटन किया जाय, जिससे टेल तक पानी पहुंच सके। मान्यवर, औद्योगीकरण के लिये प्रदेश में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाई गयी है। लेकिन अभी बातें हो रही हैं, कोई नतीजे निकलकर नहीं आये है। मथुरा बार्डर का जिला है, जहाँ औद्योगीकरण की बहुत संभावनायें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के इन्डस्ट्रियल एरिया में बाबा जयगुरूदेव ने 250 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, हम इस बारे में कई सरकारों से कहते आये हैं। परन्तु वहाँ पर बाबा जयगुरूदेव का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उनका मथुरा जनपद में कुछ नहीं है परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाट पहनाकर इकट्ठा कर लेते हैं। आज स्थिति यह है कि वह भी आतंक का पर्याय बन चुके हैं, वह भी रिलीजियस माफिया रिलीजंस बन चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वहाँ पर औद्योगीकरण को बचाया जाए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। विद्युत निगम के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लायी जा रही हैं, परन्तु किसानों को चार से छ : घण्टे ही बिजली मिलती है, जबकि सरकार का वायदा 14 घण्टे का था, उस पर गौर फरमायें। ट्यूबवेल के कनेक्शन सामान्य योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनका कोटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ाया जाए और जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल विकास निधि का पैकेज दिया जाता है, उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमांचल विकास निधि का गठन किया जाए। जिससे वहाँ के गाँव की सड़कों, शहरों की सड़कों और परिवहन इत्यादि का विकास किया जा सके।

मैं यह भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम में जो यूनिट्स हैं, उनको अंडरहैंड बेचा जा रहा है। एक व्यापक षड्यन्त्र के अन्तर्गत उनके साथ कुठाराघात हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है परन्तु थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे नेता प्रमोद कुमार जी ने कहा कि सरकार को हमारी पार्टी का समर्थन जारी है। जब केन्द्र सरकार से योजनाएं आती हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। राज्य सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपए कील माग की थी और केन्द्र सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये दिये। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेसी विधायकों की ओर भी ध्यान दें क्योंकि समर्थन दल होने के बावजूद दोहरा व्यवहार हमें मिलता है। हमारे विधायकों को भी उसी तरीके से पैसा दिया जाना चाहिए जिस तरीके से सत्तापक्ष के लोगों को दिया जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं बल्कि अनुरोध कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से और पर्यटन

मंत्री जी से कहें कि उनसे भी समुचित विकास के लिए हिस्सा दिलवाया जाए, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। हम लोग पैसा दिलवाने के लिए केन्द्र में कहते हैं कि राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए तो मान्यवर, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए और हमें भी पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। क्षेत्र में लोग हमसे कहते है कि आप तो समर्थक दल हैं, आप क्यों नही विकास कराते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा है इसलिये अनुरोध है कि 10 मिनट में ही अपनी बात को रखने प्रयास करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से लेकर आज तक कई माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों को सुनने का मौका मिला, सभी ने कानून और व्यवस्था की प्रशंसा की। कांग्रेस के लोग दोनों बातें करते हैं। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब सरकार में बैठे हुए लोग सत्तापक्ष के समर्थक दल और उनके बड़े-बड़े नेता कानून और व्यवस्था की आलोचना करने लगें। तब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कानून और व्यवस्था में खामी है तथा उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन दुःख और तकलीफ तब होती है जब सच्चाई से मुंह मोड़ा जाता है और सच्चाई से इन्कार किया जाता है। मान्यवर, इलाज करने के बजाय यह झुठलाया जा रहा है कि कोई कमी नहीं है। उन बातों को दोहराकर मैं सदन का समय ववांद नहीं करना चाहता लेकिन इसके ऊपर दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। माननीय प्रमोद तिवारी जी और कांग्रेस विधान मण्डल दल पूरे का पूरा कानून-व्यवस्था को लेकर धरना-प्रदर्शन कर चुका है, ज्ञापन दे चुका है और समाचार-पत्रों में रोज यह खबर छपती है। राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के खराब होने की बात एक नहीं कई मौकों पर स्वीकार की है परन्तु सत्तापक्ष के लोगों को दिखायी नहीं देता है। इन्तिहां तब हो जाती है, जैसा कि अभी डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर साहब ने कहा कि पिछले एक वर्ष में 114 प्रतिशत की वृद्धि अपहरण के केसेज में हुई है। आज एस0पी0 की यह हैसियत नहीं है कि किसी थानेदार को अपनी मर्जी से हटा पाये।

मैं जनपद-बरेली की एक घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक सिपाही का ट्रांसफर होता है, सिपाही लौटकर पुलिस अधीक्षक को खबर कराता है कि एक घण्टे के अन्दर हमारा ट्रांसफर वापस नहीं हुआ तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लखनऊ में बैठे हुए एक नेताजी से बात कराता है कि इनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। पुलिस अधीक्षक स्वयं को असहाय महसूस करता है कि वह किस प्रकार से कार्य करे, अपराधों पर नियंत्रण करे।

जहां पर उसे सिपाही, एस0ओ0 और इंस्पेक्टर को हटाने की पावर नहीं है। सारी की सारी नियुक्तियां राजनीतिक हस्तक्षेप से हो रही हैं और अपहरण के मामलों में पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, बजाय इसके कि जिसका अपहरण हुआ है उसको छुड़ाने की कोशिश करें, बिचौलिये बनकर, बिचौलियों का काम करे हैं। जेल में बंद अपराधी, जेलों से ही फिरौती तय कराता है कि किस मामले में कितना पैसा कहां पहुंचा दीजिए तो अपहृत को छोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, फर्रुखाबाद के बार्डर पर एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसने 16 पुलिस कर्मियों को मारा है उसमें 4 सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। यह गिरोह साल-डेढ़ साल से लगातार सक्रिय है। गैंग के लिए योजनायें बनायी जाती हैं और समाचार-पत्रों में छपती हैं, इस प्रकार समाचार-पत्रों में छापकर कोई योजना कामयाब हुई है ? कोई योजना कार्यान्वित करनी है तो समाचार-पत्रों के माध्यम से चुनौती देकर नहीं किया जा सकता। आज आवश्यकता ऐसे लोगों को कुचलने समाप्त करने की है। सत्तापक्ष के लोगों की तरफ से कहा गया कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात इस सरकार के मुखिया द्वारा प्रारम्भ में कही गयी थी, दुःख तब होता है कि विधान सभा में नवम्बर के महीने में कहा गया कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं मिला और योजना अप्रूव नहीं किया, इसलिए बेरोजगारों को भत्ता देना सम्भव नहीं है। नवम्बर के महीने में मेरा एक प्रश्न है और माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यह जबाव दिया गया कि इन-इन मदों में केन्द्र सरकार के द्वारा सहायता मांगी गयी लेकिन उसमें बोरोजगारों को भत्ता देने के मामले में सहायता नहीं मांगी गयी। अगर मांगी जाती तो स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार से उत्तर आता। दोनों ही चीजें नवम्बर, 2004 में आ चुकी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, शाहजहांपुर में वर्ष 1990-91 में इस सरकार के मुखिया कोलाघाट के पुल का शिलान्यास करते हुए 250 रुपये का पत्थर बनवाकर बहुत बड़ा जश्न मनाकर घोषणा करते हैं कि कोलाघाट के पुल का निर्माण करा दिया जायेगा लेकिन आज वहां न ईंटें हैं न वह पत्थर है। 1991 में शिलान्यास हुआ था, आज 14 साल हो गये हैं लेकिन वह पुल नहीं बन पाया, जबकि वर्ष 1995 में भी इनकी सरकार रही है और डेढ़ साल से यह सरकार विद्यमान है। मैंने मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में और कई मौकों पर, कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक जब मुख्य मंत्री जी ने की थी उसमें मैंने कहा था कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कोला घाट, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद को जोड़ने वाला पुल है, उसका शिलान्यास होने के बाद उसमें एक ईंट भी न लगाना हास्यापद है। जब मैंने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब आया कि अभी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई है। इतने बड़े पद पर बैठकर बिना कार्य योजना स्वीकृत हुए जब पुल का शिलान्यास कर देते हैं तो बाकी लोगों के लिए मैं क्या कहूं ? महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक बेस्ट पेपर है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे खोखली और ढकोसला हैं। पेज-8 पर सस्ता न्याय दिलाने की बात इसमें कही गई है। पिछले 25 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की बात उठ रही है। लेकिन अब तक वहां बेंच नहीं बनाई गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा के लोग अपने मुकदमों की पैरवी के लिए लखनऊ होकर इलाहाबाद जाते हैं जिसमें इन्हें धन और समय बर्बाद करना है। पिछले कई सालों से बराबर मांग होती रही है और हर सत्र में यह सवाल उठाते हैं लेकिन अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच नहीं खुली इसलिए सरकार का सस्ता न्याय देने का नारा ढकोसला है। इसलिए मेरी मांग है

कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बेंच नहीं खुलती इसलिए सरकार का सस्ता न्याय देने का नारा ढकोसला है। इसलिए मेरी मांग है कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं हो जाती तब तक उसका लखनऊ बेंच से सम्बद्ध कर दिया जाय। मैं पिछले तीन दिनों से नियम-56 में यह सवाल उठा रहा हूं लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ।

मान्यवर, एक-एक जिले में करोड़ों रुपया शिक्षकों को वेतन देने और स्कूल पर खर्च होता है लेकिन सम्पन्न लोग अपने बच्चों को वहां भेजकर शिक्षा नहीं दिलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीन चीज बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है, एक-गृह नक्षत्र, दूसरे-मां-बाप के जीन, तीसरे बच्चों का माहौल। पहली दो चीजों में हमारा कोई वश नहीं है। हम गृह नक्षत्र, जीन्स नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम माहौल बदल सकते हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा दी जा रही है उससे वहां के बच्चे कम्पीटीटिव शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं चुन जाते हैं। मान्यवर, मैंने असेम्बली में क्वेश्चन किया था जिसका जवाब आया कि 89127 अध्यापक प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में कम हैं और 27973 प्रधान अध्यापकों की कमी है और इस प्रकार लगभग एक लाख टीचर्स की कमी है। जब तक प्राथमिक शिक्षा ठीक नहीं होगी, साक्षरता नहीं बढ़ेगी। जब तक साक्षरता नहीं बढ़ेगी तब तक किसी समस्या को हल करने में हम सक्षम नहीं होंगे। मान्यवर, जनसंख्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हर सत्र में मैं सवाल उठाता हूं लेकिन उसका सही जवाब नहीं आता है। जब तक जनसंख्या की समस्या रहेगी, जन संख्या पर कंट्रोल नहीं किया जायेगा तब तक किसी भी समस्या को मिडिल ठीक से नहीं हो सकेगा। जनसंख्या के स्थिरीकरण की बात आर्टिकल 47 के पेज-31 पर कही गई है लेकिन उसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। पिछले तीस वर्षों में किसी भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि वह जनसंख्या कंट्रोल करने का कोई प्रभावी कदम उठाए। दुख की बात है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर हम अपने मुंह को दूसरे ओर कर लेते हैं। 1991 में हमारे यहां साक्षरता 41.6 प्रतिशत थी जो अब 56 से 58 प्रतिशत के करीब है। आज 100 में 42 लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं हैं उनका तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है उनको साक्षर कैसे किया जाय, जब तक जनसंख्या की समस्या का हल नहीं होगा। उनको साक्षर करने के कोई योजना सरकार के पास नहीं है। इसी तरह पावर में कोई इस तरह की योजना नहीं है। इस सम्बन्ध में एक कमीशन बनाया जाना चाहिए और पावर में इसको लेकर डिबेट होनी चाहिए। मैं बार-बार यह कहता हूं कि हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है इस दर को किस तरह से रोकेंगे? अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

विद्युत के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा सरकार ने लाइट टू का प्लान बनाया है यह अच्छी बात है लेकिन इस सम्बन्ध में शार्ट टर्म कोई प्लान नहीं बनाया गया, जिससे हमारी जो बिजली की आवश्यकता है वह पूरी हो सके। राजा थर्मल पावर स्टेशन जो शाहजहांपुर में 1996 में जिसकी आधारशिला रखी गयी थी उसमें एक ईंट आज तक नहीं लगी है। बिरला ग्रुप से सरकार

लगातार निगोसिएशन कर रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। जो आधी अधूरी योजनाएं हैं वह किसी भी सरकार के जमाने की हों उनको पूरा करना चाहिए, जिससे उनकी लागत नहीं बढ़ती है और पैसा बरबाद होता है इसमें 10-20 प्रतिशत तक [illegible] बढ़ जाती है । हमारे यहां विसरात घाट में एक पुल बनना था जिसकी प्रारम्भिक लागत 19 लाख थी जो पहले बढ़कर 26 लाख हुई और बाद में 40 लाख हो गयी। जो आधे अधूरे काम हैं उनको पहले पूरा करना चाहिए। मैं इसके साथ ही दो समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाय और कोलाघाट और विसरात घाट के पुलों का निर्माण कराया जाय। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रणवीर राणा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी डा0 राम मनोहर लोहिया के शिष्य रहे हैं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया है। जब-जब वह मुख्यमंत्री बनते हैं तब-तब प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल निकलता है। जो जनता पिछले काफी दिनों से परेशान थी आज वह खुशहाल दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच साल से बराबर गन्ना किसान पिटता रहा है। उसी के मद्देनजर पहली बार एक बार में 12 रुपए प्रति कुंतल इस सरकार ने बढ़ाए हैं। यह सही है कि जिस समय यह दाम तय किए गए थे उस समय यह दाम अच्छा था लेकिन आज की परिस्थिति में उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। आज यह दाम कम नजर आ रहा है। हमारे यहा मंसूरपुर, मवाना दौराला आदि कई मिलों में 120 से 125 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का भाव दिया जा रहा है या किसानों को अलग से चीनी या घी दिया जा रहा है। इससे जो भाव रखा गया है उसका मजाक सा बन गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम किया जाय कि जो गन्ना किसान पिछले पांच सालों से टूटते आ रहे हैं उनको कुछ राहत मिले। यह बात सही है कि पिछली सरकारो की वजह से हमारे ऊपर गन्ने के दाम का ऋण था और वह बहुत ज्यादा था। हमने इसको थोड़ा कम किया है लेकिन यह सही है कि अभी भी 800-900 करोड़ रुपये आज भी गन्ना किसानों का बकाया है। मैं अपने क्षेत्र मेरठ के बारे में ही बताना चाहता हूं कि मेरठ में 14 करोड़ रुपये और सहारनपुर में 45 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को बकाया है। यह बात सही है कि गन्ना किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है लेकिन जो हमारे गन्ना किसानों का बकाया है उसका अगर सही तरीके से हिसाब लगाया जाय, तो बहुत ज्यादा निकलेगा। सही भाव 160 रुपये क्विंटल होना चाहिए और हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे रात को सूचना मिली कि जो मेरे क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह जी की अपनी उद्योग नीति के तहत एक चीनी मिल लगाने की घोषणा की थी । इसका मैंने माननीय मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत भी किया था। और चाहता हूं कि ऐसी और कई मिलें हमारे पश्चिम क्षेत्र में लगाई जायं। मेरे यहां किनौनी में एक चीनी मिल लगी है जो कि अच्छा काम कर रही है। रात से उसने भी अपने यहां प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया है। इस प्रकार से प्रोत्साहन राशि क्विंटल के हिसाब से दी जा रही है। खाद, घी भी दिया जा

रहा है। मैं सरकार से प्रबल अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के कुछ इंतजाम किये जाने चाहिए ताकि गन्ने का जो मजाक उड़ रहा है वह बन्द हो सके। इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने उन नवयुवकों को जो बेरोजगारी की हालत में सड़कों पर घूम रहे थे उनको शिक्षा से जोड़कर उनको रोजगार दिया है। चाहे प्राइमरी स्कूलों में या शिक्षा मित्र के रूप में या मदरसों में। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी टण्डन जी ने सवाल उठाया था कि संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी कुछ राहत दी जाय। मैं टण्डन जी की इस बात का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि सभी को मौका मिलना चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ मेरा एक अनुरोध और है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भर्ती चल रही है मेरठ के अन्दर. अब तक के आंकड़े बताते हैं कि वहां सबसे ज्यादा लोग भर्ती के लिये आ रहे हैं। और जगह तो बहुत केन्द्र हैं लेकिन वहां पर मात्र एक ही भर्ती केंद्र है वह भी मेरठ के अन्दर। बताया जा रहा है कि जौनपुर तक के लोग वहां पर आ रहे हैं। यहां पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरठ में जहां पर 400 सिपाहियों की भर्ती हो रही है उसको बढ़ाकर 800 कर दिया जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से यह मांग यहां पर बार-बार की जा रही है और जिसका मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा था।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय नजदीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय नजदीक पड़ता है, दिल्ली उच्च न्यायालय नजदीक पड़ता है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर नजदीक पड़ता है और इतना ही नहीं पकिस्तान का लाहौर का उच्च न्यायालय नजदीक पड़ता है। लेकिन आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में के उच्च न्यायालय की एक ब्रांच नहीं दी है। मैं यहां पर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और नफा नुकसान छोड़कर आम जनता को न्याय दिलाने के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक ब्रांच देनी चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि घटतौली की आज चारों तरफ से आवाज उठ रही है इसका भी आपको निदान करना चाहिए। जो निजी तौल केन्द्र हैं उनको भी मान्यता दी जानी चाहिए ताकि यदि किसान अपने निजी धर्मकाँटे पर तौलवाला है या तुलवा लाए उसे मान्यता देनी चाहिए। निजी धर्मकांटे से तुलवाकर लाते हैं, उससे अलग तौल है, तो मान्यता देनी पड़ेगी। ऐसा न्याय होना चाहिए। किसानों को न्याय मिलना चाहिए।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में टमाटर किसान हैं मीरपुर, जखेड़ा आदि में टमाटर के किसान रहते हैं उनको जो रियायत मिलनी चाहिए वह नहीं दी गई। उनके लिए कोई बाजार उपलब्ध नहीं कराया गया। वहां कारखाने लगें वह टमाटर की चटनी बनायें ताकि टमाटर किसानों को राहत मिल सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं हमारे क्षेत्र से 10 किलोमीटर शहर दूर है वहां दूध का भाव 8 रुपये किलो है वही दूध शहर में 20 रुपये किलो बिक रहा है इतना अन्तर है। दुगुने का अन्तर आ रहा है। गांवों में रोजगार नहीं है पशु-पालन के माध्यम से रोजगार जुटाए जा रहे हैं दुगने का अन्तर दूध में आ रहा है इसका इंतजाम होना चाहिए। ताकि गरीबों को राहत मिल सके। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बुनकर रहते हैं। वहां बुनकर दुखी हैं उनको आसान ऋण की सुविधा दिलायें। आसान किश्तों पर ऋण उन्हें मिले। बुनकर आयोग का गठन होना चाहिए इसकी बहुत जरूरत है ताकि

सीधे-सीधे उनको राहत मिल सके। रासना डिग्री कालेज है वहां और कोई कालेज नहीं है वहां सूचना प्रौद्योगिकी का इंतजाम किया जाए ताकि देहात के लड़कों को भी रोजगार मिल सके। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि पांचली खुर्द कंचन सिंह गूजर नाम के सिपाही ने 1857 में जेल के फाटक को तोड़कर बहुत से सैनिकों को अंग्रेजों से आजाद कराया था उनको हथियार मुहैया कराये थे उसकी बैदौलत दिल्ली पर कब्जा हुआ था इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। पांचली खुर्द के अन्दर शहीद स्मारक बनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह--

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपने नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर जो नेता समाजवादी पार्टी के धन्यवाद प्रस्ताव पर लाया गया है उस पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यह सदन शुरू होने वाला था बाहर मैं अंदाजा लगाता था सदन के अन्दर रहने वाले बहुत आदर्शवादी होते हैं। नेताओं के चरित्र कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता होगा लेकिन मैंने यहां जो स्वरूप देखा उसको देखकर लगा सदन के अन्दर कुछ और हैं मुख्यमंत्री जी के चैम्बर में कुछ और, जी0पी0ओ0 पार्क पर कुछ और, सड़कों पर कुछ और दिखाई देते हैं। जिनकी मैं कदर करता था। आपके सामने समाजवादी पार्टी की सरकार है मेरा आशय दोहरे चरित्र वाले नेताओं से है मैं कहना चाहता हूं कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है जनता के बीच में कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है भड़काने वालों को सदन में फोबिया पड़ता है नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात बोलकर समाप्त की उसके बाद एक फोबिया 356 का आ गया लेकिन माननीय नरेश अग्रवाल जी ने धारा-356 से ही अपनी बात शुरू की। मुझे लगा कि कल रात में ही शायद इन्होंने धारा-356 का सपना देखा है और सुबह होते ही दौरा आने लगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने 356 का फोबिया पैदा किया और पलट गए। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, क्या मजबूरी है कि किसी भी सूरत में खुश हैं और दोस्ती करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। ताज्जुब तब हुआ जब कौकब हमीद ने कहा कि प्रमोद तिवारी जी साथ छोड़कर चले जायें, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। फिर भी खुश हो जाते हैं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की जो हालत है, 'पत्थर भी आँसू बहाने लगेंगे कहीं खो गयी आदमियत तो जमाने लगेंगे।' मान्यवर, प्रदेश की हालत यह है कि आज मर्डर को सर्टीफिकेट दिया गया और कहा गया कि मर्डर हुआ है तो मर्डर होगा। सबके लिए कानून है, जो गलत करता है तो कानून उसे सजा देता है लेकिन यह कहना कि मर्डर हुआ है तो मर्डर होगा, इससे अच्छा सन्देश नहीं जाएगा। इससे गुण्डों और माफियाओं का हौसला बढ़ेगा, गुण्डागर्दी और बढ़ेगी। अभी कल ही पहलवान सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और चार लोगों को जख्मी किया गया। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां नेतागण सर्टीफिकेट देने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सहजनवा गांव में राकेश सिंह को गोली मारी गई, उसकी एफ0आई0आर0 13 दिन तक दर्ज नहीं हुई,जब इस सदन में पीठ की तरफ से आदेश हुए तब एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। आज हत्या, बलात्कार, अपहरण की बाढ़ आ गई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह सरकार अपने अभिभाषण में कहती है कि हम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, मान्यवर, इसको तो बढ़ावा नहीं मिल रहा है लेकिन अपहरण उद्योग को जरूर बढ़ावा मिल रहा है। यह बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है और किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। यह आप सभी जानते हैं और प्रदेश की जनता के संज्ञान में यह सब है। इतने बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं और सरकार को कोई खबर तक नहीं है, उल्टे सरकार के लोग सर्टीफिकेट दे रहे हैं। मान्यवर, कानून और व्यवस्था पर सरकार को चिन्ता होनी चाहिए। मैं मानता हूं अभी एक विधायक ने कहा कि पिछली सरकार में 5 हजार अनुसूचित जाति की एफ0आई0आर0 हुई थी लेकिन इस सरकार में 2 हजार हुई है। मान्यवर, इस समय अनुसूचित जाति के लोगों की एफ0आई0आर0 लिखी नहीं जा रही है। मुझे एक कहावत याद आ गई, एक राजा था, उसका दरबारी था। राजा ने उसको एक गाय दी थी, वह दूध-घी खा रहा था। एक दिन राजा ने दरबारी से पूछा कि जनता कैसी है, दरबारी ने कहा सभी लोग दूध-मलाई खा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गाय ने पैर पटक दिया तब दरबारी कहने लगा कि बड़ी दिक्कत है, चारों ओर सूखा पड़ा है। मान्यवर, विधायक बने बैठे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जब जनता के बीच में रहते तब इन्हें भी मालूम होता। अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रही है।

(इस समय 3 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ अच्छा काम भी किया है। और वह यह किया है कि जब से यह सरकार बनी है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आ गया। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो हाईस्कूल के रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ता है, इण्टर के रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ता है। पहले की तुलना में इन्टेलीजेंसी इतनी बढ़ जाती है कि सेकेण्ड पास होने वाला छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है और फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाला छात्र मेरिट में आ जाता है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले की सरकारों में कानून की दहशत थी इसलिए छात्र प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर उच्च शिक्षामंत्री ऐसे भी हुए कि जो कक्षा 5 पास नहीं थे। इससे आपकी संवेदनशीलता का पता चलता है। जो छात्र इण्टर में सेकेण्ड डिवीजन में पास होने लायक नहीं थे वह फर्स्ट डिवीजन में पास हो गये। लेकिन जब वह उच्च शिक्षा के लिए बी0ए0 में गये तो वहां फेल हो गये। इसका क्या जवाब है आपके पास ?

मान्यवर, एक बात मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग को केवल लखनऊ और सैफई नजर आया। पूर्वान्चल का मेडिकल कालेज आपको नजर नहीं आया। पूर्वान्चल में कोई स्वास्थ्य-कार्यक्रम नजर नहीं आया। गोरखपुर मेडिकल कालेज में बिहार व नेपाल से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन गोरखपुर मेडिकल कालेज में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाये तो वह लखनऊ आते-आते दम तोड़ देता है। इससे पता चलता है कि यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी सम्वेदनशील है। उद्योगपतियों के प्रति इतनी सम्वेदनशील है कि गाजियाबाद में तो इन्डस्ट्रियल एरिया होगा लेकिन

गोरखपुर में जो गौडा की स्थापना हुयी है वहा पर हालत यह है कि वहां पर हमारी मां बहने जो मजदूरी करती हैं उनसे 8 घण्टे की बजाये 12 घण्टे काम लिया जाता है। सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम कराकर छोड़ा जाता है। रास्ते में लौटते समय छेड़खानी होती है। यह दुर्दशा है। भारत सरकार में जहां 2 सौ से ज्यादा कम्पनियां स्थापित हो चुकी हैं अगर आप उस पर भी प्रकाश डालते तो मुझे खुशी होती। गढ्ढामुक्त सड़कें देने का जलवा बना हुआ है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कटहाबिगही मार्ग में इतने बड़े-बड़े गढ्ढे हैं कि उसमें मछली पालन हो सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभाग को लिख-लिखकर देता रहा लेकिन एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी काम रुका होगा। यह तो उनकी मजबूरी है कि वह मजबूर हैं इस सरकार में रहने को। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि और भी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का भला करने, गरीबी मिटाने का संकल्प इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मिसप्रिन्टिंग हो गयी, मिस्टेक हो गयी। गरीबी मिटाने का नहीं बल्कि लगता है कि गरीबों को मिटाने की बात थी। मान्यवर, अनुसूचित जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात की जा रही है, यही नहीं हर विद्यालय में हर बच्चे से 100-100 रुपये घूस लिया जा रहा है। इतनी पारदर्शिता है।

मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में जहां से मैं आता हूं वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री कमलेश कुमार जी भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र से राप्ती नदी होकर बहती है। उसमें एक पुल है, उसमें से 500 लोग कट गये हैं। एक पीपे के पुल की आवश्यकता है। पिछले भाषण में भी मैंने कहा था, बीस लाख का मामला है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पीपे के पुल का आश्वासन चाहता हूं। अंत में मैं माननीय नेता बसपा और माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन चौहान--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे जैसे सदस्य को बोलने का मौका मिला। मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय छोटे लाल जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। दो तीन दिन से बराबर सदन की चर्चा को हम छोटे सदस्य सुन रहे थे, हमने यह महसूस किया और देखा कि हम पूर्व में विपक्ष में बैठते थे, आज सरकार में शामिल हैं। विपक्ष में माननीय सदस्यों ने तो अपनी बात कही, जो जनमानस के विकास की रूपरेखा है और जिस बात को लेकर और जनता का आशीर्वाद लेकर इस सदन में पहुंचे हैं ऐसे कम ही बिन्दु पर ध्यान दिया गया। लेकिन सबने एक ही बात कही कि कानून व्यवस्था खराब है। पूर्व में जब विपक्ष में बैठते थे शिक्षा की क्या स्थिति थी ? शिक्षकों की नियुक्ति होती थी ? अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों के लिए क्या स्थिति थी ? आज शिक्षकों के साथ बैठकर उनके तजुर्बों का फायदा लेकर और नये स्कूल चाहे वह जूनियर हाईस्कूल हो, या प्राइमरी स्कूल हो, खोले गये, मदरसों को पैसा दिया गया अनुदान के माध्यम से जोड़ने का काम किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और आज यह सरकार को बहुत

बड़ी उपलब्धि बन गयी है क्योंकि सरकार ने इन सब बातों को किया है। दूसरी बात यह है कि जब विपक्ष में बैठते थे नियम 56 के अन्तर्गत किसानों के भुगतान की चर्चा बड़े जोर शोर से हुआ करती थी। कई बार विधान सभा में भुगतान की बात आयी थी।

जो आज की स्थिति है अगर पूर्व की स्थिति से मिलाकर देखें तो फरवरी माह में इतना भुगतान कभी नहीं हुआ है जितना अब की बार हुआ है। हमने तो जो पूर्व का भुगतान है उसको भी देने का काम किया है। दूसरा किसान बीमा योजना पहले कभी शुरू नहीं हुई लेकिन आज हमने शुरू की है। इस तरह से हम लोग किसानों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक हुए हैं। सड़कों के निर्माण की बात आयी पूर्व में आपने देखा होगा, 18 महीने से पहले की सरकार में हम लोग चक्कर काटा करते थे एक भी सड़क नहीं दी जाती थी, लेकिन आज आप देखें तो सड़कों का जाल बिछ रहा है और सड़क के माध्यम से किसानों की हालत में सुधार आया है और वह सुदृढ़ हुए हैं। कई मण्डियों का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने गाजियाबाद नोयडा में किया है। विद्युत अपूर्ति के लिए पूर्व की सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की थी लेकिन हमारी सरकार ने रिलायन्स के माध्यम से दादरी क्षेत्र में, गाजियाबाद में है, यहां पर व्यवस्था की गयी है। इसको कभी भी विपक्ष के लोगों ने गम्भीरता से नहीं लिया। आज यह सुधार की स्थिति में आया है रिलायन्स और दूसरे उद्योगपति इसको लगाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से सिंचाई के लिए किया गया है कि टेल तक पानी पहुंचे। विपक्ष के लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे कि पहले रजबाहों की ठीक से सफाई नहीं होती थी लेकिन अबकी बार सफाई हुई है और यह 90 प्रतिशत तक इसकी सफाई हो चुकी है उसी तरह से छात्रों के माध्यम से इस देश का इस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है, छात्रों की बढ़ी हुई फीस को इस सरकार ने घटाने का काम किया, आज छात्रों के बिन्दु पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार से छात्राओं के लिए जो 20 हजार रुपये देने की व्यवस्था की गई है वह विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कभी नहीं किया गया। मान्यवर, हमारा दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इलाज के लिए बनने वाले पर्चे की फीस को कम करके दो रुपया कर दिया है। जिससे गरीब जनता को चिकित्सा लाभ मिल सके। इस तरफ विपक्ष के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया बस एक ही बात विपक्ष द्वारा रखी गई कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था अगर खराब है तो सदन में खराब है, आपके मन में खराब है, प्रदेश की जनता के मन में नहीं, उद्योगपतियों के मन में नहीं खराब है, अगर उनके मन में कानून व्यवस्था खराब होती तो यहां बजाज वाले अपना उद्योग न लगाते, रिलायन्स वाले अपना उद्योग यहां लगाने का काम नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का नाम लेकर हमारे विपक्ष के सदस्यों ने जो चर्चा की है, वह सदन को भ्रमित करने के लिए है, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है, आम आदमी का आज सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। मान्यवर, मैं गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से चुना जाता हूं, वहां गंगा स्नान का मेला लगता है, जो हमारे इस देश का प्रति वर्ष लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। वह कार्तिक महीने में लगता है, उसमें बहुत श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं, वह मेला इतनी बड़ी संख्या में लगता है कि कभी-कभी वहां 20-30 लाख श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। मान्यवर, इस मेले की व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से की जाती है, जो ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि इस मेले की व्यवस्था प्रान्तीय स्तर पर हो और

प्रान्तीय सरकार के द्वारा इसकी देख-रेख होनी चाहिए ताकि यहां मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो।

मान्यवर, दूसरी चीज, बहादुर गढ़ और सिम्भावली जहां पर नगर पालिका की बहुत ही आवश्यकता है, उसकी यहां पर स्थापना की जाए। दूसरा विन्दु जो बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों के हित में है जो निजी चीनी मिलें गन्ना लेती हैं और गन्ना तौलने के लिए जो सेण्टर खुलते हैं वहां किसानों से गन्ना ढुलाई का पांच रुपया काटा जाता है, मैं चाहता हूं कि यह पैसा गन्ना चीनी मिलों को वहन करना चाहिए किसानों से नहीं लिया जाना चाहिए। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि किसानों के गन्ने का रेट चीनी के रेट को देखते हुए कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर इस पर कुछ ध्यान आकर्षण सरकार का करना चाहता हूं। तो इससे किसानों को लाभ होगा। दूसरे, मेरे क्षेत्र में 220 के0वी0ए0 का विद्युत सब सटेशन है उसका ट्रान्सफार्मर 20 एम0वी0ए0 का है जिससे विद्युत आपूर्ति थोड़ा बाधित होती है मैं चाहता हूं कि उसका 20 की जगह 40 एम0वी0ए0 का कर दिया जाए जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। इससे किसानों को लाभ होगा और छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मान्यवर, गाजियाबाद जिले में राजधानी दिल्ली की सीमा से जुड़ा हुआ एक कस्बा खाड़ा है जिसकी आबादी पांच लाख है, उसमें गरीब लोग निवास करते हैं वहां छः बजे से नौ बजे तक बिजली नहीं दी जाती है, जब वहां के उपभोक्ता बिजली का बिल देने के लिए तैयार हैं तो उनको छः बजे से नौ बजे तक शाम को बिजली मिलनी चाहिए। वहां पर रहने वाले आम नागरिकों और छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल है तो वहां पर बिजली की व्यवस्था छः बजे से नौ बजे तक अवश्य होनी ही चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात अपने गौतमबुद्ध नगर, नोयडा के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर वहां पर गांवों की आबादी की विकट समस्या पैदा हो गई है। जो गांव के लोग वहां निवास करते हैं प्राधिकरण ने उनकी जमीनें अधिग्रहीत कर ली हैं और वहां जो आबादी के सीमांकन की बात है मैं बताना चाहता हूं कि जो वहां प्रेक्टिकल रूप से आबादी का सत्यापन नहीं होता है उसमें किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। मान्यवर, 1935 की आबादी के आधार पर उसका सीमांकन न करके आज की आबादी के हिसाब से सीमांकन का कार्य होना चाहिए। जो बुजुर्ग किसान हैं या जो हमारे वहां रहे पूर्वज हैं उनके सम्मान की हमें परवाह करनी चाहिये। प्राधिकरण को उसमें भौतिक रूप से सोच कर व्यवस्था करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन रखे गये हैं उनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दो दिन से आपने इस पर चर्चा शुरू कराई है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज एक ऐसा वातावरण बन गया है, कि यदि हम विपक्ष में हैं, तो हमें विरोध में बोलना है यदि हम पक्ष में हैं तो हमें पक्ष में बोलना है। मान्यवर, पुराने समय में किसने क्या-क्या किया इसको बार-बार दोहराने से क्या हासिल होगा कालिख पर कालिख पोतने से क्या होगा ? सामान्य सी बात है कि बुराई को अच्छाई से ही मिटाया जा सकता है बुराई से नहीं मिटाया जा सकता है। एक रेखा को मिटाने से तो अच्छा है कि हम उसके बराबर एक बड़ी और ऊंची रेखा खींच दें। मान्यवर, हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ्य परम्पराओं का निर्वहन यहां करायेंगे।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब यह सरकार बनी और तब इस सरकार में दो-तीन मुद्दों को अच्छे ढंग से महत्व दिया गया है। पिछली सरकारों में थोड़ी ज्यादती जरूर की गयी जब कुछ जनप्रतिनिधियों पर देशद्रोह का कानून लगाया गया था, वह नहीं होना चाहिए था। हम लोग सत्ता में थे तब भी उसके खिलाफ में थे और जहां जरूरत पड़ी वहां आवाज भी निकाली गयी। लेकिन आज वह परम्परा बदल गयी है जो लोग कल उन बुराइयों के खिलाफ बोलते थे आज वह उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस ने जो किया है, वह ठीक किया है मान्यवर, इस तरीके से आज वह लोग जो आज कह रहे हैं वह ज्यादा गलत है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की जो बात है वह इस पैमाने से देखी जाती है कि हमारी बहन बेटियां जो शाम को 6 से 9 बजे की पिक्चर देखने गयी हो और वह सुरक्षित घर पहुंच जायें। लेकिन आज स्थिति क्या है ? क्या आज कोई सुरक्षित है ? कोई मां अपने बेटे को स्कूल भेज कर उसके आने के समय पर घड़ी देखती रहती है जब तक उसका बच्चा घर लौट न आये। मान्यवर, लखनऊ की घटना है खुनखुन जी इण्टर कालेज की छात्रा का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार कर उसकी लाश को जला कर कैलाशपुरी कालोनी में फेंक दिया गया। मान्यवर, कल फतेहपुर के गाजीपुर गांव में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी लाश को जला दिया गया, तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक है ?

मान्यवर, मेरा जिला शान्तीप्रिय जिला रहा है वह चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, जय प्रकाश नारायण और भारत के महान सपूत पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी का जिला है यही नहीं मान्यवर, अब तो युवा वैज्ञानिक सौरभ कुमार सिंह का भी जिला है जिसने नासा में अपना रिकार्ड बनाया है और जिसमें राष्ट्रपति जो 1962 में सातवें स्थान पर रहे थे और कल्पना चावला 88 वें स्थान पर रही है। वह सौरभ कुमार सिंह वहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है। विश्व का अब तक सारा रिकार्ड जो था वह तोड़ दिया गया, हम उस जनपद के हैं। उस जनपद में साल भर में 62 कत्ल हुए हैं। एक दिन में 4-4 कत्ल हुए हैं एक-एक जगह पर। समग्र विकास के टेण्डर के हेड पर जिस दिन टेण्डर हुआ एक रुपया नहीं गया था पिछले जुलाई महीने में और उसमें टेण्डर के समय 4 ठेकेदारों को गोली मार दी गयी, 3 मजदूरों को गोली मार दी गयी, सामूहिक हत्या हुई। हमारे जैसा आदमी जब इंसाफ के सवाल पर नगरा थाने पर धरने पर गया तो हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोली चलायी और दो कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया और 22 लोग घायल हुए और 300 लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए। पिछले महीने एक लड़का लाल जी वासखोर मेडिकल कालेज से डिस्चार्ज हुआ है और इसमें पुलिस ने उल्टे कहा कि विधायक के नेतृत्व में हजारों लोग आये और दो लोगों को मार डाला और हम लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। दो महीने हम लोग जेल में रहे और आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है। राजा खरौनी बासडीह थाने में 30-40 डकैतों ने डकैती डाली, तीन घंटे तक डकैती डाली, अटैची तोड़ी और महिलाओं की कान की बाली और बिछिया तक उतरवा लिया। बाद में पुलिस जब आई तो उसने डकैतों को टार्च दिखाकर घाघरा नदी पार करा दिया।

मान्यवर, थाना भीमपुरा बलिया में साधन सहकारी समिति का चुनाव था उसमें भाजपा के भरत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और सरकारी पार्टी वाले लोग पूरी मत पेटिका लेकर तालाब में कूद गये और जब वह लड़का धरने पर सड़क पर बैठा तो उसको धरने पर गड़ासे और लाठियों से मारा

गया और पुलिस ने उल्टे 307 की धारा लगाकर उसी पक्ष पर एफ0आई0आर0 कर दिया और उस चुनाव को आज तक कराया भी नहीं है। अगर भरत सिंह माननीय विधायक न पहुंचे होते तो शायद इन लोगों की हत्या हो गयी होती और उल्टे वहीं लोग मुल्जिम बना दिये गये। यह कानून व्यवस्था की पोजीशन है। मैं नहीं कहना चाहता इलाहाबाद में क्या हुआ ? कलुआ डकैत ने क्या किया ? निर्भय गुजर क्या कर रहा है ? यह कहानी नहीं है। इस प्रदेश में अपहरण और बलात्कार बहुत बढ़ा है अब डकैती और हत्या का अपराध उतना बड़ा नहीं रहा। मां बहनों की कोई सुरक्षा नहीं है इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि जो गरीबों का अंश है, जितना बड़ा प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला हुआ है उतना बड़ा घोटाला दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा। एएसजीआरवाई योजना में आगरा, बलरामपुर, गोण्डा आदि में 100 करोड़, डेढ़ सौ करोड़, 200 करोड़ का घोटाला हुआ होगा लेकिन मेरे बलिया जिले में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। अन्त्योदय योजना, मिड-डे-मील योजना, अन्नपूर्णा योजना, जो अंतिम आदमी का हिस्सा है वह वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है सारा खाद्यान्न बिहार और बांगलादेश के रास्ते पार हो जाता है। हम सीडीओ और जिलाधिकारी से मांगते रहते हैं कि हमारे यहां इन योजनाओं के कितने धारक हैं क्योंकि यह अन्तिम हिस्सा है। यह समाजवादी पार्टी की सरकार है और काम हर रोज पूंजीपतियों के लिये करती है। डा0 लोहिया ने कहा था कि न सौ से कम न हजार से ज्यादा लेकिन आज तो आप हाईटेक टाउनशिप बना रहे हैं, इससे गरीब और छोटे लोगों का क्या फायदा होगा ? क्या होगा उन पावरलूमों का, जो बिजली के बिना चल रहे हैं। जब सारे काम उद्योगपति करेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार कहां से मिलेगा।

मान्यवर, खाद्यान्न घोटाला 500 करोड़ का हुआ है, इसमें हमारे यहां सी0डी0ओ0 बर्खास्त हैं, लेकिन इसमें तो बड़े लोगों का हाथ है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा इस खाद्यान्न घोटाले की जांच कर रही है, यह कभी सच्चाई सामने ला सकती है, वह तो सरकार के मातहत है। मान्यवर, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये क्योंकि यह खाद्यान्न आम आदमी का हिस्सा है। इसमें आप नाकवपोशों को बाहर करें, जो इतने बड़े अन्न माफिया, राशन माफिया पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। मान्यवर, 60 करोड़ के बोफोर्स घोटाला में तो प्रधानमंत्री चले गये थे, यह तो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें सी0डी0ओ0 बर्खास्त कर दिये गये, इससे क्या होगा ? अन्न के बिना इंसान दम तोड़ रहा है। अभी 14 जनवरी को जब पूरा प्रदेश मकरसंक्रान्ति मना रहा था, तब सुदर्शन राजभर नाम के व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में दम तोड़ दिया, हम वहां गये, उसकी लाश जलवाई गयी। उस बेचारे गरीब की झोपड़ी में ढक्कन भी नहीं था, वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, 4 बकरी उसके पास थी। गांव के लोगों ने बताया कि 500 रुपये मांग रहा था, हम लोग कई बार पैसा दे चुके थे, इस बार नहीं दे सके, हम लोग पैसा जुटा रहे थे, लेकिन इसने दम तोड़ दिया। मान्यवर, इस मामले में प्रशासन कहता है कि उसको मिर्गी आ गई थी, जबकि उसकी पत्नी ने कहा कि उसको कभी मिर्गी आती ही नहीं थी। मान्यवर, इस ढंग से गुमराह किया जायेगा, तो फिर कैसे चलेगा ? मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले की सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा का सवाल है, नैतिक शिक्षा, आपने गांवों को तो समाप्त कर दिया है और शहर में मुट्ठी भर लोगों के लड़के 3-3 हजार रुपये फीस देकर पढ़ते हैं। 40-40 हजार रुपये फीस देकर पढ़ रहे हैं, क्या उन्हीं का हिन्दुस्तान है, सबके मां-बाप तो सौरभ सिंह पैदा नहीं कर पायेंगे। इस 18 करोड़ की आबादी में एक लड़का पैदा हुआ है। आज गांव की शिक्षा में गुणवत्ता

की जरूरत है। आज जगह-जगह पर स्कूल खुले हैं, जिसको कुछ नहीं मिला, उसने स्कूल का बोर्ड टांग दिया। आज 500-400 रुपये में अध्यापक रखे जा रहे हैं। हमारे साथ के पढ़ने वाले 1400-1500 रुपये में जॉब करते हैं। इनको आप शोषण से बचायें और शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाय। आज स्कूलों में नकल वसूली हो रही है, जो नकल का पैसा नहीं देंगे, उसको क्लास में नहीं बैठने देंगे। मान्यवर, आप भी उसी ग्रामीण इलाके के हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इससे कौन सा हिन्दुस्तान बन जायेगा ? राज्य सरकार के पैसे पर लोग ब्राजील घूम सकते हैं, लेकिन इससे गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होगा। श्रीमन् जहां तक जनस्वास्थ्य का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी तहसील में एक भी लेडीज डाक्टर नहीं है, हालांकि कुछ जगह डाक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन वह भी गरीब के बाल-बच्चों के लिये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया। बजट आयेगा, उसमें बोल लीजियेगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। कहीं-कहीं डाक्टर हैं भी, वह बिना रुपये लेकर नहीं देखते हैं। झोलाछाप जो नर्स हैं, वही महिलाओं की डिलीवरी करा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप क्षेत्रीय समस्याओं को कह लेने दें। मैं आपके आदेश का 100 प्रतिशत अनुपालन करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 पानी की टंकियों के लिये अपनी विधायक निधि से 10 प्रतिशत पैसा जमा किया था, लेकिन उसका धन अवमुक्त नहीं हुआ है । इसके अलावा श्रीमन् हमारे क्षेत्र में वर्ष 2002-2003 में पूर्वांचल राज्यांश से एक किश्त गयी थी, वहां के लिए द्वितीय किश्त अवमुक्त करायी जाए। विधायकों को 100 हैण्डपंप नहीं मिले हैं जबकि पिछले वर्ष 100 हैण्डपंप मिले थे, इस वर्ष भी 100 हैण्डपंप दिये जाएं। विद्युतीकरण के लिए 5 गांव बलिया जनपद के विधायकों के लिए नहीं मिले हैं, उस पर भी सरकार विचार करने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कौशल किशोर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने कुछ संशोधन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश किये हैं, मेरा सुझाव है कि उन्हें राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ने का कष्ट किया जाए। अभिभाषण में प्राइमरी तक के बच्चों को एजूकेशन देने की, अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। मैं आपका ध्यान प्राइमरी स्कूलों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए हर क्लास में टीचर नहीं हैं।

शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है कि जो दूर-दूर से टीचर आते हैं, उनमें से कुछ टीचर ऐसे हैं, जिन्होंने चार-पांच सौ रुपये महीने पर स्कूल खोलने और बन्द करने के लिए आदमी रख रखे हैं। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी एक मिड-डे-मील योजना लागू की गई है, जिसमें बच्चों को, जो पढ़ने जाएंगे उनको, खाना देने की योजना बनायी गयी है। इसमें विश्व बैंक का भी पैसा लग रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों को खाना देने से शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, यदि मात्र खाना देने से शिक्षा प्राप्त हो जाती तो घर में ही बच्चों को खाना देकर शिक्षा दे दी जाती। बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों को भूखे पेट स्कूल नहीं भेजते, इसलिए इसमें मेरा अनुरोध है कि बच्चों को खाना देने के बजाय उसी पैसे से बच्चों को किताबें और अध्यापक आदि उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, तो बेहतर होगा। प्राइमरी स्कूलों में एक समान शिक्षा की बात की गई है। मेरा अनुरोध है कि संशोधन होना चाहिए और हाईस्कूल तक एक समान और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का काम किया जाना चाहिए। पुलिस की कानून-व्यवस्था के बारे में मेरा कहना है कि जो हकीकत है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश के अन्दर पुलिस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आम आदमी को पुलिस से एक डर सा बना रहता है। तहसील, कोर्ट, दफ्तर कहीं भी आम आदमी चला जाता है, उसे डर नहीं लगता लेकिन जब वह थाने के सामने जाता है तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है, उसे वर्दी का खौफ होता है। इसमें मेरा अनुरोध है कि जो रिपोर्ट लिखने का सिस्टम है, वह थाने में लिखे जाने के बजाय कोई अलग दफ्तर बना दें, जहां पर हू-ब-हू रिपोर्ट लिखी जाए और जांच करके पुलिस का काम केवल गिरफ्तार करना रह जाए तो मैं समझता हूं कि पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, उसमें काफी कमी आयेगी। पुलिस जो 24 घण्टे काम करती है, एक थाना इंचार्ज 24 घण्टे रहता है, जबकि बाकी दफ्तरों में आठ घण्टे ड्यूटी होती है। मेरा अनुरोध है कि पुलिस में भी आठ घण्टे की ही ड्यूटी कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी क्षेत्र में एक थानाध्यक्ष का पूरे क्षेत्र में रुतबा होता है, अगर वह थानाध्यक्ष साम्प्रदायिक भावना वाला है, तो वह उसी तरह से क्षेत्र में काम करता है अगर यह सिस्टम खत्म कर दें और आठ-आठ घण्टे की ड्यूटी लगाकर एक थाने पर तीन-तीन थानाध्यक्षों की नियुक्ति हो तो एक अच्छी बात होगी और किसी एक थानेदार की मोनोपॉली नहीं रहेगी और अगर एक थानेदार सही बात नहीं करता है तो दूसरा थानेदार सही बात करेगा। मेरा सुझाव है कि अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा। किसानों और मजदूरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए विश्व बैंक ने आज पूरे देश में जाल बिछा दिया है। आज हालत यह है कि विश्व बैंक के इशारे पर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, विश्व बैंक पानी के दाम बढ़ाने की बात कर रहा है। विश्व बैंक दबाव डाल रहा है कि सरकारी नौकरियों में छंटनी होनी चाहिए और नई नौकरियां नहीं निकलनी चाहिए। विश्व बैंक पूरी तरह से हावी है और दबाव डाल रहा है। विश्व बैंक दबाव डाल रहा है कि अमेरिका के विदेशी खाद और बीज किसान अपनी खेतों में डालें और यहां की और बीज खाद को रोकने का काम किया जा रहा है। विश्व बैंक के इशारे पर बीज भी हमारे खेतों में डालने का काम किया जायेगा। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे देश की जमीन पर विश्व बैंक के द्वारा अमेरिका कब्जा कराना चाहता है ऋण दे करके। कर्ज दे करके वह पार्लियामेण्ट में कानून पास कराता है और प्रदेश की सरकारों से लागू कराने का काम करता है। आज खेती उर्वरकों की गुलाम

हो गयी है, अगर खेतों में खाद न डाली जाए तो अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होगा। स्थिति यह हो रही है अमेरिका की बनायी हुई विदेशी कम्पनियों की खाद डाली जायेगी। जब हमारी खेती विदेशी खादों की गुलाम हो जायेगी तो हम उनकी खाद बना नहीं सकते क्योंकि पेटेण्ट कानून पास हो चुका है और जब खाद नहीं पड़ेगा तो हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होगा और देश के लोग भुखमरी पर आ जायेंगे। जब अमेरिका अपनी खाद और बीज देने लगेगा तो धीरे-धीरे उसका कब्जा किसानों के खेतों पर हो जायेगा और हमारे किसान केवल भूमि के मालिक रहेंगे लेकिन फसल लेने के मालिक नहीं रहेंगे। विश्व बैंक के जाल में हमारा देश फंसता जा रहा है। जो डंकल प्रस्ताव और पेटेण्ट बिल बना है उसे उत्तर प्रदेश को जोड़ने से रोकें, उत्तर प्रदेश में डंकल प्रस्ताव व पेटेण्ट कानून न लागू करें। यह मेरा अनुरोध है। मान्यवर, मैं कुछ चीजें और कहना चाहता हूं श्रमिकों के बारे में, जब मैं वर्तमान सरकार में श्रम राज्यमंत्री था तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, लोग काम ले लेते हैं परन्तु पैसा नहीं देते हैं मेरा अनुरोध था और मैंने उस समय प्रस्ताव भी दिया था कि जिस तरह से पुलिस के थाने खुले हैं उसी तरीके से श्रमिक थानों का निर्माण कराया जाए। आज स्थिति यह है कि मजदूरों से बंधुवा मजदूर की तरह काम कराया जाता है लेकिन उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत पैसा नहीं दिया जाता है तो उन थानों में रिपोर्ट दर्ज करायी जा सके और वे जो थाने होंगे वे मौके पर जाकर कार्रवाई करायेंगे जिससे उनकी समस्या दूर होगी। मान्यवर, मेरा यह सुझाव अभिभाषण में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

आप एक श्रमिक थाना चला रहे थे उसकी क्या स्थिति है ?

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, वह चल रहा है, दारुलशफा के 10 नम्बर में, लेकिन जब सरकार की ओर से थाना खुल जायेगा तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, इसी के साथ में यह कहना चाहता हूं कि परदहा मिल है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। 25 हजार तकुवे चलाने का आदेश दिया है जबकि 50 हजार तकुवे हैं, उनमें 100-150 मजदूर काम कर रहे हैं, बाकी को काम पर नही लगाया जा रहा है जबकि वह जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। उनका उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है। इसके साथ ही मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मित्र नियुक्त किये गये हैं मान्यवर, हमारे यहां स्कूलों में एक-एक शिक्षामित्र नियुक्त किया गया है। उनकी समस्यायें हैं। आज 50-60 हजार लोग विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं। उनको वेतन देने के लिए बैंक में एकाउन्ट खोलकर उनका वेतन उसमें जमा किया जाय। हर बार नए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति न की जाय जो पुराने हैं उन्हीं को नियमित किया जाय। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं हमारा मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र है, वह आम फल पट्टी क्षेत्र है। वह अजीब स्थितियों से गुजर रहा है। पिछले साल जब भाजपा-बसपा की सरकार थी तो वहां 24 घण्टे बिजली आती थी अब 8 घण्टे कर दी गई है। वहां पर 24 घण्टे बिजली के लिए पैसा लोगों से लिया जाता है तो मेरा कहना है कि 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। मेरी मांग है कि मेरे यहां आम निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सेन्टर खोला जाय, जिससे वहां का आम विदेश जा सके। वहां आम फल बीमा योजना लागू की जाय। हमारे

यहां एक बहता नाला है, जिससे डेढ़ लाख की आबादी प्रभावित होती है। इब्राहिम पुर, दौलतपुर, कुलहरा धतरी बेलगरा, मुअज्जम पुर आदि गावों के निवासियों की सुविधा के लिए वहां एक पुल बनाया जाय। मैंने इस अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव भेजे हैं उनको इस अभिभाषण में शामिल किया जाय।

*श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

मान्यवर, आपने बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के झांसी नगर से प्रतिनिधित्व करता हूं। यहां पर सुबह से बहुत से सदस्यों के विचार आए, हम लोगों के मन में एक इच्छा है कि हमारी बात आप तक पहुंचे और उस पर कार्यवाही हो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हमारी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधान सभा है, यहां पर सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जाती है। आप अपने दल के नेताओं से बात कर लें कि वह आपको समय देने का अवसर दें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

मान्यवर, जो नए लोग हैं उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता है। जो लम्बे समय से बोलते चले आ रहे हैं उनको अवसर मिलता है, जो पीछे बैठे रहते हैं उनकी चर्चा नहीं हो पाती है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो योजनाएं इसमें दी हैं वह प्रशंसनीय हैं। मान्यवर, लेकिन यह देखने में आया है कि जो जनकल्याणकारी योजनाएं बनती हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता है और भ्रष्ट अधिकारी योजनाओं के पैसों का सदुपयोग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हर विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, उसकी जानकारी आम आदमी को दी जाय। जब हम किसी अधिकारी से पूछते हैं कि आपके विभाग में विकास के लिए कितनी धनराशि आई है तो अधिकारी नहीं बताते। पारदर्शिता के अभाव में जिला स्तर और शहर स्तर की योजनाओं में आवंटित धन की जानकारी जन प्रतिनिधियों को नहीं मिलती है जिसके कारण योजनाओं के लिए आया पैसा केवल कागज पर ही बंट जाता है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति की दृष्टि से हर स्तर पर उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा है। बुन्देलखण्ड के लिए जिस समय योजनाएं बनती हैं उस समय ध्यान नहीं रखा जाता है कि बुन्देलखण्ड के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। वर्ष 1994 में इसी सदन में यह कार्यवाही में आया था कि 8 प्रतिशत धन बुन्देलखण्ड के 21 विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों का हक है। अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड की स्थिति उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों से भिन्न है। वहां लगातार बारिश होती है, जिससे जमीन की ऊपरी पर्त बह जाती है और जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं रह गई है। वहां जल का स्तर प्रतिवर्ष एक से दो मीटर नीचे जा रहा है। आज बुन्देलखण्ड के लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां नए उद्योग धन्धे स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। कथकरघा उद्योग विद्युत के अभाव में बन्द है। एक सूती मिल वर्ष 1985 में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने झांसी में स्थापित की थी जिसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बन्द कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया आज उसके पांच हजार मजदूर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुन्देलखण्ड में अगर रोजी-रोटी के साधन न स्थापित किए गए तो जिस तरह से दूसरे क्षेत्रों में अराजकता बढ़ रही है और लोग नक्सलवाद की तरफ मुड़ रहे हैं वही स्थिति बुन्देलखण्ड में भी हो जायेगी। आज पढ़े लिखे नौजवान एक-एक हजार रुपए की नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने पूर्व में विधान सभा के अन्दर नियम 56 के तहत बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की बढ़ी हुई फीस का मामला उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के छात्रों से 1995 के अनुसार फीस ली जाएगी आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1995 के मानक के अनुसार फीस बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में नहीं ली जा रही है। दूसरी बात चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं हमारे यहां झांसी में क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के बारे में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने कई बार प्रदेश शासन को लिखा कि यहां 108 लेक्चरर रीडर और प्रोफेसर की वैकेंसी है लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई। यहां पर कर्मचारी नहीं हैं। लैब नहीं है आज तक प्रदेश शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के दो करोड़ लोगों के बीच एक मेडिकल कालेज है वहां अगर इलाज की सुविधा नहीं हुई तो लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से इलाज कराने पर मजबूर हो जाएंगे। बुन्देल खण्ड की विद्युत व्यवस्था के बारे में अनेकों बार सदन के संज्ञान में लाया गया। झांसी के अन्दर पारीछा थर्मल पावर स्टेशन से 220 मेगावाट बिजली बनती है उसके आस-पास इतना प्रदूषण हो गया है कि मटर जो किसान खेत में पैदा करता है वह भी प्रदूषित हो जाती है। लेकिन जो बिजली बनती है उसको नेशनल ग्रिड में डाल दिया जाता है उसके एवज में झांसी को बिजली मिलती है लेकिन अगर पारीछा में बिजली का उत्पादन नहीं होता है तो झांसी को बिजली नहीं दी जाती है, वहां केवल चार घंटे बिजली दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड के लिए अलग विद्युत ग्रिड बनाई जाय जिससे जो बिजली बने उसे बुन्देलखण्ड की ग्रिड में डाला जाय। हमारे यहां झांसी में 220 मेगावाट की दो नई इकाइयां लग रही हैं मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसे विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय। बुन्देलखण्ड में जमीनी पैदावार बहुत कम है वहां लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। हमारे यहां के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती हैं लेकिन योजनाएं बनने के बाद पैसा नहीं मिलता है। एक पेयजल योजना कांग्रेस के शासनकाल में ली गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में उसमें घनघोर भ्रष्टाचार हुआ। 15 करोड़ रुपये की योजना थी, उसमें 7 पम्प हाउस बने थे। इस योजना से पूरे शहर को पानी मिलना था लेकिन वह आज बन्द पड़ी है, सातों पम्प हाउस बन्द पड़े हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये 1 करोड़ रुपये पुनर्गठन के लिये दिये गये थे लेकिन फिर भी आज वह सातों पम्प बन्द हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जल निगम और जल संस्थान के विवाद के कारण आम आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज स्थिति बहुत खराब है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप विधान सभा के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करें, उनको आप निर्देशित करें कि विभागों की जो आपसी लड़ाई चल रही है चाहे जल निगम और जल संस्थान की हो या विद्युत विभाग की उसके चलते आम उपभोक्ता को आपकी इन कल्याणकारी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो एक बातें और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। विद्युत विभाग में लाइन लौस के बावजूद अगर आप देखेंगे तो आपके विद्युत विभाग के अधिकारी एस0डी0ओ0, जे0ई0 अपने परिवार में विवाह शादी 40-50 लाख रुपये की करते हैं। जो पैसा जनता के लिये जाता है वह अधिकारियों के घरों में कैद है। भ्रष्टाचार का तांडव आज न केवल एक क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में कायम है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि प्रदेश के अन्दर जो अफसरशाही चल रही है, भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है नहीं तो आपकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वे तब तक सार्थक नहीं हो सकती हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष--

इधर दो महिला सदस्य बैठी हैं, आप नहीं बोलेंगी ?

श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर, वे बहिनें नहीं बोल रही हैं, तो इधर हमको मौका दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

देखिये श्रीवास्तव जी काफी देर से कह रहे हैं। जियाउद्दीन जी बोल लें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यवाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। पिछले दो दिन से लगातार इस पर चर्चा चल रही है और बहुत ही अनुभवी सदस्य इसमें कल से हिस्सा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से कुछ बहुत पुराने चेहरे जो माउथ माफिया कहे जाते हैं। वे नये सदस्यों का शोषण कर रहे हैं। हर बात में, चाहे कोई नियम हो और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी अपनी बात को रखा और लगातार एक ही बिन्दु पर क्योंकि यह हताश हो चुके हैं, विपक्ष निराश हो चुका है। इनके पास न तो कोई योजना इनके जमाने में आम जनता के लिये थी, म गरीब के लिये थी, न किसान के लिये थी, न मजदूर के लिये थी, न विद्यार्थियों के लिये थी। जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार सूबे में बनी और जब भी बनती है तब विपक्ष घबरा जाता है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं देखता हूं मैं सार्वजनिक जिन्दगी में 40 वर्षों से काम कर रहा हूं और समाजवादी आन्दोलनों से जुड़ा रहा हूं।

मैं देखता हूँ जब-जब समाजवादियों को मौका मिला है सरकार में आने का या साझेदारी का मौका मिला है तो सारे विपक्ष ने हमला बोलने का काम, सुनियोजित विचारधारा से समाजवादी आन्दोलन को कुचलने का काम इन्होंने किया है। जब से मुलायम सिंह यादव की सरकार आई है यह घबड़ा गए हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी तो इनका नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा चाहे वह अध्यापक हों, चाहे वकील हों, चाहे बुनकर हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हों। इनकी सरकार में क्या राजा भइया का उत्पीड़न नहीं हुआ है ?

जय प्रकाश यादव का उत्पीड़न नहीं हुआ है ? अक्षय कुमार सिंह का उत्पीड़न नहीं हुआ है ? जिस तरह से आई0जी0, डी0आई0जी0 का सहारा लिया गया, जिस तरह से छापा मारा गया, क्या यह सही था? हमारी पार्टी की सरकार लोकतंत्र में आसीन है। डा0 लोहिया जी और चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है इसलिए हमने किसी नाते सदस्यों पर दबाव डालने का काम नहीं किया। न किसी अधिकारी ने गुण्डे माफिया को लगाने का काम किया। मासन्यवर, राजू पाल की हत्या हुई हम भी चिन्तित हैं किसी समाज, किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, सदस्य है उसकी हत्या होती है तो आन्दोलन होता है। हमारी पार्टी ने निन्दा की। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ हत्या होती है उसी दिन बयान आता है, निन्दा का बयान आता है। उनके परिवार के लोगों ने जिस आदमी को इंगित किया हमारे पार्टी के एम0 पी0 का नाम लिखाया, मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट देरी नहीं की राजू पाल की हत्या के लिए जिसके नाम एफ0आई0 आर0 लिखाई गयी वह लिखी गई। एम0 पी0 को जेल जाना पड़ा इनके भाई को गिरफ्तार किया गया। मुख्य मंत्री जी ने एक आदर्श उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया है। मान्यवर, किसानों द्वारा गन्ना मूल्य का बकाया मांगने पर चाहे वह कल्याण सिंह जी का राज्य हो चाहे मायावती का राज्य हो, किसानों पर गोलियां बरसाई गई। हम लोग नैनी जेल में बन्द कर दिये गये दिनेश चन्द्र मिश्रा जैसे नेता जो छोटे लोहिया जी के नाम से जाने जाते हैं उनका उत्पीड़न किया गया। उनकी पत्नी मर गई उनका दवा इलाज नहीं करा पाए। वह रामकोला के किसानों के दुख दर्द में शरीक हुए नैनी जेल में हम लोगों को ठूँस दिया गया। इनके अन्दर शर्म हया नहीं है हमारे मदरसों को इन लोगों ने आई0एस0आई0 का अड्डा बताया। मदरसों की जांच होती थी। बसपा भाजपा की सरकार में मौलानाओं को प्लेटफार्म से खोजकर लाते थे हमें आन्दोलन करना पड़ा। भाजपा और बसपा के राज्य में दो मौलाना आ रहे थे उनका कुसूर था कि वह दाढ़ी रखे हुए थे पुलिस वालों ने उनको पकड़कर पीटा और कहा तुम आई0एस0आई0 के एजेन्ट हो उन्होंने कहा हम मौलाना है हम नमाज पढ़ते हैं तो उनके दोनों हाथ पर कुर्सी रख कर रगड़ दिया गया। आप आरोप लगाते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की आलोचना हो रही है मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनेगा। चालीस साल हुकूमत के हो गये उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं यह भी कहा जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय में उर्दू, फारसी पढ़ाई जाएगी यह आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कतई है मान्यवर, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय होता है, जिसने देश की लड़ाई में कुर्बानी दी हो उनके नाम से यह विश्वविद्यालय बन रहा है। उनकी मां को अम्मा के नाम से जाना जाता था। गाँधी जी ने उनको बहुत प्यार दिया था। उन्होंने बिहार के अन्दर मूवमेंट चलाया था। मान्यवर, उस विश्वविद्यालय में केवल अरबी और फारसी की ही पढ़ाई नहीं होगी, उसमें इंजीनियरिंग और मैथ भी पढ़ायी जायेगी। सर सैयद अहमद खाँ ने एक-एक रुपया मांग कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय बनाया था क्या उसमें केवल मुसमान ही पढ़ते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्या उसमें केवल हिन्दू ही पढ़ते हैं ? मान्यवर, मुहम्मद अली जौहर के नाम से नफरत करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मो0 आजम खाँ और मुलायम सिंह यादव जो एक धोती पहन कर गांव की राजनीति से यहां तक आए हैं, जो एक अध्यापक थे, ऐसे मिट्टी के लाल जो हिन्दू धर्म और हनुमान में आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए

दुआएं मांगी जाती हैं, मुसलमान महिलाएं उसकी सलामती की दुआएं मांगती हैं, जिसके लिए हर तबके का आदमी दुआएं करता है, खासकर मुस्लिम बिरादरी के लोग। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह जी ने मुसलामानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। जो राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के सिद्धान्त हैं, उनको आगे बढ़ाने और संविधान का पालन करने के लिए, यदि कोई नेता बचा है तो वह हैं, मुलायम सिंह यादव। यह बात वह कई मौकों पर साबित कर चुके हैं। यह सही है कि मुलायम सिंह यादव जी और आजम खाँ साहब दाढ़ी वाले नेता नहीं है लेकिन आजम खाँ के दिल में अकलियत ही नहीं, समाज के दबे-कुचले लोगों के प्रति दर्द है। जब कोई गरीब, परेशान आदमी उनके पास जाता है तो उनके आंसू निकल जाते हैं। यदि मुलायम सिंह यादव घोषणा कर दें तो हम केन्द्र सरकार और भरतीय जनता पार्टी के न चाहते हुए भी यह विश्वविद्यालय चन्दा इकट्ठा करके बना लेंगे। आज सभी क्षेत्रों में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे वह ब्राहमण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, सभी के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने लगी है, उसके लिए तारीफ नहीं करेंगे ? गांवों में बिजली मिल रही है, इसकी तारीफ नहीं करेंगे ? मायावती जी की राज में किसी विधायक को हैण्डपम्प नहीं दिये गये लेकिन हमारी सरकार के मुखिया ने प्रत्येक विधायक को 100-100 हैण्डपम्प देने का काम किया है। मान्यवर, मुलायम सिंह यादव के शासन में चहुमुखी विकास हो रहा है। गांवों में विद्यालय खोले जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या हल हो रही है। कानून-व्यवस्था के फर्जी आंकड़े देने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आज अमनचैन है, आज कानून का पालन हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज बेराजगारी जो नक्सलवाद की जड़ है, उसको दूर करने की प्रतिज्ञा हमारी सरकार ने ली है और बड़े पैमाने पर पीएसी, पुलिस और अन्य विभागों में भर्तियाँ हो रही हैं और वह भी सेकुलर तरीके से हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि एक आदमी भी बता दे कि उसने इसके लिए एक रुपया भी दिया है किसी अधिकारी को तो हम उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। आज तक कोई नाम नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, यह गरीबों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि यह केवल समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि आम जनता की सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ तथा अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री इलम सिंह का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित होने पर।)

*श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी--

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के समर्थन एवं उनके द्वारा दिये गये संशोधन के पक्ष में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की गम्भीर समस्या है जबकि वहाँ पर पावरलूम का बिजनेस होता है, वहां पर बुनकर समाज के मजदूर रहते हैं उनका यही व्यवसाय है। पिछली जो भी सरकारें आयीं तो वहां पर बुनकरों को 18 घंटे बिजली दी जाती थी लेकिन आज वहाँ पर 10 घंटे भी बिजली नही दी जा रही है, जिसके कारण वहां का पावरलूम उद्योग देश के अन्य भागों में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुम्बई में स्थानान्तरित हो रहा है। मजदूर अन्य जगहों पर जाकर बस रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वहां पावरलूम कुटीर उद्योग को बचाने के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाये ताकि वह लोग गांव छोड़कर न जायें। मान्यवर, दूसरी बात मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। चूंकि इलाहाबाद की कानून-व्यवस्था के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है इसलिए मैं सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002 में 5 सड़कें स्वीकृत हुई और उसके लिए 5-5 लाख रुपया दिया गया और उसमें उतना कार्य पूर्ण कराया गया। लेकिन आज की तारीख में सड़कें बहुत खराब हो गयी है और दूसरी किस्त जारी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जो दूसरी किश्त का पैसा आना बाकी है वह रिलीज किया जाये। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पर टीचरों की कमी है। एक-एक टीचर 400-500 बच्चों को पढ़ाता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं। उनमें उर्दू टीचरों, मुअलिम को जो डिग्री दी गयी थी तो बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस डिग्री की मान्यता को समाप्त कर दिया था। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि मुअलिम की डिग्री को मान्यता देने का काम किया जाये। इसके साथ ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहरों पर पुलों की स्थिति बहुत खराब है। नहरों के जो पुल बने हैं वह रख-रखाव की उपेक्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं इसमें उनकी मरम्मत के लिए पैसा दिया जाये। जब वहां पर अधिशासी अभियंता से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि आप विधायक निधि से पैसा दे दीजिए। मान्यवर, इसी प्रकार हमारे यहां नलकूप खराब पड़े हैं इसके बारे में हमने जब वहां पर सक्षम अधिकारियों से बात की तो कहा गया कि हमारी तनखा के लिए तो पैसा नहीं है तो फिर इसको कैसे ठीक कराया जाये, धन का अभाव है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि नलकूपों के मेंटेनेन्स तथा रख-रखाव के लिए पैसा रिलीज किया जाये। इन्हीं बातों के साथ आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन समस्याओं का निराकरण कराने का कष्ट करें।

*श्री राम किशुन--

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। इस सरकार को बने पन्द्रह सौलह महीना हुआ है यह लोकप्रिय सरकार है। जनता में जो चौराहों में चर्चा है, आम जनता के मन में इस सरकार के प्रति भावनाएं बढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बात न करें। ध्वनि प्रणाली इतनी संवेदनशील है कि जो बात आप कर रहे हैं वह कैच कर रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम किशुन--

तो मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। इसके पहले किसी सरकार ने यह काम नहीं किया। सफाई अभियान युद्धस्तर पर हुआ जिससे फसलों को सिंचाई करने का अवसर दिया। अभी चालीस हजार शिक्षित बेरोजगारों को बीएड नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं जो हमारे विशिष्ट बीटीसी हैं इनको भर्ती करने का अवसर दिया गया। तमाम विभागों में बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम किया। इस सरकार की प्राथमिकता है सड़क, बिजली और पानी। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा पम्प हाउस बना है। इस क्षेत्र के विकास में सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है, जो कानून व्यवस्था की बात उठायी गयी, हमारे विपक्ष के साथियों राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करो, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी कि वे गुण्डें माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, तो किसी राजनीतिक दल ने अगर यह इच्छा व्यक्त की है तो वह है समाजवादी पार्टी। आज यह गुण्डे माफिया की बात करते हैं। एक घटना हो गयी जो विधायक मारा गया, हमें दुख है, लेकिन व्यक्तिगत रंजिश है। उसकी माँ खुद कहती है कि हमारा लड़का बिगलैड़ था। तो, मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। ऐसे लोगों को टिकट देने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। मान्यवर, हिन्दुस्तान में मुलायम सिंह जी पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम गुण्डे माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। हमारे एक दल हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा उसकी पार्टी से दर्जनों लोगों को, गुण्डों माफियाओं को टिकट दिया गया और नतीजा यह हुआ कि हिंसा और कानून व्यवस्था के बिगड़ने के आसार बढ़े हैं। जब आप कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं तो नैतिकता का भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमारे जो पिछड़ी जाति के गरीब परिवारों के जो बच्चे थे, जिनके पास पढ़ने-लिखने के लिए पैसा नहीं था, यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे दलित हो सबके बच्चों को स्कालरशिप देकर उनकी फीस उनकी कापी-किताब का इन्तजाम किया। जो बच्चे पौष्टिक आहार न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो रहे थे उन बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए विद्यालयों में दिन का भोजन देने का काम उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने किया है, इसके लिए विपक्ष के लोगों को सरकार को बधाई देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह सरकार इतनी लोकप्रिय है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं बैठे हैं, उनके काशी के राजा-महाराजा से सम्बन्धित बयान पर विपक्ष के लोग काफी बवाल मचा रहे थे, काशी नरेश के बंगले के सामने भी जाकर काफी हल्ला मचाया गया, लेकिन उसके दो महीने के बाद राम नगर के चेयरमैन के मर जाने के कारण उप चुनाव हुए, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत गई, वहाँ के लोगों ने, राम नगर के लोगों ने इस सरकार द्वारा किये गए विकास का परिणाम दिया। मान्यवर, उसके बाद उप चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार विजयी रहे और आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें आपको पता चल जायेगा कि कितनी लोकप्रियता है इस सरकार की ।

मान्यवर, कुछ राजनीतिक दल इस सरकार को अस्थिर करने की बात करते हैं, यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में राम नगर बलुवा घाट था जो कभी पक्का नहीं हुआ था, इस सरकार के आने पर वह पक्का हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्व0 लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी यह जन्म स्थली भी है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का नारा लेकर ही काम शुरू किया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान किसी ने भी राम नगर में विकास कार्य कराने का काम नहीं किया यहाँ तक कि अध्यक्ष जी, इनकी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, जिनका देहान्त हो गया है, वह राम नगर गए थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से इसके विकास के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन एक भी पैसा देने का काम नहीं किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मुगलसराय गए, उन्होंने भी विकास के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की, लेकिन बाद में उसे भी नहीं दिया गया। मान्यवर, उनके गाँव भगोरा में गरीब बच्चों के पास जाड़े में पहनने के लिए स्वेटर नहीं था अगर उन्हें स्वेटर देने का काम किसी ने किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है, उसकी कथनी-करनी में फर्क नहीं है।

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सम्मानित सदस्यों की संख्या को दिखवा लिया जाए।

श्री राम किशुन--

मान्यवर, जो यहां नक्सलवाद की समस्या उठाई गई है तो इस सरकार ने कहा है कि नक्सलवाद का हल हम गोली से नहीं करेंगे, इसका हल हम रोटी देकर करेंगे।

मान्यवर, नक्सलवाद बड़ा है जिससे हमारे यहाँ हिंसा हुई है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम किशुन--

इसका मुख्य कारण पिछली सरकारों द्वारा विकास न किया जाना रहा है। आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार उस क्षेत्र के विकास की बात करने जा रही है और करोड़ों रुपये की योजनाएं इन क्षेत्रों को दी जा रही है जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है जब कि पिछली सरकारों में यह अन्तर रहा है। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सदस्यों की संख्या को दिखवा लिया है। वह ठीक है।

*श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, इस अभिभाषण में कानून व्यवस्था की बात कही गयी है उसमें मुझे कहना है कि इसमें कानून व्यवस्था को चुस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, अभी हमारे साथियों ने विचार व्यक्त किये हैं और हर एक ने अपने क्षेत्र के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अशान्ति, अराजकता, डकैती आदि की घटनाएं घटी हैं और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, हमारे यहाँ चन्दौसी, मुरादाबाद में विगत महीने में एक डकैती की घटना दोपहर में तीन बजे घटित हुई वह घटना बीहाड़ी मार्केट में एक मकान में हुई जबकि उसमें थोड़ी दूरी पर हमारी बैठक चल रही थी और उसके दो घर छोड़ कर यह डकैती पड़ी है जिसमें आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। मान्यवर, ठीक चौथे दिन बाद दिन में दस बजे एक सर्राफ परिवार है उसमें लोग दुकान पर गये थे और उनके पीठ पीछे डकैती की घटना हुई जिसमें घर की महिला के हाथ पैर तोड़ दिये गये और घर में जितनी भी नगदी जेवरात थे वह डकैत दिन दहाड़े सब ले गये। उसमें आज तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मान्यवर, पहले डकैती की घटनाएं रात्रिकाल में होती थी लेकिन आज दिन में तीन बजे या सुबह दस बजे हो रही है। मान्यवर, यह घटनाएं इस अभिभाषण पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मेरा कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि यह सरकार महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूँ कि 1996 में जब मैं राज्यमंत्री थी उस समय मेरे ऊपर तीन दफा आक्रमण हुए थे। मेरे सुरक्षाकर्मियों ने उन अस्त्रधारियों के अस्त्रों को पकड़ा था और थाना चन्दौसी में बन्द कराया था और आज भी उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। मान्यवर, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की थी फिर मुलायम सिंह जी ने भी मेरी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था कराई। लेकिन वहाँ के जिला प्रशासन ने न जाने किस दबाव में आकर, यहाँ से तो कोई कमी नहीं रही, उस व्यवस्था को हटा दिया और यह कहा कि पुलिस की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा अनुरोध है कि भले ही पूरी सुरक्षा गारद न दें लेकिन दो सुरक्षाकर्मी मेरी व मेरे घर की सुरक्षा के लिए अवश्य दें क्योंकि वहाँ पर मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटी बच्चियाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से मुझे एक शैडो और दो सुरक्षाकर्मी मिले, लेकिन जिला प्रशासन ने उन दोनों सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया है। मुख्यमंत्री जी ने जबकि कहा था कि पूरी व्यवस्था दूँगा जितनी रही है। मान्यवर, प्राण देने और लेने वाला तो ईश्वर है लेकिन सुरक्षाकर्मी रहने से यह भय लोगों के मन में रहता है कि घर में दो लोग रहते हैं तो बच्चियों के ऊपर वक्त बेवक्त कोई खराब बात नहीं हो पायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ नहीं है मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करूँगी कि उन दोनों सुरक्षाकर्मियों को मेरे साथ सम्बद्ध किया जाये।

अगली बात मैं कहना चाहती हूँ विकास के संबंध में जिस प्रकार से देश का हृदय उत्तर प्रदेश है उसी प्रकार से जनपद मुरादाबाद का हृदय चन्दौसी है वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, मैं यह किसी ईर्ष्या द्वेष से नहीं कह रही हूँ। हमारा संसदीय क्षेत्र सम्भल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई राम गोपाल हैं मैं चाहती हूँ कि बरसात वहाँ हो तो उसकी हल्की छींटे यहाँ भी पड़े। हमारे यहाँ रतनपुर बहेड़ी मार्ग जो रामपुर तक जाती है वह जीर्णशीर्ण हो गयी है हम चाहते हैं कि उस सड़क की मरम्मत हो जानी चाहिए अगर नये तरीके से न बने तो कम से कम उसकी मरम्मत हो जाये जिससे आवागमन में कोई परेशानी न हो।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि 1992 में जब मैं विधायक थी और माननीय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 100 शैय्याओं वाला अस्पताल हमारे यहाँ दिया था और 50 लाख की राशि उसके लिए वहाँ पहुंची थी लेकिन आज तक यह हिसाब सामने नहीं आया कि वह पैसा जिले में किस मद में लगा दिया गया। हम चाहते हैं कि जो कारवाई की जा रही है 100 शैय्याओं की वह हो जानी चाहिए। चन्दौसी में बहुत बड़ी बिल्डिंग है अस्पताल की लेकिन वहां न डाक्टर है और न कोई सुविधा है जब कोई सीरियस बीमार होता है तो उसे जिला मुरादाबाद भेजते हैं, इसकी व्यवस्था करें। मैंने पिछली विधान सभा में उठाया था कि हमारे यहाँ दो शुगर मिलें हैं एक तो अयोध्या शुगर मिल है जो करोड़ों रुपये किसानों का लेकर बन्द हो गयी और दूसरी बीनस शुगर मिल है उसके सम्बन्ध में बताना चाहती हूँ कि जब उसके मालिक को कुदरत ने बनाया होगा तो उस दिन केवल उसी को बनाया होगा उस पर आज भी किसानों का 18 करोड़ रुपया बकाया है उसने जो भी आंकड़ा दिया होगा यहाँ पर वह सब फर्जी है। हमारे क्षेत्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और वहाँ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल पेमेन्ट कर दिया जायेगा। यहाँ के आंकड़ों में सारा पेमेन्ट दिखा दिया गया है। माननीय, एक तो मिल बन्द हो गयी और दूसरे शुगर मिल पर 18 करोड़ रुपया बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी दरियादिल मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में झूठे आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि किसानों का बकाया पैसा दिलाया जाय। मान्यवर, हमारे यहाँ सिंजरा गांव है जहाँ 20-25 हजार की जनसंख्या है वहाँ पर थाना बनाने का प्रयास जारी है। अगर कोई बात होती है तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 25 किलोमीटर दूर बिलारी थाने आना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ शीघ्र थाने की स्थापना हो जाय। अन्त में मैं चाहती हूँ कि उन बातों पर ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री काली चरन राजभर--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में और नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। मान्यवर, इस वर्तमान सरकार ने जितने भी अपने शासनकाल में वायदे किये एक भी वायदा पूरा करने में यह सरकार कामयाब नहीं हुई, जिससे प्रदेश के किसानों, महिलाओं, नौजवानों, गरीबों, बेराजगारों में रोष तथा दुःख व्याप्त है। मान्यवर, इस सरकार के कार्यकाल में बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी है। इस सरकार ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में 14 घंटे बिजली देने का वायदा किया था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी किसी भी जिले में पर्याप्त मात्रा में सरकार के वायदे के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। इसलिये बिजली के अभाव में ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं, इसलिये हमारे किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जहाँ तक नहरों का सवाल है, उधर सत्तापक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि नहरों को टेल तक पानी पहुंच रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि टेल तक पानी तब पहुंचता है, जब धान पक जाता है, जब धान की कटाई होने वाली होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जब गेहूँ की बुवाई हो जाती है और गेहूँ की फसल जम भी नहीं पाती है, उस समय नहरों को टेल तक पानी पहुँचता है फसल डूब जाती है। यह सरकार जो अपने आपको किसानों की सरकार कहती है, इस किसान विरोधी सरकार के कार्यकाल में होता यह है कि जब गेहूँ की बुवाई का समय आता है तो

डी0ए0पी0 गायब होने का काम होता है, इसी तरह जब सिंचाई के बाद गेहूँ में यूरिया डालने का समय आता है तो यूरिया गायब होने का काम होता है, मैं चाहूँगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकगणों से समग्र ग्राम विकास योजना में दस ग्राम चयनित करने के लिये प्रस्ताव माँगे गये थे, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। केवल कुछ गाँवों में कुछ आवास देकर उनको संतृप्त दिखाया जा रहा है। समग्र विकास के नाम पर कोई तो नहीं हो रहा है। बल्कि इसकी आड़ में भोले-भाले ग्राम प्रधानों को जांच के नाम पर जरूर परेशान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वायदा किया था, दुर्भाग्यवश यह उत्तम प्रदेश तो नहीं बन पाया लेकिन उत्पात प्रदेश जरूर बन गया है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह कुछ दिन पहले गाजीपुर जिले में गये थे और आपने मंच से घोषणा करने का काम किया था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु 5-5 लाख रुपया सरकार की तरफ से देने का काम किया जायेगा, हम लोगों ने पेपर में इसे पढ़ा था, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है, चारों तरफ आतंक और भय का माहौल बना हुआ है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का आदमी कोर्ट -कचेहरी जाता है, किसी माँ का लड़का स्कूल जाता है तो जब तक वह शाम को घर नहीं आता है, तो घर में लोगों में दहशत बनी रहती है कि हमारा लड़का, हमारा आदमी सही सलामत घर आयेगा कि नहीं?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की दो समस्यायें हैं। आप इसे गंभीरतापूर्वक सुनकर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद, जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और 90 किमी0 लम्बाई में फैला हुआ है, एक तरफ गाजीपुर का बार्डर लगता है, दूसरी तरफ मऊ का बार्डर लगता है और तीसरी तरफ बलिया का बार्डर लगता है। इसमें अधिकांश हिस्सा मोहम्मदाबाद और सदर तहसील में पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश मोहम्मदाबाद या सदर तहसील जाना पड़ता है तो उसे 35-40 किमी0 की दूरी तय करके मुख्यालय जाना पड़ता है। इसलिये किसानों का, गरीबों का काफी समय बरबाद होता है, तथा साथ ही साथ पैसा भी बरबाद होता है। हमारे यहाँ कासिमाबाद मध्य में पड़ता है, यदि इसे तहसील का दर्जा दे दिया जाये तो हमारे यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी। मान्यवर, इसके लिये आपकी तरफ से सरकार को निर्देश जाना चाहिये। हमारे यहाँ जहूराबाद में बहादुरगंज (बेदौरा) में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल है, पिछले सत्र के दौरान नियम-56 के अन्तर्गत मैंने यह मामला उठाया था, मिल को तो सरकार ने चालू करा दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर आज भी गरीब मजदूरों को वहाँ बैठे है, उन्हें काम नही मिलता है, उनको वापस लौटाया जाता है और मिल पूरी क्षमता से चलती भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निर्देश जाना चाहिए तथा मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ कासिमाबाद को तहसील बनाने एवं कताई मिल को क्षमता के साथ

चलवाने का निर्देश जारी करें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यावाद।

डा0 अजय कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि देर से ही सही, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में, जो श्री छोटेलाल यादव ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के कई माननीय सदस्यों के अच्छे विचार सुनने को मिले, लेकिन इस समय सदन में उपस्थिति बहुत कम है, मैं समझता हूं कि इससे चर्चा की गम्भीरता कम हो जाती है, इस ओर आगे ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 18 महीने के नेतृत्व में प्रदेश की गौरवशाली परम्परा को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। विपक्ष के साथियों ने एक ही बात उठायी है, कानून-व्यवस्था, कानून व्यवस्था। विपक्ष के पास में समझता हूँ कि कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। मुझे मालूम है कि पिछले नौ वर्षों में भाजपा व बसपा सरकारों ने चाहे मायावती रही हों या बी0जे0पी0, इनकी सरकारों में कानून-व्यवस्था कैसी थी? रपट लिखी नहीं जाती थी, रपट न लिखने के लिए साफ-साफ आदेश थे। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जिस दिन सत्तासीन हुए, उन्होंने कहा कि चाहे छोटा से छोटा अपराध हो, थाने में दर्ज होगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, उसने जाति, वर्ग, धर्म और भेद से ऊपर उठकर सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किये हैं। मुझे दुःख है कि विपक्ष के किसी साथी ने सराहना नहीं की है। जितने कार्य हुए हैं, चाहे वह छात्रवृत्ति का मामला हो, कन्या विद्याधन योजना हो, 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात हो, 54 हजार बी0टी0सी0 शिक्षकों की बात हो, शिक्षकों की आयु बढ़ाये जाने का मामला हो, यह सारे कार्य हमारी सरकार में हो रहे हैं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मूर्ति व स्तम्भ बनाये जा रहे हैं। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के कल्याण के लिए योजना चलायी जा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी योजनाएं बनायी जा रही हैं। हमारी सरकार ने उर्दू के साथ-साथ हिन्दी के लिए बहुत ध्यान दिया है। ऊर्जा, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में गम्भीर प्रयास किये गये हैं, औद्योगिक नीति तैयार की गई है। एग्रोपार्क का निर्माण किया गया है, बायोटेक पार्क शुरू किया जा रहा है, अनपरा-सी विद्युत परियोजना को शुरू करने की योजना है, बिड़ला-टाटा ग्रुप सहयोग करने के लिए तैयार है। जनपद गाजियाबाद के दादरी में ऐतिहासिक 2700 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चलाने की तैयारी की जा रही है, उसमें बहुत सा काम हो चुका है। इतने सारे कार्य विपक्ष को नजर नहीं आ रहे हैं।

650 नई बसों का बेड़ा शुरू किया गया है, 1150 बसें नई खरीदने का प्रस्ताव है। ये सारी बातें विपक्ष को नजर नहीं आयीं। मुझे खुशी होती कि जो अच्छे कार्य सरकार के हैं, उसमें विपक्षी साथी बधाई देते। इसके अलावा अगर खेती-किसानी की बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाती है।

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाली आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 5.1 प्रतिशत कृषि विकास दर को बनाये रखने के लिए 527 मीट्रिक टन

खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया. 17.70 मीट्रिक टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य है। सिंचाई :: देखा जाय तो रिकार्ड प्रगति की है। 2875 कि0मी0 नहरों में 90 प्रतिशत नहरों की सफाई हो चुकी है। एक हजार राजकीय नलकूप जो कि वर्ष 1999 से नहीं लगे थे चौधरी चरण सिंह के नाम पर उनको लगाने का काम किया जा रहा है. इससे सिंचन क्षमता बढ़ेगी। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अनेक योजनायें पर कार्य हैं। ये हैं हमारी सरकार के कार्य। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह जी को. जिनके सहयोग से यह सब हुआ है। बहिन-भाई की सरकार में तो गन्ना मूल्य बहुत कम हो गया था और इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि क्या प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का हक है? ये तो इन लोगों की दरियादिली का नतीजा था कि चीनी मिल मालिक कोर्ट में पहुँचे। हमारे दोनों नेताओं ने राजनीतिक लड़ाई तो लड़ी ही. कानूनी लड़ाई भी लड़कर जो गन्ना मूल्य की बंधता का सवाल था उसको जीतने का काम किया। इस पेराई सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर हो रहा है। निजी चीनी मिलों द्वारा 80% 2003-2004 का भुगतान भी हो गया लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पेराई वर्ष 2002-03 के निजी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में अभी विलम्ब हो रहा है। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि निजी मिल-मालिकों पर भुगतान हेतु दबाव बनाया जाए। (विपक्ष की ओर से यह आवाज आयी कि पहले पुराना पैसा दिलवाओ) राजनाथ सिंह ने तो पैकेज की घोषणा कर दी थी लेकिन वह पैकेज कहाँ चला गया? मान्यवर, मैं इन विवादों में नहीं पड़ूंगा। एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ मिलों ने इंसेन्टिव राशि देना शुरू किया है। जो गन्ने का वर्तमान मूल्य है, चीनी के दाम को देखते हुए वह कम है। मैं अपने क्षेत्र की मलकपुर चीनी मिल की बात करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि इसमें 15 कुन्टल गन्ने पर मिल द्वारा किसानों को 25 कि0ग्रा0 डी0ए0पी0 दिया जायेगा। इस प्रकार एक कुन्टल गन्ने पर रु0 12.18 अतिरिक्त मिलेगा। इस प्रकार गन्ने का मूल्य 112+12=124 रु0 हो गया। मैंने पहले भी पिछले सत्र में कहा था कि 120-125 रु0 मूल्य तय होना चाहिए और आज यह बात सच साबित हो रही है। मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों पर दबाव बनाकर किसानों को इंसेन्टिव दिलाये जाने की आवश्यकता है। मेरा क्षेत्र हरियाणा और यू0पी0 के बार्डर पर है। यमुना नदी में कई वर्षों से कम पानी नहीं आ रहा है। बंटवारे के कारण दिल्ली को पानी मिलता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद जो पानी मिलता है वह पूर्वी यमुना नहर में आता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत के लिये यह नहर लाइफ लाइन है लेकिन किसानों को पानी बहुत कम मिलता है। लगभग 2 सौ वर्षों से पुरानी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। सरकार ने योजना बनायी है, 52 किमी0 एक फीडर चेनल बनाया जा रहा है और टिहरी बांध से लाकर पानी यमुना में डाला जायेगा। इसमें 2 वर्ष लगेंगे। मुझे शंका है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसको देखते हुए यह योजना समय से पूरी नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का जल स्तर शनैः-शनैः नीचे जा रहा है जिससे सिंचाई में बहुत परेशानी हो रही है और पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। हमारी परेशानी को देखकर माननीय मुलायम सिंह यादव ने छपरौली क्षेत्र में 200 हैण्डपम्प दिए और दो बिजलीघर दिए। पश्चिमी उ0 प्र0 के जिला में ट्यूबवेल लगवाने के लिए जो एस्टीमेट जमा हैं उनको कई वर्षों से बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। 800 कनेक्शन जनपद बागपत के लिए जारी किए जाने की ऐतिहासिक आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ0 अजय कुमार--

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुरेश कुमार जी आप अपना भाषण शुरू कर दीजिए, आपकी चर्चा कल जारी रहेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रखा है उसके पक्ष में बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सबसे पहले कानून और व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर प्रहार हो रहे हैं और आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप का भाषण कल जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों व विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्रम एंव सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 17 फरवरी, 2005 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", अनुसूचित जातियों, "अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों" में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2005-2006 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान

सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित माना गया।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 17 फरवरी, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री मदन चौहान की जो गौतम बुद्ध नगर के छलैरा ग्राम स्थित गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक में जमा किसानों के 80 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना जो डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई की प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की राज्य सरकार की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के निदेशक के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो यमुना नदी पर बने यमुना सेतु पर भारी टोल टैक्स वसूल किये जाने के सम्बन्ध में यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पाँचवी सूचना श्री प्रमोद कुमार की जो जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली लालगंज के ग्राम पूरे लंगड़ा निवासी स्व0 प्रमेन्द्र कुमार मिश्र के पुत्र श्री नीरज कुमार मिश्र पर हो रहे जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री सुमारू राम सरोज की जो सार्वजनिक तालाबों एवं भीटों पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की जो गाजियावाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की नीलामी से 84 करोड़ रुपये का नुकसान होने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद बरेली स्थित रम्पुरा-सिरौली मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना डॉ0 अजय कुमार की जो जनपद बागपत स्थित बड़ौत नगर में वैदिक कालेज के सामने जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की जो उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्तिक भुगतानों को न किए जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है तथा;

ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जो कानपुर नगर स्थित इन्द्रपुरी शारदा नगर में थ्री फेज विद्युत लाइन बिछाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-श्री आर0एस0कुशवाहा, श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री बीजू पटनायक, श्री कालीचरण राजभर, श्री राम किशुन, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री राम इकबाल सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कौशल किशोर, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राजेश कुमार।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वान्ह पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 04 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 17 फरवरी, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अना0 प्र0 संख्या-71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

बभमान से खोड़ारे जाने वाले मार्ग किलोमीटर 65 (मरौटिया-बभनान) के पी0पी0 एक्ट केअन्तर्गत उप जिलाधिकारी मनकापुर के न्यायालय मे दायर वादों की सूची :-

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम/ पिता का नाम	वाद दायर करने का दिनांक
1	श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री रफीक अली	27-12-1990
2	श्री गोरख पुत्र श्री मिट्ठू	27-12-1990
3	श्री राम प्रसाद पुत्र श्री महादेव	27-12-1990
4	श्री राम निरंजन पुत्र श्री राम सहाय	27-12-1990
5	श्री अब्दुल रउफ पुत्र श्री अली मुल्ला	27-12-1990
6	श्री ललई पुत्र श्री छोटकान	02-08-1987
7	श्री छिनकान पुत्र श्री राम आसरे	27-12-1990
8	श्री रामफेर पुत्र श्री मिटठू	27-12-1990
9	श्री ज्ञानदास	27-12-1990
10	श्री कलन्दर अली पुत्र श्री अहमद उल्ला	27-12-1990
11	श्री अब्दुल वबाय पुत्र श्री अब्दुल हई	27-12-1990
12	श्री अखतर पुत्र श्री झिन्नू	27-12-1990
13	श्री शौकत अली	27-12-1990
14	श्री मुन्नू	27-12-1990
15	श्री मोती पुत्र श्री मेवा	27-12-1990
16	श्री राम कृपाल पुत्र श्री छोटू	27-12-1990
17	श्री रामहेत पुत्र श्री राम आसरे	27-12-1990
18	श्री टीकई पुत्र श्री मिट्कू	27-12-1990
19	श्री लल्लन	27-12-1990
20	श्री निहोरे	27-12-1990
21	श्री रविन्द्र नाथ	27-12-1990
22	श्री राम अजोर	27-12-1990
23	श्री उमाशंकर	27-12-1990
24	श्री पप्पू पुत्र श्री भल्लर	27-12-1990

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम/ पिता का नाम	वाद दायर करने का दिनांक
25	श्री ध्रुव पुत्र श्री बहराईची	27-12-1990
26	श्री किशोर पुत्र श्री बाबू लाल	18-10-2002
27	श्री जयराम पुत्र श्री शिवपाल	18-10-2002
28	श्री नानक पुत्र श्री महावीर	18-10-2002
29	श्री वेचन पुत्र श्री श्रीराम	18-10-2002
30	श्री श्याम लाल	18-10-2002
31	श्री शकील अहमद पुत्र श्री मुस्तफा	18-10-2002
32	श्री रामचरन पुत्र श्री दरगाही	18-10-2002
33	श्री मेवालाल पुत्र श्री रामबली	18-10-2002
34	श्री राजकुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद	18-10-2002
35	श्री राम किशोर पुत्र श्री भगेलू	18-10-2002
36	श्री सुनील पुत्र श्री किशोरे	18-10-2002
37	श्री राम सहाय पुत्र श्री खदेड़े	18-10-2002

बभमान से खोड़ारे जाने वाले डी0यम0वी मार्ग किलोमीटर 65 मरौटिया कस्वा में अतिक्रमणकर्त्ता के विरुद्ध उप जिलाधिकारी हरैया (बस्ती) के न्यायालय में दायर वादों की सूची :

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम	वाद दायर करने का दिनांक
1	श्री अयोध्या प्रसाद	14-02-2003
2	श्री काशी राम	14-02-2003
3	श्री पन्ना लाल	14-02-2003
4	श्री प्रदीप कुमार	14-02-2003
5	श्री पवन कुमार	14-02-2003
6	श्री मो0 कलाम	14-02-2003
7	श्री शिव कुमार गुप्ता	14-02-2003
8	श्री लल्ला	14-02-2003
9	श्री राम करन	14-02-2003
10	श्री वशीर सेठ	14-02-2003

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम	वाद दायर करने का दिनांक
11	श्री लड्डन	14-02-2003
12	श्री चुन्नी	14-02-2003
13	श्री राम उजागिरि	14-02-2003
14	श्री गुरू प्रसाद	14-02-2003
15	श्री मिश्री लाल	14-02-2003
16	श्री शिवदीन	14-02-2003
17	श्री राम प्रसाद	14-02-2003
18	श्री सुदामा	14-02-2003
19	श्री बच्चू लाल	14-02-2003
20	श्री श्रीराम	14-02-2003
21	श्री राम लाल	14-02-2003
22	श्री राजा राम	14-02-2003
23	श्री मक्खन	14-02-2003
24	श्री श्रीराम गुप्ता	14-02-2003
25	श्री मालिक राम	14-02-2003
26	श्री शिव प्रसाद	14-02-2003
27	श्री प्रहलाद तेली	14-02-2003
28	श्री प्रहलाद जयसवाल	14-02-2003
29	श्री मो0 हनीफ	14-02-2003
30	श्री लखपत सिंह	14-02-2003
31	श्री मो0 उमर	14-02-2003
32	श्री बदरूदीन	14-02-2003
33	श्री विस मिल्ला	14-02-2003
34	श्री राम लाल	14-02-2003

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम	वाद दायर करने का दिनांक
35	श्री जय प्रकाश	14-02-2003
36	श्री ठाकुर प्रसाद	14-02-2003
37	श्री आत्मा प्रसाद	14-02-2003
38	श्री रामदेव	14-02-2003
39	श्री राम भगवत	14-02-2003
40	श्री मुरारी लाल	14-02-2003
41	श्री माया राम	14-02-2003
42	श्री बेनी प्रसाद	14-02-2003
43	श्री रमजान अली	14-02-2003
44	श्री फरीद मोहम्मद	14-02-2003
45	श्री इकबाल अहमद	14-02-2003
46	श्री अब्दुल हमीद	14-02-2003
47	श्री अब्दुल मजीद	14-02-2003
48	श्री रजनीश	14-02-2003
49	श्री श्याम लाल	14-02-2003
50	श्री हनोमान शरन	14-02-2003
51	श्री राजेन्द्र	14-02-2003
52	श्री विष्णु	14-02-2003
53	श्री निवास	14-02-2003
54	श्री प्रेम चन्द्र	14-02-2003
55	श्री हनोमान	14-02-2003
56	श्री अवतार	14-02-2003
57	श्री हनोमान	14-02-2003
58	श्री मुख्तार अहमद	14-02-2003
59	श्री चन्द्र भान	14-02-2003
60	श्री इकबाल अहमद	14-02-2003

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिन लोगों के ऊपर वाद दायर किया गया है, उनका नाम	वाद दायर करने का दिनांक
61	श्री ऋषी	14-02-2003
62	श्री प्रकाश	14-02-2003
63	श्री जयराम	14-02-2003
64	श्री हरीराम	14-02-2003
65	श्री राम दीन	14-02-2003
66	श्री राम देव	14-02-2003
67	श्री शिव पूरन	14-02-2003
68	श्री बनारसी प्रसाद	14-02-2003
69	श्री सोकई	14-02-2003
70	श्री हबीब उल्ला	14-02-2003
71	श्री वीरेन्द्र सिंह	14-02-2003

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–19 वि0 स0–19-5-05– 813 (डी0टी0पी0)।